VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material

(May 2019 to February 2020)

DELHI | LUCKNOW | JAIPUR | HYDERABAD | PUNE | AHMEDABAD | CHANDIGARH

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र....5

1.1. भारत-चीन....5
1.1.1. भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद....5
1.1.2. द्वितीय भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन....5
1.1.3. अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद....6
1.2. भारत-बांग्लादेश....6
1.3. भारत-नेपाल....7
1.3.1. भारत नेपाल सीमापारीय सहयोग....7
1.3.2. मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन....8
1.3.3. भारत-नेपाल द्वारा नई एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन....8
1.3.4. नेपाल और चीन द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर....8
1.4. भारत-श्रीलंका....9
1.5. भारत-मालदीव....9
1.6. भारत-म्यांमार....10
1.7. सार्क....11
1.7.1. BBIN मोटर वाहन समझौता....12
1.8. बिम्सटेक....13

2. भारत और दक्षिण-पूर्व/पूर्वी एशिया....16

2.1. आसियान....16
2.1.1. भारत-आसियान: मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा....16
2.1.2. आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक....17
2.1.3. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी....18
2.1.4. समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन....19
2.2. भारत-दक्षिण कोरिया....19
2.3. भारत-जापान....20
2.4. हिंद महासागर संवाद 2019....20
2.5. मेकांग गंगा सहयोग....21
2.6. दक्षिण चीन सागर....21

3. भारत और मध्य एशिया/रूस....25

3.1. भारत-रूस....25
3.1.1. भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद....25
3.1.2. रूस का सुदूर पूर्व....25
3.1.3. पॉवर ऑफ़ साइबेरिया परियोजना....26
3.2. भारत-मध्य एशिया....26
3.2.1. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन....27

4. भारत और पश्चिम एशिया....28

VISION IAS

4.1. भारत-सऊदी अरब 28
4.2. फिलिस्तीन-भारत 28
4.3. भारत-ईरान 29
4.4. कुर्द 29

5. भारत और अफ्रीका 32

5.1. अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र 32
5.2. लीबिया समिट 32

6. सयुंक्त राज्य अमेरिका 34

6.1. ट्रंप की भारत यात्रा 34
6.2. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता 35
6.3. नाटो सहयोगी का दर्जा 36
6.4. बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 36
6.5. क्वाड 37
6.6. भारत विकासशील देशों की सूची से बाहर 37
6.7. एच-1बी और H-4 वीजा 37

7. यूरोप 39

7.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध 39
7.2. भारत-जर्मनी संबंध 39
7.3. भारत-फ्रांस 40
7.4. काउंसिल ऑफ़ यूरोप 40

8. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थान 42

8.1. संयुक्त राष्ट्र 42
8.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट 42
8.1.2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 43
8.1.3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना 43
8.1.4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावास 44
8.2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 45
8.3. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन 46
8.4. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी 48
8.5. जी-7 49
8.6. ब्रिक्स 50
8.7. शंघाई सहयोग संगठन 50
8.8. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन 51
8.9. राष्ट्रमंडल 52
8.10. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 52
8.11. आर्कटिक काउंसिल 53
8.12. कैरेबियन समुदाय 53

VISION IAS

9. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ......55

9.1. ब्रेक्जिट: यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपीय संघ का परित्याग......55
9.2. संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य गतिरोध......56
9.3. अमेरिका-तालिबान समझौता......57
9.4. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध......58
9.5. मध्य पूर्व शांति योजना......59
9.6. गुट-निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन......60
9.7. एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर शिखर सम्मेलन......61
9.8. क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन......61
9.9. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की वॉच लिस्ट......62
9.10. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या मुद्दा......62

10. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे......64

10.1. भारतीय सशस्त्र बल......64
10.1.1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ......64
10.1.2. इंडियन ट्राई-सर्विसेज कमांड यूनिट......66
10.1.3. एकीकृत युद्धक समूह......66
10.1.4. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम......67
10.2. गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019......67
10.3. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019......68
10.4. धन शोधन निवारण अधिनियम......69
10.5. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम......70
10.6. पूर्वोत्तर में सुरक्षा संबंधी मुद्दे......70
10.6.1. बोडो शांति समझौता......70
10.6.2. नागा शांति वार्ता......71
10.6.3. कूकी-नागा उग्रवादी समूहों के मध्य समझौता......72
10.6.4. ऑपरेशन सनराइज 2......72
10.7. नो फ़र्स्ट यूज डॉक्ट्रिन......73
10.8. साइबर सुरक्षा......73
10.8.1. भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा......73
10.8.2. साइबर सुरक्षा नीति......74
10.8.3. भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र......75
10.8.4. रूस के नेतृत्व में साइबर अपराध संधि पर संकल्प......75
10.9. भारत में ISIS द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ......76
10.10. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 2019......77
10.11. ग्लोबल पीस इंडेक्स......77
10.12. समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019......77
10.13. इंटरपोल......79
10.14. नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी प्रभाग......79

VISION IAS

11. विविध 81

11.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति 81

11.2. रायसीना संवाद 2020 81

11.3. हांगकांग में विरोध प्रदर्शन 81

11.4. ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 82

11.5. भारत एवं ब्राजील के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता 83

11.6. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास 84

VISION IAS

1. भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र

(India and its Neighbourhood)

1.1. भारत-चीन

(India-China)

1.1.1. भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद

(India-China Strategic Economic Dialogue)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **छठे भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद** की मेजबानी की।

भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद (Strategic Economic Dialogue: SED)

- यह **भारत और चीन के नीति-निर्माणकारी निकायों** {भारत के योजना आयोग (अब नीति आयोग) और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफ़ॉर्म कमीशन (NDRC)} के मध्य एक **द्विपक्षीय वार्ता मंच** है।
- इस प्रकार की वार्ता का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2010 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार के अन्य भारत-चीन आर्थिक और वाणिज्यिक मंच

- **संयुक्त आर्थिक समूह:** दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व के अधीन।
- **डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फ़ाइनेंशियल डायलॉग:** भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और चीन के वित्त मंत्रालय के उप-मंत्री के नेतृत्व के अधीन।

भारत-चीन आर्थिक संबंध

- **भारत और चीन के द्वारा वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौता किया गया था**, जिसके तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे को **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)** का दर्जा प्रदान किया।
- **चीन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका है);** जबकि भारत, चीन के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदार देशों में शामिल है।
- **चीन के साथ 51.11 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा** बना हुआ है
- भारत चीन से विद्युत मशीनों, विद्युत उपकरणों, उर्वरक इत्यादि का आयात करता है।
- भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से लौह अयस्क एवं कपास जैसी संसाधन आधारित वस्तुएं शामिल हैं।

1.1.2. द्वितीय भारत-चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

(Second India-China Informal Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भारत और चीन के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मामल्लपुरम सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- एक **उच्च-स्तरीय आर्थिक एवं व्यापार वार्ता तंत्र स्थापित** करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- वर्ष 2020 को **"इंडिया-चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपुल एक्सचेंज"** के रूप में नामित किया जाएगा।
- **तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के मध्य एक 'सिस्टर-स्टेट रिलेशनशिप'** स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- **चेन्नई कनेक्ट:** दोनों नेताओं ने आपसी मतभेदों को इस प्रकार से प्रबंधित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे **"किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को विवादित नहीं बनने देंगे।"**
- **प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन अप्रैल 2018 में वुहान में आयोजित हुआ था।**

VISION IAS

सिस्टर सिटी संबंध (Sister city relationship)

- सिस्टर सिटी संबंध वस्तुतः सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भिन्न क्षेत्रों में कस्बों, शहरों, काउंटी, राज्यों आदि के मध्य होने वाले **विधिक या सामाजिक समझौते** का एक रूप है।
- **सिस्टर सिटी संबंध के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:**
    - औरंगाबाद और दूनहुआंग (चीन);
    - हैदराबाद और किंगदाओ (चीन);
    - चेन्नई और चोंगोकिंग (चीन);
    - अहमदाबाद और कोबे (जापान);
    - दिल्ली और शिकागो (संयुक्त राज्य अमेरिका) आदि।

1.1.3. अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद

(Border Dispute in Arunachal Pradesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चीन द्वारा** अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए भारत के गृह मंत्री की यात्रा पर आपत्ति व्यक्त की गई है। इस दौरान गृह मंत्री ने उद्योग एवं सड़क से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के बारे में

- भारत पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ 1,140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
- यह सीमा भूटान की पूर्वी सीमा से आरंभ होकर तिब्बत (चीन-अधिकृत), भारत और म्यांमार के त्रिसंगम (Tri-junction) तक विस्तारित है (चित्र देखें)। इस सीमा रेखा को **मैकमहोन रेखा (McMahon Line)** कहा जाता है।
- हालांकि, चीन मैकमहोन रेखा को अवैध मानता है और इसे अस्वीकार करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को **दक्षिण तिब्बत या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र** (TAR) का ही भाग मानता है।
- चीन का मानना है कि वर्ष 1914 में शिमला में आयोजित सम्मेलन **(शिमला समझौता)** पर हस्ताक्षर करने वाले तिब्बती प्रतिनिधि इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं थे। उल्लेखनीय है कि इसी समझौते द्वारा मैकमहोन रेखा को मानचित्र पर निरुपित किया गया था।

1.2. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई, जिसके दौरान सात प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम

- इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित **प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप प्रदान किया गया**:
    - एक **तटीय निगरानी प्रणाली** उपलब्ध करवाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU);
    - त्रिपुरा के 'सबरूम' कस्बे हेतु पेयजल आपूर्ति योजना के लिए भारत द्वारा **फेनी नदी से जल की प्राप्ति पर एक समझौता ज्ञापन;**

VISIONIAS

- हैदराबाद विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन तथा;
- युवाओं से संबंधित मामलों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।

- भारत से और भारत के लिए माल की आवाजाही हेतु **चट्टोग्राम** और **मोंगला बंदरगाहों** के उपयोग हेतु **मानक संचालन प्रक्रिया;**
- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का नवीकरण; और
- महात्मा गांधी की जयंती (2019), बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (2020) की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ (2021) के आयोजन हेतु एक **संयुक्त घोषणा-पत्र।**

1.3. भारत-नेपाल

(India-Nepal)

1.3.1. भारत नेपाल सीमापारीय सहयोग

(India Nepal Cross Border Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (APF) ने भारत को अपने सीमा क्षेत्र में "तीसरे देश" की संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह निर्णय भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाले **सशस्त्र सीमा बल (SSB)** और उसके नेपाली समकक्ष सशस्त्र पुलिस बल (APF) के मध्य **पोखरा** (नेपाल) में आयोजित **चौथी भारत-नेपाल समन्वय बैठक** के दौरान लिया गया।
- यह **प्रथम बार** है, जब चर्चाओं के संयुक्त अभिलेखन के अंतर्गत **तीसरे देश** के क्रियाशील तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया।
- इस सहयोग के द्वारा, न केवल पाकिस्तान और अन्य देशों के आतंकवादियों अपितु तस्करी करने वाले प्रमुख समूहों और जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) के माफियाओं की गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, साथ ही, भारत-नेपाल के मध्य 1,751 किलोमीटर लंबी व ओपन (खुली) सीमा की भी निगरानी की जा सकती है।

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- SSB **गृह मंत्रालय** के तत्वाधान में गठित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) का एक भाग है। भारत में **छह अन्य** केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल- असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1963 में **चीन के आक्रमण (वर्ष 1962 में) के पश्चात्** की गई थी।
- वर्तमान में यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से संलग्न 2,450 किलोमीटर लंबी **भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा** पर तैनात है।
- SSB को इन सीमा क्षेत्रों के लिए **प्रमुख आसूचना एजेंसी** (Lead Intelligence Agency) के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न एजेंसियों, जैसे- इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय स्थापित करता है।
- **इसके उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना।
  - सीमा पार अपराधों और भारतीय क्षेत्र में अथवा भारतीय क्षेत्र से अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम।
  - उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करना।

VISION IAS

1.3.2. मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन

(Motihari-Amlekhgunj Oil Pipeline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और नेपाल द्वारा **मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन** के 'परीक्षण हस्तांतरण' (testing transfer) को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

इस तेल पाइपलाइन के बारे में

- बिहार में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी इस पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है।
- यह **भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन**, प्रथम दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन गलियारा और नेपाल में प्रथम तेल पाइपलाइन है।
- यह नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
- ज्ञातव्य है कि मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना सर्वप्रथम वर्ष 1969 में प्रस्तावित की गई थी। दोनों सरकारों द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।

1.3.3. भारत-नेपाल द्वारा नई एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन

(India Nepal Inaugurate New Integrated Check Post)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-नेपाल ने संयुक्त रूप से **जोगबनी (बिहार) - बिराटनगर (नेपाल)** में द्वितीय एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन किया। इससे पूर्व प्रथम एकीकृत जांच चौकी का शुभारंभ बिहार के **रक्सौल** में किया गया था।

एकीकृत जांच चौकियों (ICPs) के विषय में

- ICPs की परिकल्पना एक एकीकृत क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं के सुगम सीमापार आवागमन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से की जाती है।
- इनके अंतर्गत 3 प्रमुख सीमा संबंधी गतिविधियों को एकीकृत किया जाता है, यथा- **सीमा शुल्क, आप्रवासन और सीमा सुरक्षा।**
- वर्तमान में परिचालनरत ICPs:
  - पंजाब में अटारी (पाकिस्तान सीमा);
  - पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल (बांग्लादेश सीमा);
  - त्रिपुरा में अखौरा (बांग्लादेश सीमा);
  - बिहार में रक्सौल (नेपाल सीमा);
  - बिहार में जोगबनी (नेपाल सीमा); एवं
  - मणिपुर में मोरेह (म्यांमार सीमा)।
- इसके अतिरिक्त, "सैद्धांतिक रूप से" 10 अन्य स्थानों पर भी ICPs को स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

1.3.4. नेपाल और चीन द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर

(Nepal China Ink Road Connectivity Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **चीन और नेपाल ने काठमांडू व तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के मध्य सभी मौसमों में संचालन योग्य सड़क कनेक्टिविटी** स्थापित करने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- इसे वर्ष 2018 में घोषित **ट्रांस-हिमालयन मल्टीडायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMCN)** के तहत विकसित किया जाएगा।
- THMCN वस्तुतः नेपाल और चीन के मध्य एक आर्थिक गलियारा है तथा यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग है।

VISION IAS

1.4. भारत-श्रीलंका

(India-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंदा राजपक्षे ने भारत की यात्रा की।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम

- उन्होंने सार्क में सहयोग स्थापित करने और प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु श्रीलंका की तत्परता जाहिर की।
- श्रीलंका ने भारत से आग्रह किया कि वह 3 वर्षों के लिए इसके ऋण अदायगी को स्थगित कर दे, ताकि अन्य देश भी ऐसा करने हेतु प्रेरित हो सकें। ध्यातव्य है कि श्रीलंका का कुल विदेशी और घरेलू ऋण लगभग 60 बिलियन डॉलर है।
- श्रीलंका ने अपने राष्ट्रव्यापी आवास परियोजना के लिए भारत से और अधिक वित्तपोषण का अनुरोध किया।
- भारत और श्रीलंका ने चीन के बढ़ते हितों को ध्यान में रखते हुए भारत-श्रीलंका-मालदीव के मध्य NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) स्तर की वार्ता और त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को पुनःप्रारंभ करने के लिए मालदीव सरकार के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

भारत श्रीलंका संबंध: हालिया घटनाक्रम

- भारत ने **त्रिंकोमाली पत्तन** और तेल टैंक फार्म्स तथा कोलंबो के निकट केरावलपिटिया में एक LNG टर्मिनल को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए **भारत-जापान के मध्य संयुक्त समझौता** और **मटाला हवाई अड्डे** को संचालित करने का प्रस्ताव।
- **जाफना-कोलंबो रेल ट्रैक** और अन्य रेलवे लाइनों को अपग्रेड करने, भारत से बिजली आयात के लिए बिजली पारेषण लाइनें प्रदान करने तथा **कांकेषनथुराई पत्तन** के पुनर्निर्माण सहित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना का निर्माण।
- भारत, विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि **SAARC में श्रीलंका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।**
- मार्च 2000 **में भारत एवं श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर।

1.5. भारत-मालदीव

(India-Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं मालदीव ने **अद्दू (Addu) एटोल** के पांच द्वीपों में **अद्दू पर्यटन क्षेत्र** की स्थापना के लिए पांच समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **होआराफुशी** {मालदीव के सबसे उत्तरी एटोल (हा अलिफ एटोल) का एक अधिवासित द्वीप} में एक बोतलबंद जल संयंत्र स्थापित करने के लिए छठे MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- सभी छह परियोजनाएं अनुदान आधारित परियोजनाएं हैं, जो भारत की **उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP)** के अंतर्गत सम्मिलित हैं।
    - HICDP के अंतर्गत भारत और मालदीव के मध्य विकास साझेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण आयामों को शामिल किया जाता है तथा इसके तहत परियोजनाओं को इन द्वीपों पर समुदायों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जाएगा।
- अद्दू एटोल को **सीनू एटोल** के रूप में भी जाना जाता है और यह मालदीव का सबसे दक्षिणी एटोल है।
    - एटोल एक अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति (coral reef) होती है, जो चतुर्दिक रूप से **लैगून** कहे जाने वाले जलीय निकाय से घिरी होती है।
- यहाँ पर छोटी झीलें, आर्द्रभूमियाँ और दलदली तारो क्षेत्र (उष्णकटिबंधीय पादप, मुख्य रूप से अपने खाने योग्य घनकन्दों के लिए उगाया जाता है, अर्थात् एक कंद मूल है) जो कि अद्दू एटोल पर विशेष रूप से पाए जाते हैं।
- इस एटोल पर **मालदीव की सबसे प्रारंभिक ज्ञात बस्तियां** विद्यमान हैं।

VISION IAS

भारत का विकास साझेदारी सहायता कार्यक्रम

- **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष (UN Development Partnership Fund: UNDPF)**
    - यह वर्ष 2017 में स्थापित **दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष** के अंतर्गत एक समर्पित सुविधा है।
    - यह अल्प विकसित देशों एवं लघु विकासशील द्वीपीय देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए **विकासशील विश्व में दक्षिणी देशों के स्वामित्व और नेतृत्व में**, मांग-चालित और परिवर्तनकारी संधारणीय विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करता है।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation: ITEC)**
    - इसे वर्ष 1964 में भारत सरकार के **सहायता संबंधी द्विपक्षीय कार्यक्रम** के रूप में स्थापित किया गया था।
    - विदेश मंत्रालय में **विकास भागीदारी प्रशासन** (Development Partnership Administration: DPA) का DPA-II प्रभाग सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रबंधित करने के लिए नोडल प्रभाग है।
    - इस कार्यक्रम के **छः घटक** निम्नलिखित हैं:
        - ITEC नामांकित व्यक्तियों का भारत में प्रशिक्षण (नागरिक और रक्षा);
        - किसी देश की विशेष आवश्यकता या परियोजना संबंधी गतिविधियाँ, जैसे- व्यवहार्यता अध्ययन और परामर्श सेवाएं;
        - अध्ययन यात्राएं (स्टडी टूर);
        - उपकरण को उपहार/दान स्वरूप प्रदान करना;
        - विदेशों में किसी भी आवश्यक क्षमता में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति; तथा
        - आपदा राहत के लिए सहायता।

1.6. भारत-म्यांमार

(India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, म्यांमार के राष्ट्रपति द्वारा भारत की यात्रा की गई।

इस यात्रा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- **इम्फाल** और **मांडले** के मध्य **समन्वित बस सेवा** की शुरुआत।
- मणिपुर की सीमा के निकट **तामू (म्यांमार) में एकीकृत चेक-पोस्ट** के निर्माण में भारत द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- भारत द्वारा कैंसर रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा विकिरण उपकरण **भाभाट्रॉन II** प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया जाएगा।
- रिफाइनरी, स्टॉकपाइलिंग, सम्मिश्रण और फुटकर विक्रय सहित पेट्रोलियम के क्षेत्र में **गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (दोनों सरकारों के मध्य) सहयोग** के लिए सहमति व्यक्त की गई।
- **'त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं'** (Quick Impact Project: QIPs) का म्यांमार तक विस्तार करना।
    - QIPs के अंतर्गत अधिकांशतः भौतिक अवसंरचना जैसे कि सड़क व स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन को शामिल किया जाता है। इन लघु आवधिक परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों को तत्काल और ठोस परिणामों के साथ प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है।
- भारत द्वारा म्यांमार की ई-आईडी काड्र्स (e-ID cards) परियोजना हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। यह भारत की **आधार (Aadhaar) परियोजना** के सदृश है।
- दोनों पक्ष म्यांमार में भारत के **रुपे (RuPay) कार्ड** को लॉन्च करने पर सहमत हुए।
    - रुपे (RuPay) कार्ड सेवाओं को कुछ अन्य देशों में भी आरम्भ किया गया है, जैसे- संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, सऊदी अरब, सिंगापुर, मालदीव और भूटान।
- दोनों पक्षों द्वारा **"रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम"** के लिए और अधिक परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया।
- विभिन्न लंबित संधियों, जैसे- **"पारस्परिक विधिक सहायता संधि"** और **"प्रत्यर्पण संधि"** पर वार्ता जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता।

VISION IAS

- कलादान परियोजना के अंतिम चरण **पालेतवा-ज़ोरिनपुई सड़क** के कार्य को शीघ्र पूर्ण करना।
- इसके अतिरिक्त, हाल ही में, **'भारत-म्यांमार मैत्री परियोजना'** के तहत, भारत द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए रखाइन प्रांत में 250 पूर्व-निर्मित आवास म्यांमार को सौंपे गए हैं।
- इससे पूर्व, म्यांमार ने वर्ष 2017 में भारत की प्रथम स्थानीय रूप से निर्मित **तल शायना (TAL Shyena)** नामक एंटी-पनडुब्बी टारपीडो का क्रय किया था। वर्ष 2019 में म्यांमार ने **INS सिंधुवीर** नामक डीजल-इलेक्ट्रिक किलो-क्लास पनडुब्बी का अधिग्रहण किया था।

अतिरिक्त जानकारी

मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR)

- भारत और म्यांमार सीमा पर जनजातीय लोगों को अबाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने हेतु FMR तंत्र की शुरुआत की गयी है।
- FMR, सीमा के निकट निवास करने वाले जनजातीय लोगों को वीज़ा प्रतिबंधों के बिना सीमा-पार **16 कि.मी.** तक की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है।
- भारत और म्यांमार द्वारा 11 मई 2018 को **भूमि सीमा पारगमन समझौते (Land Border Crossing Agreement: LBCA)** पर हस्ताक्षर किए गए, जो लोगों के लिए पहले से ही मौजूद **मुक्त आवाजाही अधिकारों** के विनियमन एवं सामंजस्य की सुविधा प्रदान करता है।
- यह वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार पर लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है, जिससे दोनों देशों के मध्य आर्थिक व सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी।

चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा (China-Myanmar Economic Corridor: CMEC)

- CMEC, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के अंतर्गत एक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है, जो म्यांमार और चीन के मध्य कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसके तहत एक केंद्रीय सड़क और रेल परिवहन संरचना का निर्माण किया जा रहा है, जो चीन के **युन्नान प्रांत** को म्यांमार के **रखाइन प्रांत** के **क्युफयू** से {वाया- मूसे एवं मांडले (म्यांमार)} जोड़ेगा।
- यह गलियारा हिंद महासागर तक पहुँचने के लिए चीन को एक अन्य मार्ग प्रदान करता है।

1.7. सार्क

(SAARC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण एशिया के विकास के लिए सार्क (SAARC) के पुनः प्रवर्तन का समर्थन किया है।

दक्षेस अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष 1985 में **सार्क चार्टर** पर हस्ताक्षर के माध्यम से **ढाका** (बांग्लादेश) में की गई थी। इसका सचिवालय **काठमांडू** (नेपाल) में अवस्थित है।
- **उद्देश्य:** दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक संवृद्धि, क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर विश्वास तथा लाभ आदि को तीव्रता प्रदान करना।
- **सदस्य राष्ट्र:** अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

VISION IAS

- सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों व सरकार प्रमुखों की सम्मेलन स्तरीय बैठकें सार्क के अंतर्गत सर्वोच्च निर्णय निर्माण प्राधिकरण है।
- सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। **द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को इस संगठन के विचार-विमर्श से बाहर** रखा जाता है।
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA):** यह सार्क देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जो वर्ष 2006 में प्रभावी हुआ था।
- अंतिम सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था, उसके पश्चात् कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका है, क्योंकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन को पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में रद्द कर दिया गया था।
- वर्ष 2019 में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान सार्क देशों के **विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी।**
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार के 5 प्रतिशत से भी कम है, जो पूर्वी-एशिया के 35 प्रतिशत और यूरोप के 60 प्रतिशत से काफी कम है।

1.7.1. BBIN मोटर वाहन समझौता

(BBIN Motor Vehicles Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, BBIN-मोटर वाहन समझौते (Motor Vehicles Agreement: MVA) पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल (BBIN) की एक बैठक आयोजित की गई।

BBIN MVA के बारे में:

- BBIN परियोजना की परिकल्पना तब की गई, जब नवंबर 2014 में काठमांडू में आयोजित सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से पाकिस्तान के कारण सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया था।
- चार BBIN देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) के मध्य यात्री, व्यक्तियों तथा मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनियमन हेतु जून 2015 में एक **उप-क्षेत्रीय** मोटर वाहन समझौते (MVA) पर हस्ताक्षर किया गया था।

(Proposed BBIN Road Connectivity)

- मूल रूप से, **BBIN MVA के तहत 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत** वाली 30 **परिवहन संपर्क परियोजनाओं** का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, BBIN MVA द्वारा BBIN देशों में व्यापार और परिवहन गलियारों के शेष बचे कार्यों को पुनः आरंभ तथा उन्नयन किया जाएगा।
- भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने इस समझौते की अभिपुष्टि कर दी है, जबकि इस समझौते की अभिपुष्टि हेतु **भूटान, अपनी संसद की स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा है।** भारी वाहनों के यातायात में होने वाली वृद्धि से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण भूटान ने अब तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।

VISION

- **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Sub-regional Economic Cooperation: SASEC) कार्यक्रम** के तहत, **एशियाई विकास बैंक (ADB)** द्वारा इस पहल के लिए तकनीकी, सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 1 नवंबर 2015 को एक मालवाहक वाहन के द्वारा **बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता से अगरतला के लिए पहला सफल ट्रायल संपन्न** किया गया। ज्ञातव्य है कि इसके माध्यम से लगभग एक हज़ार किलोमीटर की दूरी कम हो गई है।
- हाल ही में हुई बैठक में, भूटान पर दायित्व आरोपित किए बिना BBIN MVA को लागू करने के लिए बांग्लादेश, भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की गई। भूटान ने इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया।

अन्य क्षेत्रीय संपर्क समझौते

- **कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट**
  - यह कोलकाता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे समुद्री पत्तन से जोड़ता है।
  - इसके बाद म्यांमार में सितवे समुद्री पत्तन को कलादान नदी के नाव मार्ग के माध्यम से और फिर सड़क परिवहन द्वारा भारत में मिज़ोरम के लेशियो से जोड़ा जाएगा।
- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग**
  - यह राजमार्ग मणिपुर राज्य के मोरेह (भारत) को मांडले शहर (म्यांमार) और माई सोत जिले (थाईलैंड) से जोड़ता है (3,200 किमी)।
- **भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल**
  - इस प्रोटोकॉल के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तुओं की अबाधित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार आशुगंज पत्तन (मेघना नदी, बांग्लादेश) और अखौरा चेकपोस्ट (अगरतला) पर आधारभूत ढांचे (पत्तन, सड़क और रेल) के निर्माण में निवेश कर रही है।

1.8. बिम्सटेक

(BIMSTEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

BIMSTEC के नेताओं को भारतीय प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था।

BIMSTEC के बारे में

- **बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकॉनोमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC)** सात सदस्यों, यथा- **बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान** और **नेपाल** का एक क्षेत्रीय समूह है जिसकी स्थापना **बैंकाक घोषणा-पत्र** के माध्यम से वर्ष 1997 में की गई थी।
- **संस्थापक सदस्य:** बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड।·
- इसका सचिवालय **ढाका** में है।
- भारत ने वर्ष 2016 में BIMSTEC नेताओं को गोवा में **ब्रिक्स आउटरीच शिखर सम्मेलन** के लिए आमंत्रित किया था।

अन्य संबंधित तथ्य

बिम्सटेक DMEx 2020

- हाल ही में, संपन्न द्वितीय **बिम्सटेक-आपदा प्रबंधन अभ्यास (BIMSTEC-DMEx) 2020** तीन-दिवसीय अभ्यास था, जिसमें **आपदा के दौरान विरासत स्थलों की सुरक्षा तथा आपदा पश्चात् उनके संरक्षण** हेतु प्रोटोकॉल के मानकीकरण, नीति-निर्माण एवं दिशा-निर्देशन पर चर्चा की गई।

VISION IAS

- इसमें बिम्सटेक के सात देशों में से **पांच सदस्य** देशों, यथा- बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जबकि इस अभ्यास में थाईलैंड और भूटान ने भाग नहीं लिया था।
- बिम्सटेक-DMEx 2020 की मेजबानी **'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल' (National Disaster Response Force)** द्वारा की गई थी।

क्रम संख्या	अवस्थिति	विवरण
1	चट्टोग्राम पत्तन, बांग्लादेश	भारत और बांग्लादेश भारत से और भारत के लिए वस्तुओं की आवजाही हेतु इस पत्तन का प्रयोग करने पर सहमत हुए
2	मोंगला पत्तन, बांग्लादेश	भारत और बांग्लादेश भारत से और भारत के लिए वस्तुओं की आवजाही हेतु इस पत्तन का प्रयोग करने पर सहमत हुए
3	फेनी नदी, बांग्लादेश	पेयजल आपूर्ति के लिए भारत फेनी नदी से जल प्राप्त करेगा
4	पेट्रापोल, पश्चिमी बंगाल	भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित **एकीकृत चेक पोस्ट**
5	जोगबनी, बिहार	भारत-नेपाल सीमा पर स्थित **एकीकृत चेक पोस्ट**
6	मोरेह, मणिपुर	भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित **एकीकृत चेक पोस्ट**
7	वाघा, पंजाब	भारत पाकिस्तान सीमा
8	मोतिहारी-अमलेखगंज (बिहार से नेपाल) तेल पाइपलाइन	**प्रथम** दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन कॉरिडोर
9	त्रिंकोमाली पत्तन, श्रीलंका	भारत ने त्रिंकोमाली पत्तन के विकास के लिए MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं
10	कोलंबो पत्तन, श्रीलंका	कोलंबो के पूर्वोत्तर पत्तन पर भारत और जापान तेल टर्मिनल विकसित कर रहे हैं

11	रखाइन प्रांत, म्यांमार	रोहिंग्या बाहुल्य क्षेत्र
12	अखुरा, त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित **एकीकृत चेक पोस्ट**
13	अद्दू एटोल, मालदीव	अद्दू पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भारत और मालदीव ने पांच MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं
14	भाषण चार द्वीप, बांग्लादेश	रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए शिविर

VISION IAS

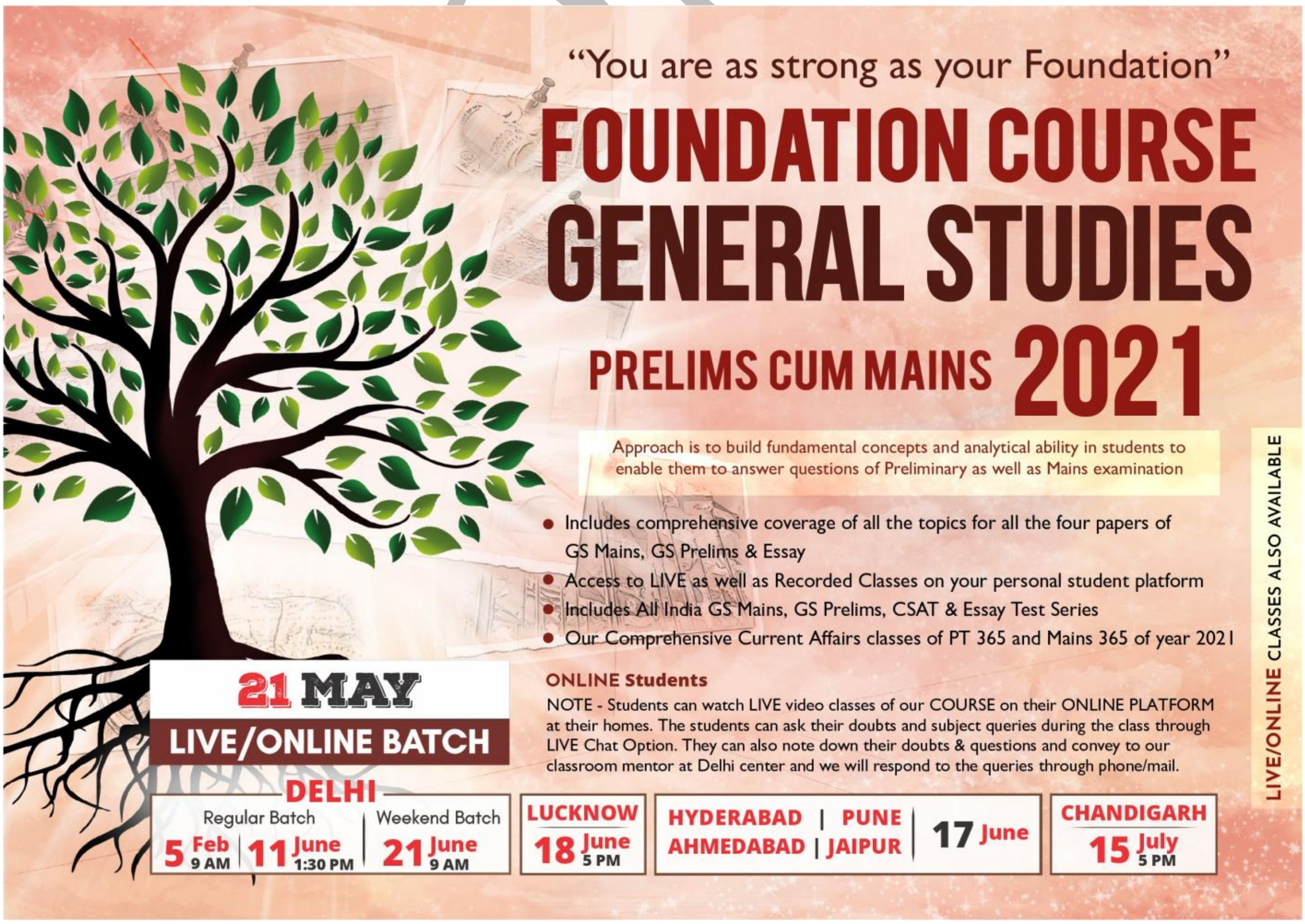

2. भारत और दक्षिण-पूर्व/पूर्वी एशिया

(India and Southeast/East Asia)

2.1. आसियान

(ASEAN)

2.1.1. भारत-आसियान: मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा

(India-ASEAN: Review of Free Trade Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) **वर्ष 2009** में हस्ताक्षरित **मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)** की समीक्षा करने हेतु सहमत हुए।

आसियान के बारे में

- **आसियान**, 10 सदस्य राष्ट्रों का एक **भू-राजनीतिक और आर्थिक संगठन** है, जिसका गठन अगस्त 1967 में **इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर** और **थाईलैंड** द्वारा किया गया था।
- आगे **ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार** और **वियतनाम** को शामिल कर इसके सदस्यता का विस्तार किया गया।

भारत-आसियान आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1992 में, भारत, आसियान का **क्षेत्रीय वार्ता भागीदार, वर्ष 1995 में एक पूर्ण वार्ता भागीदार** और **वर्ष 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)** का सदस्य बना था।
- **वर्ष 2003** में, एक फ्रेमवर्क समझौते, यथा- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA)** पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि आर्थिक सहयोग को सक्षम बनाने हेतु एक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जा सके।
- वर्ष 2009 में, बैंकॉक में **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसके अतिरिक्त, सेवा एवं निवेश के क्षेत्र में व्यापार पर आसियान-भारत के मध्य संपन्न समझौते के उपरांत 1 जुलाई 2015 को **आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र** अस्तित्व में आया।
- वर्ष 2017 में **भारत और आसियान के मध्य वार्ता भागीदारी के 25 वर्ष** तथा **सामरिक भागीदारी के पांच वर्ष** पूर्ण हुए।
- **आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।**
- इस क्षेत्र में भारत का **प्रमुख निर्यात:** जहाज, नाव, फ्लोटिंग संरचनाएं, खनिज ईंधन, खनिज तेल और माँस।
- **प्रमुख आयात:** दूरसंचार उपकरण, विद्युत मशीनरी, खनिज ईंधन, खनिज तेल और पशु या वनस्पति वसा और तेल।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित 16वें **आसियान-भारत शिखर सम्मेलन** में भाग लिया था।
- इस शिखर सम्मेलन की **अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री** द्वारा की गई थी और इसमें आसियान सदस्य देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों और भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया था।
- **विचार-विमर्श के विषय:**
  - राजनीतिक-सुरक्षा सहयोग;
  - आर्थिक सहयोग {क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के तहत};
  - आसियान-भारत कनेक्टिविटी: अय्यावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (ACMECS) और मेकांग-गंगा के मध्य सहयोग; तथा
  - सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग।

VISION IAS

2.1.2. आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक

(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान)** द्वारा **'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक'** नामक एक विज़न दस्तावेज़ जारी किया गया।

आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक (AOIP) के बारे में

- यह आसियान केंद्रित क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एक पहल है। AOIP का उद्देश्य नए तंत्रों का सृजन एवं पहले से कार्यरत व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य **आसियान की कम्युनिटी बिल्डिंग प्रॉसेस** (सामुदायिक विकास प्रक्रिया) को बढ़ावा देना एवं इसे मजबूत बनाना है। साथ ही, यह आसियान के नेतृत्व वाले मौजूदा तंत्रों को नवीन उर्जा प्रदान करने पर भी केंद्रित है।
- इसके लक्ष्यों में **आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों,** यथा- पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) आदि को और अधिक सुदृढ़ एवं इष्टतम बनाने का कार्य भी शामिल है।
- AOIP के तहत **चार कार्यात्मक क्षेत्रों** को सूचीबद्ध किया गया है। आसियान का मानना है कि इनके माध्यम से सहयोग एवं समन्वय को निश्चित रुप से और बेहतर बनाया जा सकता है। **AOIP के चार कार्यात्मक क्षेत्र** निम्नलिखित हैं:
    - समुद्री सहयोग;
    - कनेक्टिविटी (संयोजकता);
    - सतत विकास तथा
    - आर्थिक व सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region)

- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र एक भू-राजनीतिक शब्द है, जिसे हाल के वर्षों में काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है।
- अमेरिका ने वर्ष 2018 में अपनी **पैसिफिक कमांड** का नाम परिवर्तित करके **अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड** कर दिया था।
- वर्ष 2018 में सिंगापुर में **शांगरी ला संवाद** के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा भी अपने भाषण में "हिन्द-प्रशांत क्षेत्र" का उल्लेख किया गया था।
    - **इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS)** द्वारा आयोजित **शांगरी ला संवाद**, एशिया का प्रमुख **रक्षा शिखर सम्मेलन** है। यह एक मंत्रिस्तरीय बैठक है, जहां क्षेत्र की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की जाती है और नए समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं।
- भारत ने अफ्रीका के पूर्वी तट से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक हिन्द-प्रशांत के भौगोलिक विस्तार का विवेचन किया है, जो हिंद व प्रशांत दोनों महासागरों को सम्मिलित करता है।
- हालाँकि, अन्य देशों, जैसे- जापान, अमेरिका आदि द्वारा भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की गई हैं।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहल

- विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र** के लिए एक **नया प्रभाग** स्थापित किया था।
- नवंबर 2019 में, भारत ने बैंकॉक (थाईलैंड) में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक खुली वैश्विक पहल के रूप में **इंडो पैसिफिक ओसियंस इनिशिएटिव (IPOI)** की शुरुआत की थी।
    - यह मौजूदा क्षेत्रीय सहयोग संरचना और तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है जो समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी; समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण; आपदा जोखिम में कमी आदि **सात केंद्रीय विषयों** पर आधारित है।
- दिसंबर, 2019 में, भारत ने **"हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना"** (Advancing partnership in the Indo-Pacific) विषय पर आसियान के सदस्य देशों के साथ **दिल्ली संवाद-XI** की मेजबानी की थी। इसी दौरान इंडियन ओशन रिम

VISION IAS

एसोसिएशन (IORA) के सदस्य देशों के साथ **"हिन्द-प्रशांत: एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की पुनर्कल्पना करना"** (Indo-Pacific: Reimagining the Indian Ocean through an Expanded Geography) विषय पर हिंद महासागर संवाद का छठा संस्करण आयोजित किया गया था।

2.1.3. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी

(Regional Comprehensive Economic Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) में शामिल **नहीं** होने का निर्णय लिया है।

RCEP के विषय में

- RCEP एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इस समझौते पर वार्ता में 16 राष्ट्र शामिल थे, यथा- 10 आसियान देश तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत।
- RCEP व्यापार बाधाओं को कम करने और क्षेत्र में व्यवसायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं हेतु बेहतर बाजार पहुंच को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक ढांचा प्रदान करेगा।

भारत RCEP में क्यों नहीं शामिल हुआ?

- **बढ़ता व्यापार घाटा:** वित्त वर्ष 2019 में RCEP समूह के साथ भारत का वस्तु व्यापार घाटा 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर (इसके कुल घाटे का 60 प्रतिशत) था।
- **FTA के साथ भारत का अनुभव:** ज्ञातव्य है कि FTA देशों या विश्व के शेष भागों के साथ भारत के समग्र निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
- **घरेलू बाजार के लिए खतरा:** बड़ी संख्या में भारतीय उद्योगों (जिनमें लौह एवं इस्पात, डेयरी, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा वस्त्र उद्योग शामिल हैं) द्वारा चिंता व्यक्त की गयी है कि RCEP के तहत प्रस्तावित प्रशुल्क उन्मूलन उन्हें गैर-प्रतिस्पर्द्धी बना देगा।
- **नियमों के अनुपालन का अभाव:** भारत में वस्तुओं के आयात में हुई आकस्मिक वृद्धि, रूल्स ऑफ़ ओरिजिन के सिद्धांतों का अनुपालन न करने अथवा ऐसे उल्लंघनों की जांच करने वाली एजेंसी को जांच कार्यों में पूर्ण सहयोग न करने इत्यादि के कारण हुई है।
- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** यह स्पष्ट है कि चीनी विनिर्माण उद्योग का आकार और पैमाना व्यापक वित्तीय एवं गैर-वित्तीय समर्थन पर आधारित हैं, जो चीनी विनिर्माण उत्पादकों को प्रत्यक्षत: बढ़त प्रदान करते हैं।
- **कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार नीति:** बौद्धिक संपदा से संबंधित कठोर प्रावधानों को कुछ समय के लिए इससे अलग किए जाने की मांग की जा रही है। भारत द्वारा इसे समझौते से बाहर रखने के पक्ष में तर्क दिए गए हैं।

उत्पत्ति के नियम (Rules of origin)

- किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए ये आवश्यक मानदंड हैं।
- इनका महत्व इस तथ्य से सिद्ध होता है कि कई मामलों में शुल्क (duties) एवं प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं।

2.1.4. समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

(East Asia Summit Conference on Maritime Security Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **चेन्नई में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन** (EAS) की मेजबानी की।

इस सम्मेलन के बारे में

- यह भारत सरकार द्वारा आयोजित EAS समुद्री सुरक्षा सम्मेलनों की श्रृंखला का **चौथा** सम्मेलन था। तीन पूर्व सम्मेलन अग्रलिखित हैं: वर्ष 2015 **(नई दिल्ली)**, वर्ष 2016 **(गोवा)** और वर्ष 2018 **(भुवनेश्वर)**।
- इसका आयोजन **ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया** की सरकारों की साझेदारी के साथ **विदेश मंत्रालय** द्वारा किया गया था।
- यह समुद्री सुरक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर सभी EAS भागीदारों के मध्य मुक्त एवं खुले संवाद तथा सहकारी रीति के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के संबंध में उपयोगी सुझाव प्रदान करने के लिए एकजुट होने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)

- यह एक नेतृत्व-आधारित मंच है, जहाँ सभी प्रमुख साझेदार हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के समक्ष विद्यमान विविध संभावित राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकजुट होते हैं तथा क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- EAS के **18 सदस्य देश** हैं- जिसमें 10 आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम) के अतिरिक्त 8 अन्य देश, यथा- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सम्मिलित हैं।
- EAS सदस्य विश्व की लगभग **54 प्रतिशत** जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के **58 प्रतिशत** के लिए उत्तरदायी हैं।
- ESA का प्रथम सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को **कुआलालंपुर** में आयोजित किया गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2005 में ESA की स्थापना से ही भारत की निरंतर इसमें भागीदारी रही है।
- नवंबर 2019 में, EAS के 14वें सम्मेलन का आयोजन **बैंकॉक (थाईलैंड)** में किया गया था।

2.2. भारत-दक्षिण कोरिया

(India-South Korea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा के दौरान, रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे की नौसेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सहायता में विस्तार हेतु भारत और दक्षिण कोरिया ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों राष्ट्रों के मध्य संपन्न समझौते

- भारत-दक्षिण कोरिया द्वारा एक दूसरे की नौसेनाओं के मध्य लॉजिस्टिक्स सहायता को बढ़ाने हेतु **नौसेना लॉजिस्टिक्स साझाकरण समझौते (Naval logistics sharing pact)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान (Defence Educational Exchanges)** हेतु एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जो दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ता प्रदान करेगा।
- भारत-दक्षिण कोरिया रक्षा संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक **'फॉरवर्ड लुकिंग रोडमैप'** तैयार किया गया है।
  - इस रोडमैप में भूमि प्रणाली, एयरो सिस्टम, नौ-सेना प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास सहयोग तथा परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन आदि जैसे **सहयोग के कई प्रस्तावित क्षेत्रों** को सूचीबद्ध किया गया है।
- इससे भारत में कोरियाई कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, **K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन को L&T द्वारा हनवा लैंड सिस्टम्स के सहयोग से निर्मित** किया जा रहा है। यह भारत के आयात व्यय को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।

VISION IAS

न्यू सदर्न पॉलिसी (New Southern Policy: NSP)

- यह **"नार्थ ईस्ट एशिया प्लस कम्यूनिटी फॉर रेस्पोंसिबिलिटी-शेयरिंग (NEAPC)"** को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण कोरियाई सरकार की व्यापक रणनीति का एक भाग है।
- NSP का उद्देश्य कोरिया के दक्षिण में स्थित राष्ट्रों (भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र) के साथ सुदृढ़ आर्थिक संबंध विकसित करना है,
- जबकि **न्यू नदर्न पॉलिसी** कोरिया के उत्तर में स्थित राष्ट्रों (मुख्यतः रूस, मंगोलिया और मध्य एशियाई देश) पर केंद्रित है।

2.3. भारत-जापान

(India-Japan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में भारत और जापान के मध्य **"भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता (2+2)"** संबंधी बैठक आयोजित हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- '2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता' को दोनों देशों के विदेश और रक्षा सचिवों के मध्य बैठक के उन्नयन के रूप में देखा जा रहा है, जिसके प्रथम दौर का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था।
- यह बैठक अक्टूबर 2018 में जापान में आयोजित **13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन** के दौरान लिये गए निर्णयों के परिणामस्वरुप आयोजित की गई, ताकि द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहन बनाने के लिए **विदेश एवं रक्षा मंत्रालय स्तरीय एक संवाद** स्थापित हो सके।
- '2+2 वार्ता' का उद्देश्य दोनों **राष्ट्रों की रणनीतिक साझेदारी (विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र)** को और गति प्रदान करना है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर दोनों पक्षों द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान** किया गया और इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि एवं प्रगति के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साथ मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

भारत की 2+2 वार्ता प्रणाली

- भारत के साथ इस प्रकार का संवाद स्थापित करने वाला जापान **दूसरा** देश है।
- अब तक, केवल भारत और अमेरिका के मध्य '2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता' व्यवस्था विद्यमान थी, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आधिकारिक स्तर (रक्षा और विदेश सचिवों के मध्य) पर 2+2 वार्ता व्यवस्था विद्यमान है।
- इसके साथ ही, भारत की सभी क्वाड देशों (Quad countries) के साथ '2+2 वार्ता' व्यवस्था स्थापित हो जाएगी।

2.4. हिंद महासागर संवाद 2019

(Indian Ocean Dialogue 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, छठे हिंद महासागर संवाद (Indian Ocean Dialogue: IOD) का दिल्ली में आयोजन किया गया।

IOD के बारे में

- IOD, **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)** की एक प्रमुख पहल है।
- यह एक **ट्रैक 1.5 वार्ता** है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के **रणनीतिक मुद्दों पर शिक्षाविदों और अधिकारियों के मध्य सार्वजनिक एवं मुक्त संवाद** को प्रोत्साहित करती है।
- **ट्रैक 1.5 कूटनीति** में अधिकारी एवं गैर-अधिकारी (अग्रणी व्यवसायी, व्यापारिक संगठन, गैर-राजनयिक आदि) दोनों शामिल होते हैं।

VISION IAS

- यह **ट्रैक I** (शासकीय कूटनीति) एवं **ट्रैक II** {गैर-राज्य अभिकर्ताओं के माध्यम से **बैकचैनल डिप्लोमेसी (गोपनीय व अनौपचारिक वार्ता)**} कूटनीतियों का मध्यवर्ती स्वरूप है।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य अपने सभी 22 सदस्य राष्ट्रों और 9 डायलॉग पार्टनरों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग एवं सतत विकास को सुदृढ़ करना है।
- इसके **सदस्यों** में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंज़ानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव और यमन शामिल हैं।
- इसके प्रमुख प्राथमिकताओं और फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं: मत्स्य प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, महिला आर्थिक सशक्तीकरण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा आदि।

अन्य संबंधित तथ्य

दिल्ली संवाद

- यह **भारत और आसियान** के मध्य राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबद्धता पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2009 से आयोजित) है।
- यह हिंद महासागर संवाद (IOD) के साथ आयोजित किया गया था।
- **विषय (थीम):** इंडो-पैसिफिक में साझेदारी को आगे बढ़ाना (Advancing Partnership in Indo-Pacific)।

2.5. मेकांग गंगा सहयोग

(Mekong Ganga Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, थाईलैंड के बैंकाक में मेकांग-गंगा सहयोग की 10वीं मंत्रिस्तरीय बैठक {10th Mekong-Ganga Cooperation Ministerial Meeting (10th MGC MM)} का आयोजन किया गया।

मेकांग-गंगा सहयोग के बारे में

- पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु यह छह देशों- भारत और पाँच आसियान देशों, यथा- **कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड** एवं **वियतनाम** द्वारा प्रारम्भ की गयी एक पहल है।
- यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और साथ ही साथ परिवहन एवं संचार में सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- वर्ष 2000 में लाओस के **विएनतिएन (Vientiane)** में इसका शुभारंभ किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि **गंगा** और **मेकांग** दोनों ही अति प्राचीन नदियाँ (सभ्यताओं का पालना) हैं तथा MGC पहल का उद्देश्य इन दो प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के मध्य निकट संपर्क को सुदृढ़ करना है।

2.6. दक्षिण चीन सागर

(South China Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन ने कथित रूप से दक्षिण चीन सागर (South China Sea: SCS) क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, द्वारा की जाने वाली सैन्य गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक एयरशिप (एक प्रकार का हवाई जहाज या गुब्बारा) तैनात किया है।

VISION IAS

दक्षिण चीन सागर का महत्व

- **रणनीतिक अवस्थिति:** एक तिहाई वैश्विक जहाज (कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 3.37 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरते हैं।
    - ऐसा अनुमान है कि मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरने के बाद बीजिंग द्वारा आयातित तेल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से ही चीन में पहुँचता है।
- **मत्स्य पालन:** विश्व का लगभग 10 प्रतिशत मत्स्यपालन इसी क्षेत्र में होता है, जो इसे करोड़ों लोगों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत बनाता है।

दक्षिण चीन सागर से संबद्ध मुद्दे

- **क्षेत्रीय संघर्ष:** विभिन्न ऐतिहासिक और भोगौलिक विवरणों के आधार पर फिलीपींस, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया द्वारा प्राय: SCS के ऊपर **अतिव्यापी, क्षेत्रीय दावे किए जाते रहे हैं।**
    - चीन इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक भाग पर अपना दावा करता है। चीन की **"नाइन-डैश लाइन"** एक भौगोलिक सीमा (चिह्नक) है जिसका उपयोग वह अपने दावे की पुष्टि करने के लिए करता है। यह चीनी मुख्य भूमि से 2,000 कि.मी. दूर तक विस्तृत है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया के निकटवर्ती समुद्रों को स्पर्श करती है।
    - **अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन:** वर्ष 2016 में, चीन ने UNCLOS आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के एक निर्णय को अस्वीकृत कर दिया था। इस अधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि चीन "नाइन-डैश लाइन" (जिसमे दक्षिण चीन सागर का अधिकांश भाग शामिल है) के माध्यम से उन समुद्री संसाधनों पर अपने ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है, जहाँ ये समुद्री जल क्षेत्र अन्य तटीय देशों के अनन्य क्षेत्र (EEZ) के अंतर्गत शामिल हैं।
    - भारत ने सदैव समावेशिता और बहुलता का समर्थन किया है। भारत का मानना है कि सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के लिए संस्थानों और वैश्विक व्यवस्था को परामर्शी व गैर-निर्देशात्मक होने की आवश्यकता है, जहाँ SCS की प्राथमिकता को बल प्राप्त हो।

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वर्ष 1982 में हस्ताक्षरित और अंगीकृत किया गया था।
- यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक व्यापक शासन-व्यवस्था की स्थापना करता है। वर्ष 1982 का यह अभिसमय महासागरों एवं महासागरीय संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों की स्थापना करता है।
- इस अभिसमय द्वारा निम्नलिखित तीन संस्थानों का सृजन किया गया है:
    - इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी;
    - इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी; तथा
    - कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ़ कांटिनेंटल शेल्फ।
- चीन और भारत सहित 160 से अधिक सदस्य राष्ट्र इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक इस अभिसमय की अभिपुष्टि नहीं की है।

VISION

Maritime Zone and their Entitlements

Maritime zone	Extension seaward from baselines	Entitlements
Internal Water (ie historical bays)	Located landward side of baseline	Full sovereign authority
Territorial Water	12 nm	Set laws, regulate use, exploit resources, police zone. Foreign vessels permitted 'innocent passage'
Contiguous Zone	24 nm (overlaps territorial sea)	Enforce laws on pollution, smuggling, taxation, customs and immigration.
Exclusive Economic Zone (EEZ)	200 nm	Rights over all natural resources in the water column and seabed (ie fishing). Other states have rights of navigation, overflight, and the submarine pipes and cables
Continental Shelf	Up to 350 nm	Exploit resources in the seabed and subsoil(ie oil)

1	ओसाका, जापान	14वां G-20 शिखर सम्मेलन, 2019
2	फुजियान प्रांत, चीन	तमिलनाडु का सिस्टर स्टेट
3	वुहान, चीन	भारत-चीन के मध्य प्रथम अनौपचारिक बैठक

4	हांगकांग, चीन	प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध में प्रदर्शन
5	ताइवान	हांगकांग प्रदर्शनों के कारण सुर्ख़ियों में
6	मकाओ, चीन	चीन का विशेष प्रशासित क्षेत्र: हांगकांग प्रदर्शनों के कारण सुर्ख़ियों में
7	शंघाई, चीन	न्यू डेवेलपमेंट बैंक (BRICS बैंक) का मुख्यालय
8	बीजिंग, चीन	शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय

3. भारत और मध्य एशिया/रूस

(India And Central Asia/Russia)

3.1. भारत-रूस

(India-Russia)

3.1.1. भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद

(India-Russia Strategic Economic Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद (IRSED)** की द्वितीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

इस संवाद के बारे में

- ज्ञातव्य है कि नई दिल्ली में आयोजित **वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन** के 19वें संस्करण के दौरान नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के पश्चात् IRSED की स्थापना की गई।
- 25-26 नवंबर, 2018 के मध्य **सेंट पीटर्सबर्ग** में प्रथम भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद का आयोजन किया गया।
- 'भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद' की द्वितीय बैठक में सहयोग के **6 प्रमुख क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन छह प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - परिवहन अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों का विकास;
  - कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास;
  - लघु एवं मध्यम व्यवसायों को सहयोग;
  - डिजिटल रूपांतरण एवं उद्भवशील (फ्रंटियर) प्रौद्योगिकियां;
  - व्यापार, बैंकिंग, वित्त एवं उद्योग क्षेत्र में सहयोग; और
  - पर्यटन एवं कनेक्टिविटी।

3.1.2. रूस का सुदूर पूर्व

(Russian Far East)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **20वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन** तथा **पूर्वी आर्थिक मंच** (Eastern Economic Forum: EEF) की पांचवीं बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित की गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधानमंत्री की यह यात्रा (उपर्युक्त सम्मेलन के दौरान) रूस के **फार ईस्ट (सुदूर पूर्व) के विकास पर केन्द्रित** थी, जिसके लिए भारत द्वारा 1 बिलियन डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की गयी।
- **वर्ष 2015 में स्थापित EEF** का उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है।
- इस पांचवें शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में **भारत, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **दक्षिण कोरिया** शामिल हैं।
- **कनेक्टिविटी: चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के मध्य समुद्री मार्ग** को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
  - इससे यूरोपीय मार्गों से होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में यूरोप होते हुए भारत से रूस के सुदूर पूर्व तक कार्गो के आवागमन में 40 दिनों का समय लगता है, परन्तु इस मार्ग के विकसित हो जाने के पश्चात् 24 दिनों के भीतर चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के मध्य कार्गो का आवागमन संभव हो सकेगा।
- इसके अतिरिक्त, हाल ही में भारत और रूस ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र से भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात के लिए दीर्घावधि अनुबंधों हेतु एक अंतर-सरकारी समझौते के लिए रोडमैप को अंतिम स्वरूप प्रदान किया है।

VISION IAS

* यह समझौता हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए पंचवर्षीय (वर्ष 2019-24) रोडमैप का भी एक हिस्सा है।

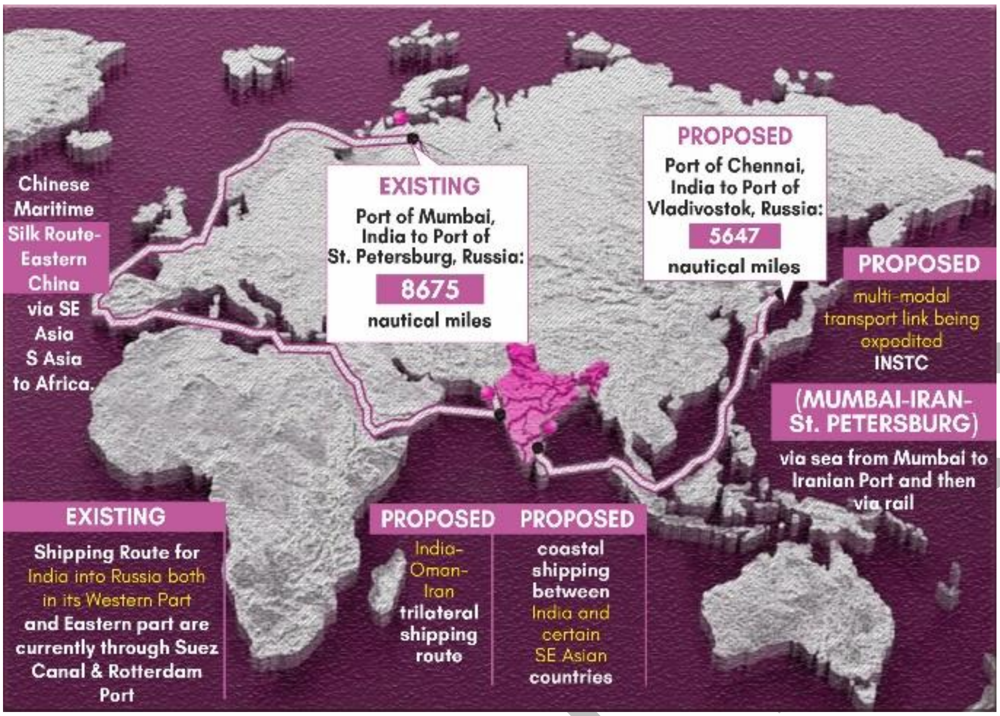

3.1.3. पॉवर ऑफ़ साइबेरिया परियोजना

(Power of Siberia project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन और रूस द्वारा दोनों देशों के मध्य प्रथम सीमा-पार गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इसे **"पॉवर ऑफ़ साइबेरिया"** की संज्ञा प्रदान की गयी है।

पॉवर ऑफ़ साइबेरिया परियोजना के बारे में

* इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य **याकुटिया (Yakutia)** जैसे रूस के सुदूरपूर्वी क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से चीन को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
* इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था। इस पाइपलाइन की लंबाई 4,000 कि.मी. से अधिक है तथा इसकी वार्षिक क्षमता 61 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है।
* वर्ष 2019, रूस और चीन के मध्य द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को इंगित करता है।

3.2. भारत-मध्य एशिया

(India-Central Asia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद (India Central Asia Business Council: ICABC) के शुभारंभ पर, विदेश मंत्री द्वारा व्यापार और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु भारत एवं मध्य एशियाई देशों के मध्य **"हवाई गलियारा"** (air corridors) स्थापित करने पर वार्ता संपन्न की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- हवाई गलियारों की उपलब्धता **शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं तथा कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार** को प्रोत्साहित कर सकता है।
- वर्तमान में, मध्य एशिया के साथ अधिकांश व्यापार **ईरान में बंदर अब्बास, उत्तरी यूरोप या चीन** के माध्यम से होता है।
- ICABC की स्थापना भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की/FICCI) द्वारा मध्य एशियाई देशों के उद्योग निकायों की साझेदारी के साथ की गई है।

इस क्षेत्र से जुड़ने के भारत के प्रयास

- वर्ष 2012 में, **कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी** की शुरुआत की गई थी। इसमें सुदृढ़ राजनीतिक संबंध, रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों में दीर्घकालिक भागीदारी आदि शामिल थे।
- प्रथम भारत-मध्य एशिया वार्ता (मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन) का आयोजन भारत के विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में वर्ष 2019 में, **उज्बेकिस्तान के समरकंद** में किया गया था।
- **अश्गाबात समझौता:** भारत ने मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य माल के परिवहन की सुविधा हेतु **अश्गाबात समझौते (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा)** को स्वीकृति प्रदान की है। इस समझौते के सदस्य देश हैं: **कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत और ओमान।**
- **तुर्कमेनिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI):** यह एक प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो **गलकीनाइश गैस क्षेत्र** (तुर्कमेनिस्तान) - हेरात - कंधार - मुल्तान - फाजिल्का (पाक-भारत सीमा) से होकर गुजरेगी।

3.2.1. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन

(Eurasian Economic Union)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस ने वर्ष 2020 तक **भारत** और **यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन** के मध्य एक **मुक्त व्यापार समझौता** संपन्न होने की संभावना प्रकट की है।

यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) के बारे में

- यह क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए **ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन** द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह संधि 1 जनवरी 2015 से लागू हुई थी।
- यह इस संधि और EEU द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत निर्धारित क्षेत्रों में समन्वित, सामंजस्यपूर्ण और एकल नीति के आधार पर वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी एवं श्रम के मुक्त आवागमन का प्रावधान करता है।
- यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन, EEU की कार्यकारी संस्था है।
- **सदस्य:** रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान (संस्थापक सदस्य) तथा आर्मेनिया और किर्गिस्तान।

4. भारत और पश्चिम एशिया

(India and West Asia)

4.1. भारत-सऊदी अरब

(India Saudi Arabia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब की यात्रा की गयी। भारतीय प्रधानमंत्री ने 29 से 31 अक्टूबर तक रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) में भाग लिया।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम

- एक **रणनीतिक साझेदारी परिषद** (Strategic Partnership Council: SPC) की स्थापना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ज्ञातव्य है कि भारत सऊदी अरब के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। SPC में निम्नलिखित दो समानांतर प्रभाग होंगे:
  - **राजनीतिक, सुरक्षा, संस्कृति और समाज;** जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की जाएगी; तथा
  - **अर्थव्यवस्था और निवेश;** जिसकी अध्यक्षता भारत के वाणिज्य मंत्री एवं सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- दोनों देशों द्वारा स्वापक पदार्थों की तस्करी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, सुरक्षा सहयोग आदि जैसे मुद्दों से संबंधित **12 समझौता ज्ञापनों (MoUs)** पर हस्ताक्षर किए गए।
- सऊदी अरब ने भारत को **'विज़न 2030'** के तहत अपने 8 रणनीतिक साझेदार देशों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। सऊदी अरब का विज़न 2030 तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने और देश की अर्थव्यवस्था को विविधिकृत करने की एक योजना है।

फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) क्या है?

- यह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा **सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने** और पेट्रोलियम उत्पादों पर इसकी निर्भरता को कम करने हेतु प्रारम्भ की गई एक पहल है।
- FII वस्तुतः वैश्विक समृद्धि और विकास के संचालन में निवेश की भूमिका पर चर्चा करने हेतु **नीति निर्माताओं, निवेशकों और वैश्विक विशेषज्ञों** को एकजुट करती है।
- FII को व्यापक रूप से **"दावोस इन द डेजर्ट"** (रेगिस्तान में दावोस) के रूप में वर्णित किया जा रहा है। यह अनौपचारिक संज्ञा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से व्युत्पन्न हुई है, जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न होता है।

4.2. फिलिस्तीन-भारत

(India-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क** के निर्माण हेतु **3 मिलियन डॉलर** की धनराशि का तीसरा अंश जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस पार्क के लिए भारत का निवेश, **12 मिलियन डॉलर** के भारतीय अनुदान के माध्यम से एक टेक्नो पार्क की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित समझौते का भाग है। ज्ञातव्य है कि इस हेतु प्रत्येक छमाही पर 3 मिलियन डॉलर जारी किए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य उद्योगों व उद्यमिता के लिए सुगम वातावरण स्थापित करना तथा निजी क्षेत्र एवं शैक्षिणिक समुदाय के मध्य ज्ञान के अंतराल को कम करना है।

VISION IAS

4.3. भारत-ईरान

(India-Iran)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और ईरान द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास में तीव्रता लाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

चाबहार बंदरगाह के बारे में

- इसे वस्तुओं और यात्रियों के मल्टी-मॉडल परिवहन हेतु **भारत, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- यह **ओमान की खाड़ी** में स्थित है।
- वर्ष 2017 में, भारत ने इस बंदरगाह के माध्यम से अफ़ग़ानिस्तान को गेहूं की अपनी प्रथम खेप भेजी थी।
- इसे पाकिस्तान में चीन की निवेश सहायता से विकसित किए जा रहे **ग्वादर पोर्ट** के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है और यह चाबहार से लगभग 80 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है।
- ईरान में चाबहार के **शाहिद बेहेस्ती** बंदरगाह के विकास एवं प्रबंधन हेतु **इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड** का गठन एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle: SPV) के रूप में किया गया है। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में कांडला पोर्ट ट्रस्ट) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संयुक्त रूप से SPV के रूप में की गई है।

4.4. कुर्द

(Kurds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सीरिया के उत्तरी हिस्सों में कुर्द लड़ाकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में तुर्की द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई।

विवरण

- **कुर्द विश्व का सबसे बड़ा राज्यविहीन नृजातीय** समूह है।
    - वे दक्षिणी एवं **पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, उत्तर-पूर्वी सीरिया, उत्तर-पश्चिमी ईरान तथा दक्षिण आर्मेनिया के कुछ हिस्सों** में रहते हैं। इनमें से प्रत्येक देश में यह समुदाय अल्पसंख्यक है। ये **जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लेबनान एवं पूर्वी ईरान में भी अल्प संख्या** में रहते हैं।
- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् एवं ऑटोमन साम्राज्य की पराजय के बाद, विजयी पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने **वर्ष 1920** की **सेव्रे की संधि** (Treaty of Sevres) में कुर्द राज्य का प्रावधान किया था।
- लेकिन वर्ष 1923 में हुई **लुसाने की संधि** (The Treaty of Lausanne) के तहत आधुनिक तुर्की की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया गया, जिसमें कुर्द राज्य के लिए कोई प्रावधान नहीं था तथा कुर्द जनसंख्या को अपने संबंधित देशों में मात्र अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया।

VISION

अन्य संबंधित तथ्य

इद्लिब (Idlib)

- यह उत्तर-पश्चिमी सीरिया में तुर्की की सीमा पर स्थित है।
- यह सीरियाई सरकार का विरोध करने वाले लड़ाकू बलों द्वारा नियंत्रित कुछ केंद्रों में से एक है।

1	चाबहार पत्तन, ईरान	भारत द्वारा भारत-अफ़ग़ानिस्तान-ईरान परिवहन और व्यापार गलियारे के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है
2	ग्वादर पत्तन, पाकिस्तान	चीन द्वारा विकसित
3	इद्लिब, सीरिया	सीरियाई सरकार का विरोध करने वाले लड़ाकू बलों द्वारा नियंत्रित अंतिम केंद्र
4	खुरैस ऑयल फिल्ड, सऊदी अरब	यहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया था
5	कुर्द अधिवासित क्षेत्र	तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया
7	जेद्दा, सऊदी अरब	इस्लामिक सहयोग संगठन का प्रशासनिक केंद्र
8	ज़हेदन, ईरान	भारत-अफ़ग़ानिस्तान-ईरान परिवहन और व्यापार गलियारे का हिस्सा
9	ज़रांज, अफ़ग़ानिस्तान	भारत-अफ़ग़ानिस्तान-ईरान परिवहन और व्यापार गलियारे का हिस्सा
10	देलाराम, अफ़ग़ानिस्तान	भारत-अफ़ग़ानिस्तान-ईरान परिवहन और व्यापार गलियारे का हिस्सा

11	दोहा, क़तर	यहां अमेरिकी-तालिबान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे
12	बाकू, अज़रबैजान	18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन
13	हाजीगक खदान, अफ़ग़ानिस्तान	भारत हाजीगक खानों से उत्खनित लौह अयस्क का निर्यात कर सकता है
14	दुक्म पत्तन, ओमान	भारत को सैन्य उद्देश्यों के लिए इस पत्तन का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हुई है

VISION IAS

5. भारत और अफ्रीका

(India And Africa)

5.1. अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र

(African Continental Free Trade Area)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अफ्रीकी संघ** द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते** (AfCFTA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

AfCFTA के बारे में

- **AfCFTA** विश्व का सबसे बड़ा FTA होगा, क्योंकि यह अंततः **1.2 बिलियन लोगों के लिए** एक **अफ्रीकी साझा बाजार (African Common Market) का सृजन करेगा** और इसकी **2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की GDP का वैश्विक प्रभाव होगा।**
- इसमें शामिल राष्ट्रों को सहमत परिवर्तनों को अपनाने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते को **जुलाई 2020** से लागू किए जाने की संभावना है।
- AfCFTA के कारण वर्ष **2022 तक अंतरा-अफ्रीकी व्यापार (intra-African trade) में 60% की वृद्धि** होगी।
- **AfCFTA,** वर्धित रोजगार की गुणवत्ता और मात्रा, राजकोषीय राजस्व में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार जैसे अन्य लाभों सहित **अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में अत्यावश्यक औपचारिकता को भी बढ़ावा देगा।**
- 55 में से 54 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 27 राष्ट्रों द्वारा इसकी अभिपुष्टि भी की गई है।

अफ्रीकी संघ (AFRICAN UNION: AU)

- AU एक **महाद्वीपीय निकाय** है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के **55 सदस्य राष्ट्र** शामिल हैं।
- इसका **सचिवालय अदिस अबाबा** (इथियोपिया) में अवस्थित है।
- इसे आधिकारिक रूप से **वर्ष 2002** में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में **"आर्गेनाईजेशन ऑफ़ अफ्रीकन यूनिटी"** के उत्तरवर्ती संस्था के रूप में लॉन्च किया गया था।
- AU को इसके **इस दृष्टिकोण** द्वारा निर्देशित किया जाता है कि : "अपने ही नागरिकों द्वारा संचालित और वैश्विक क्षेत्र में एक गतिशील बल का प्रतिनिधित्वव करने वाला एक एकीकृत, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण अफ्रीका।"
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और एक एकीकृत, समृद्ध तथा शांतिपूर्ण अफ्रीका के पैन अफ्रीकन विजन की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, **एजेंडा 2063** को अफ्रीका के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक एवं एकीकृत परिवर्तन के लिए एक रणनीतिक ढांचे के रूप में विकसित किया गया है।
- भारत द्वारा वर्ष 2019 में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नाइजर को **50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज** प्रदान किया गया था।

5.2. लीबिया समिट

(Libya Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लीबिया के भविष्य पर चर्चा करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में **रूस, अल्जीरिया, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका** के राष्ट्राध्यक्ष और विधि निर्माणकर्ता बर्लिन में एकत्रित हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सत्र का मुख्य लक्ष्य विदेशी शक्तियों के प्रभाव (यह हथियारों, सैनिकों या वित्तपोषण के माध्यम से हो सकता है) के माध्यम से इस क्षेत्र में चल रहे युद्ध को रोकने हेतु प्रयास करना है।

VISION IAS

* **प्रमुख समझौते:**
    * प्रतिभागियों ने **सशस्त्र संघर्ष या लीबिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त** की तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं से "ऐसा ही करने" का आग्रह किया।
* भागीदारों ने **शत्रुता के स्थायी निलंबन**, युद्ध की तीव्रता में कमी और संबंधित सभी पक्षकारों से एक स्थायी युद्धविराम की मांग की। भागीदारों ने संयुक्त राष्ट्र को युद्धविराम के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु "तकनीकी समितियों" की स्थापना हेतु आमंत्रित किया।
* इसके अंतर्गत लीबिया के सभी पक्षकारों से यह आग्रह किया गया कि वे लीबिया की आंतरिक समस्या के समाधान हेतु **यूनाइटेड नेशन सपोर्ट मिशन इन लीबिया (UNSMIL)** के तत्वावधान में चल रही लीबिया के समावेशी नेतृत्व और स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करें।

लीबिया संकट के बारे में

* **लीबिया** अफ्रीका के **माघरेब क्षेत्र** (अफ्रीका का उत्तर-पश्चिम क्षेत्र) में स्थित एक देश है।
* लीबिया वर्ष 1951 में एक किंगडम के रूप में स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1969 के सत्ता परिवर्तन से लेकर वर्ष 2011 के गृह-युद्ध तक मुअम्मर ग़द्दाफ़ी का शासन था।
* लीबिया संकट **वर्ष 2011 के अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों** के साथ शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक गृह-युद्ध का आरंभ हुआ, विदेशी सैन्य हस्तक्षेप देखने को मिला और अंततः जन समूह द्वारा तानाशाह मुअम्मर ग़द्दाफ़ी की हत्या कर दी गई।
    * **अरब स्प्रिंग** सरकार विरोधी प्रदर्शन, विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह की एक श्रृंखला थी जो वर्ष 2010 की शुरुआत में अरब जगत के अधिकांश भागों में विस्तारित हो गई थी।

6. सयुंक्त राज्य अमेरिका

(USA)

6.1. ट्रंप की भारत यात्रा

(Trump's Visit to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की राजकीय यात्रा की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप, भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका कूटनीतिक संबंधों के विगत सात दशकों में केवल भारत की यात्रा (stand-alone visit) पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं।

हालिया यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- विगत वर्ष ह्यूस्टन में आयोजित **'हाउडी, मोदी!'** की तर्ज पर अहमदाबाद में **'नमस्ते ट्रंप'** कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- भारत-अमेरिका द्वारा अपने संबंधों को **'व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी'** (Comprehensive Global Strategic Partnership) के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया।
- **US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन** ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु 600 मिलियन डॉलर की वित्तीयन सुविधा की घोषणा की है।
- **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग:** अमेरिका ने हिन्द महासागर क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता के तौर पर भारत की भूमिका की सराहना की। इसके अतिरिक्त, दोनों राष्ट्रों ने **तृतीय विश्व के देशों में सहयोग हेतु** अमेरिका के USAID (यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) और भारत के डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य एक नई साझेदारी आरंभ करने का निर्णय लिया।
- **रक्षा सहयोग:** अमेरिका ने **प्रमुख रक्षा भागीदार** (Major Defence Partner) के रूप में भारत की स्थिति की पुनर्पुष्टि की।
  - भारतीय नौसेना हेतु 2.6 बिलियन डॉलर मूल्य के **24 सीहॉक (MH-60 'रोमियो') एंटी-सबमरीन युद्धक हेलीकॉप्टर** और 800 मिलियन डॉलर मूल्य के **6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद समझौतों** को अंतिम रूप प्रदान किया गया।
- दोनों राष्ट्रों द्वारा अपनी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य एक नए **'काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप'** गठित करने तथा **'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग'** को पुनर्क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया।
  - दोनों पक्षों द्वारा **पाकिस्तान से सीमा-पार आतंकी खतरों को रोकने** तथा 26/11 के आतंकी हमलों और वर्ष 2011 के पठानकोट आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई।
- **वैश्विक नेतृत्व हेतु साझेदारी:** अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रस्तावित सुधारों के संदर्भ में भारत की स्थायी सदस्यता तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की शीघ्रताशीघ्र सदस्यता हेतु अपने समर्थन की पुनर्पुष्टि की।
  - दोनों देशों द्वारा **ब्लू डॉट नेटवर्क** की अवधारणा में अपनी रूचि प्रकट की गई।
  - अमेरिका ने **अफ़ग़ानिस्तान** में विकास और सुरक्षा सहायता तथा कनेक्टिविटी प्रदान करने में भारत की भूमिका का स्वागत किया।

ब्लू डॉट नेटवर्क

- ब्लू डॉट नेटवर्क को 35वें आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन के दौरान **संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान** द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह **ऑस्ट्रेलिया, जापान** एवं **US ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन** की एक संयुक्त परियोजना है।
- इसके माध्यम से 'गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश हेतु G-20 सिद्धांतों' की तर्ज पर लोक परामर्श, वित्त पोषण में पारदर्शिता, ऋण जाल और आधारभूत पर्यावरणीय मानदंडों सहित **विविध मापदंडों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।**

VISION IAS

- मानदंडों का पूर्ण अनुपालन करने वाली परियोजनाओं को **"ब्लू डॉट" प्रमाण-पत्र** प्रदान किया जाएगा, जिससे वे **निजी निवेश आकर्षित** करने में सक्षम हो सकेंगी तथा इनकी केवल सरकारी वित्तीयन पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।
- इसे **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के तहत **चीन की 'प्रिडेटरी लेंडिंग'** (शोषणकारी शर्तों पर ऋण प्रदान करना) तथा **ऋण जाल कूटनीति के एक विकल्प** के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह व्यवस्था इस पहल के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाएगी।
- **BRI से तुलनात्मक विभेद:**
    - **BRI के तहत अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं हेतु प्रत्यक्षत: वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।** ब्लू डॉट में प्रत्यक्ष वित्त आपूर्ति को शामिल नहीं किया गया है। इसके बजाए यह अवसंरचनात्मक मानकों के आधार पर निजी निवेश को आकर्षित करेगा।
    - ब्लू डॉट नेटवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं की ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) के संबंध में विविध हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता होगी।

6.2. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता

(India-US 2+2 Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का द्वितीय संस्करण वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में आयोजित किया गया।

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बारे में

- यह 2+2 वार्ता, भारत और अमेरिका के **विदेश एवं रक्षा मंत्रियों** की एक आधिकारिक बैठक है।
- **2+2 वार्ता की अवधारणा वर्ष 2017 में** प्रतिपादित की गई थी। इस वार्ता तंत्र का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और आतंकवाद आदि के संबंध में भारत व अमेरिका के मध्य परस्पर संबंधों तथा उनकी भूमिका को प्रभावित करने वाले रक्षा, व्यापार एवं नीतियों से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों की भागीदारी में वृद्धि करना है।
- **भारत-अमेरिका '2+2' वार्ता का प्रथम संस्करण** सितंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

इस वार्ता के प्रमुख परिणाम

- **इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी एनेक्स (ISA) पर हस्ताक्षर:** यह अमेरिकी हथियार विनिर्माताओं को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के संगत साझेदारों के साथ भी **संवेदनशील तकनीकों को स्थानांतरित करने में सक्षम** बनाएगा।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (DTTI) हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure: SOP) को अंतिम रूप:** यह DTTI के तहत परियोजनाओं की पहचान, विकास और निष्पादन के लिए दोनों पक्षों की प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करेगा।
- **आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना हेतु गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** संयुक्त राज्य अमेरिका ने CDRI का संस्थापक सदस्य बनने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है।
- **अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग:** दोनों पक्ष अंतरिक्ष मलबे तथा अंतरिक्ष ट्रैफिक प्रबंधन सहित **अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता (Space Situational Awareness: SSA)** हेतु सूचनाओं के विनिमय में सहयोग करने हेतु सहमत हुए हैं।
    - SSA वस्तुतः कक्षा में पिंडों की निगरानी तथा किसी भी निर्दिष्ट समय में उनकी अवस्थिति के बारे में पूर्वानुमान जारी करने की स्थिति को संदर्भित करता है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर:** यह **वर्ष 2005 के समझौते** को अद्यतित एवं प्रतिस्थापित करता है तथा दोनों देशों के मध्य सहयोग हेतु एक ढांचा प्रदान करता है।
- **यंग इनोवेटर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम (YIIP):** यह माध्यमिक शिक्षा उपरांत स्तर पर एवं हाल ही में स्नातक हुए भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में अल्पकालिक इंटर्नशिप हेतु अवसर सृजित करेगा।

VISION IAS

6.3. नाटो सहयोगी का दर्जा

(NATO Ally-Like Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ने भारत के साथ अपनी प्रमुख रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ और संवर्धित करने हेतु वित्त वर्ष 2020 के लिए **नेशनल डिफेंस ऑथोराईजेशन एक्ट (NDAA)** में एक संशोधन को पारित किया है। वित्त वर्ष 2020 के लिए NDAA के पाठ के दोनों संस्करणों को वर्तमान में एक संयुक्त समिति द्वारा समेकित किया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- NDAA के अधिनियमित होने के पश्चात् यह सुनिश्चित हो सकेगा कि अमेरिकी विदेश विभाग शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के साथ एक गैर-सदस्यीय नाटो सहयोगी के समान व्यवहार करेगा।
- **इस कदम से भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:**
    - यह अधिनियम भारत को अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) के साथ साझा-लागत के आधार पर **सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं** में साझेदार बनने हेतु सक्षम बनाता है।
    - यह डीप्लिटिड **यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स** की खरीद को सक्षम बनाता है।
    - यह अधिनियम जहाजों और सैन्य रसद की प्रदायगी के संदर्भ में **भारत को प्राथमिकता** प्रदान करता है।
    - अमेरिकी सैन्य अड्डों के बाहर रखे गए रक्षा विभाग के स्वामित्व वाले उपकरणों के **युद्धक आरक्षित भंडार** को धारित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह भारत पर किसी प्रकार की प्रतिबद्धता आरोपित नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों को संगठन (नाटो) का वित्तपोषित करना पड़ता है। इसके विपरीत, MNNA (प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी) तथा नाटो सहयोगी राष्ट्र अमेरिका के साथ केवल रणनीतिक कार्यकारी साझेदारी (strategic working partnerships) में शामिल होते हैं।

6.4. बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट

(Basic Exchange and Cooperation Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हल ही में, भारत और अमेरिका द्वारा **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)** के शीघ्र संपादन हेतु कार्य करने पर सहमति प्रकट की गई है।

BECA के बारे में

- यह भारत के अमेरिका के साथ चार 'आधारभूत' (foundational) या सक्षमकारी (enabling) समझौतों में से एक है। इसका उद्देश्य सैनिकों के मध्य अन्तरसंक्रियता (interoperability) को बेहतर बनाने और अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्मों के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करना है।
- BECA भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने हेतु स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम तथा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों को सटीक रूप से लक्षित करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- अमेरिका और भारत के मध्य हस्ताक्षर किए जा चुके अन्य "आधारभूत" समझौते:
    - **वर्ष 2002 में में हस्ताक्षरित "जनरल सिक्युरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट" (GSOMIA):** यह दोनों देशों के मध्य सैन्य आसूचनाओं के सहभाजन को सक्षम बनाता है तथा प्रत्येक देश को दूसरे देश की गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा करना अपरिहार्य बनाता है।
    - **वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित "लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट" (LEMOA):** यह दोनों राष्ट्रों की सेना को पुनः आपूर्ति या मरम्मत के लिए (carrying out repairs) एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति (बाध्यकारी नहीं) प्रदान करता है।
    - **वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित "कम्युनिकेशंस कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट" (COMCASA):** यह दोनों देशों को अनुमोदित उपकरणों पर सुरक्षित संचार और विनिमय सूचना साझा करने में सक्षम बनाता है।

VISIONIAS

6.5. क्वाड

(QUAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर **पहली बार "मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए"** अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश **मंत्री स्तर की चतुष्पक्षीय वार्ता** आयोजित की गई।

क्वाड के बारे में

- **चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद** (Quadrilateral Security Dialogue अथवा क्वाड) वस्तुतः **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **भारत** के मध्य आयोजित एक **रणनीतिक संवाद** है। हालांकि, यह (क्वाड) संवाद वर्तमान में अनौपचारिक वार्ता तंत्र का एक प्रकार है, लेकिन यह उत्तरोत्तर औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है।
- इस वार्ता की शुरुआत वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। हालांकि, वर्ष 2017 के आसियान सम्मेलन के दौरान सभी चारों पूर्व-सदस्यों द्वारा चतुष्पक्षीय गठबंधन को पुनर्जीवित करने हेतु वार्ता की गई।
- इस बैठक से पूर्व क्वाड के सदस्य केवल **संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारियों के स्तर पर** वार्ता में संलग्न थे।
- **उद्देश्य:** ऐसे एकल तंत्र एवं एकल संरचना को विकसित करना, जो **मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र** को बढ़ावा देने वाले अन्य साधनों के पूरक तथा अनपूरक के रूप में कार्य करेंगे।
    - आतंकवाद-रोधी, परामर्श, आपदा राहत में सहायता, एयरटाइम (वायु) सुरक्षा, सहयोग, विकास, वित्त और साइबर सुरक्षा प्रयासों के संबंध में समूह की साझा प्रतिबद्धताओं एवं **घनिष्ठ सहयोग** पर सामूहिक चर्चा करना।

6.6. भारत विकासशील देशों की सूची से बाहर

(India Out of Developing Countries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका ने भारत को अपनी विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत, कोई भी **देश स्वयं को एक विकासशील देश के रूप में "स्व-नामित" (self-designate) कर सकता है।**
- किंतु, **यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR)** ने निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले देशों को विकासशील देशों की सूची से बाहर करने वाली कार्यप्रणाली को अपनाया है:
    - विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 12,375 डॉलर से अधिक है या जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) अथवा G20 के सदस्य हैं, या जिन्हें विश्व बैंक द्वारा "उच्च आय श्रेणी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है या जिनकी वैश्विक पण्य व्यापार में 0.5% से अधिक की हिस्सेदारी है।
    - इसलिए, **भारत** (ब्राजील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों के साथ) को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है।
- अमेरिका अब व्यापार व्यवहार और शुल्क रियायतों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से भारत के साथ एक विकसित देश के रूप में व्यवहार करेगा।

6.7. एच-1बी और H-4 वीजा

(H-1B and H-4 visa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा "बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन" (Buy American and Hire American) के शासकीय आदेश के माध्यम से H-1B वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को कठोर बना दिया गया है। साथ ही, H-4 वीजा जारी करने की दर में भी गिरावट हुई है।

VISION IAS

एच-1बी और H-4 वीजा के बारे में

- **H-1B वीजा** अमेरिकी कंपनियों को अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों को (विशेष व्यवसायों में) तीन वर्ष के लिए नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसे छह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले वीजा की सीमा 85,000 निर्धारित की गई है, परन्तु कुछ नियोक्ताओं, जैसे- विश्वविद्यालय और गैर-लाभकारी अनुसंधानकर्ताओं को छूट प्रदान की गई है।
- वर्ष 2018 में जारी किए गए कुल H-1B आवेदनों में से 74 प्रतिशत भारतीयों द्वारा किए गए थे। इसलिए, **वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को कठोर बनाने से भारतीय आवेदक सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।**
- **H-4 वीजा,** H-1B श्रमिकों के निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों, जैसे जीवन-साथी एवं बच्चों आदि को जारी किया जाता है।

VISION IAS

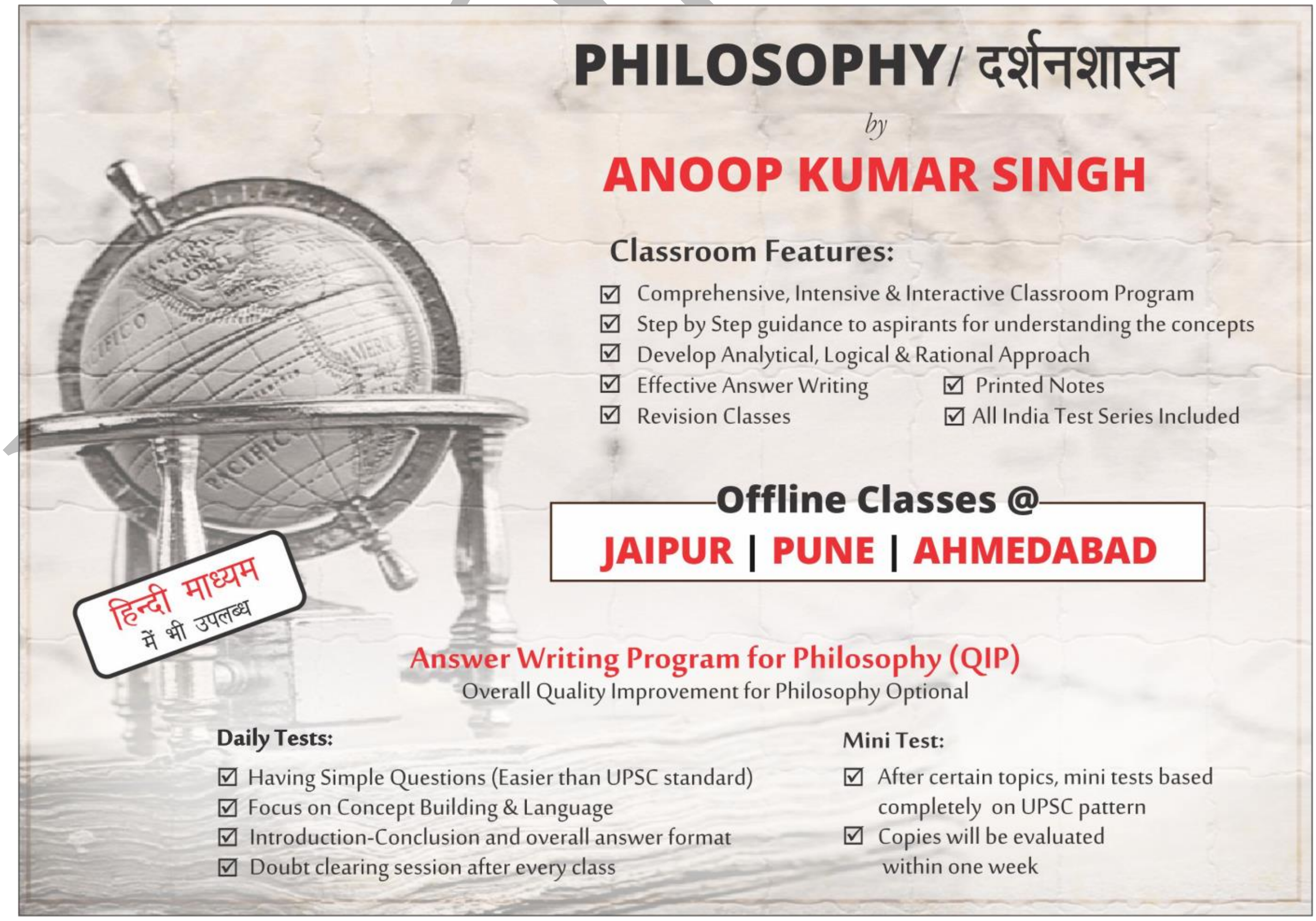

7. यूरोप

(Europe)

7.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध

(India-United Kingdom Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-UK **संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (Joint Economic and Trade Committee: JETCO)** की **13वीं** बैठक **लंदन** में आयोजित की गई।

भारत-यूनाइटेड किंगडम JETCO के बारे में

- भारत-यूनाइटेड किंगडम **JETCO की स्थापना वर्ष 2005** में की गई थी, ताकि एक **रणनीतिक आर्थिक संबंध विकसित** किया जा सके तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यापार-आधारित साधनों का विकास किया जा सके।
- JETCO द्वारा प्रति वर्ष **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** स्तर पर भारत-UK व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की जाती है।
- हाल की बैठक में भारत और UK ने खाद्य एवं पेय पदार्थों, स्वास्थ्य देखभाल व डेटा सेवाएं जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित व्यापार बाधाओं को समाप्त करने हेतु तीन नए द्विपक्षीय कार्यकारी समूहों को गठित के लिए सहमति व्यक्त की है।

भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंधों में हालिया विकासक्रम

- **एक्सेस इंडिया प्रोग्राम:** UK के लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सितंबर 2017 में **'एक्सेस इंडिया प्रोग्राम (AIP)'** की शुरुआत की थी। .
  - AIP प्रोग्राम का प्राथमिक फोकस भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों पर है अर्थात् ऐसी कंपनियां जो 'मेक इन इंडिया' पहल के भाग के रूप में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने की इच्छुक हैं।
- **रुपया मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड:** जुलाई 2016 से लंदन में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक के रुपए-मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड जारी किए जा चुके हैं। HDFS, NTPC, NHAI आदि ने ये बॉण्ड जारी किए हैं।
- **ग्रीन बॉण्ड:** भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) ने ग्रीन बॉण्ड जारी कर 500 मिलियन डॉलर की राशि उगाही है। IRFC ने इन बॉण्ड्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराया है।
- **वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान:** वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत वाराणसी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास हेतु नई तकनीकी सहायता को UK द्वारा विस्तारित किया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल को समर्थन प्रदान करना:** एक 'स्टार्ट-अप इंडिया वेंचर कैपिटल फंड' हेतु अतिरिक्त 20 मिलियन पाउंड के निवेश के अलावा, UK द्वारा 75 स्टार्ट-अप उद्यमों में 160 मिलियन पाउंड का निवेश किया जाएगा।
- **फर्स्ट बॉण्ड इंडेक्स सीरीज:** भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए 22 सितंबर 2017 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में भारत की फर्स्ट बॉण्ड इंडेक्स सीरीज की शुरूआत की।

7.2. भारत-जर्मनी संबंध

(India-Germany Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और अपने मंत्रिमंडल के साथ **द्विवार्षिक अंतर-सरकारी परामर्श (IGC)** के पांचवें दौर की वार्ता के लिए भारत की यात्रा संपन्न की गई।

VISION IAS

इस यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम

- **ग्रीन अर्बन मोबिलिटी** पर भारत-जर्मनी भागीदारी के प्रयोजनार्थ संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया, जिसके तहत जर्मनी 1 बिलयन यूरो का अतिरिक्त वित्त प्रदान करेगा।
- दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रिड विस्तार एवं भंडारण प्रणालियों तथा वन भूमियों के पुनरुद्धार हेतु **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल** के द्विपक्षीय आह्वान के तहत **35 मिलियन यूरो** के एक भाग को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
- जर्मनी में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए "ए न्यू पैसेज टू इंडिया" (ANPtI) नामक एक समग्र कार्यक्रम के भाग के रूप में **"इंडो-जर्मन पार्टनरशिप ऑन हायर एजुकेशन"** पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- दोनों देशों ने आतंकी अवसंरचना को नष्ट करने और आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए सभी देशों के सहयोग का आह्वान किया।
- जर्मनी सैन्य उपकरणों के निर्यात के साथ-साथ भारतीय और जर्मन नौसैनिक उद्योगों (जैसे- पनडुब्बियों) के मध्य समुद्री परियोजनाओं सहित भारत के साथ **प्रौद्योगिकी साझा** करने की सुविधा प्रदान करेगा।

7.3. भारत-फ्रांस

(India-France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा ने भारत-फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

भारत फ्रांस संबंधों में हालिया विकास

- हालिया यात्रा में, **क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सास्केल सुपर कंप्यूटिंग** के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने हेतु **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग** और **एटोस** (फ्रांस स्थित एक IT कंपनी) के मध्य **सहयोग समझौते** (Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर हुए।
- दोनों देशों ने **म्युचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को भारतीय तटों पर लौटने के लिए ऑपरेशनल टर्नअराउंड हेतु पुन: ईंधन भरने के लिए जिबूती स्थित फ्रांसीसी नौसैन्य अड्डे तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।
- दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी के लिए एक उपग्रह समूह (constellation) के भाग के रूप में **8-10 उपग्रहों के प्रक्षेपण** की योजना बनाई है।
- फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने **वर्ष 2022 तक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान (गगनयान)** के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बायो-ऐस्ट्रनॉटिक्स के लिए इसरो (ISRO) के साथ एक समझौता किया है।
- **भारत में रेलवे स्टेशन विकास कार्यक्रम की सहायतार्थ** भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) ने फ्रेंच नेशनल रेलवेज़ (SNCF) और AFD (एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता संपन्न किया।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक संयुक्त विज़न पर हस्ताक्षर किए गए थे।

7.4. काउंसिल ऑफ़ यूरोप

(Council of Europe)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **काउंसिल ऑफ़ यूरोप** की पार्लियामेंट्री असेंबली ने रुस के मतदान अधिकारों को पुनर्बहाल करने के पक्ष में मतदान किया है। उल्लेखनीय है कि रुस द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप के अवैध अधिग्रहण के कारण, इसके मतदान अधिकारों को वापस लिए जाने के पांच वर्ष पश्चात् इसके मतदान अधिकारों को पुनर्बहाल किया जाएगा।

VISION IAS

काउंसिल ऑफ़ यूरोप के बारे में

- **काउंसिल ऑफ़ यूरोप,** यूरोपीय महाद्वीप में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ मानवाधिकारों का संरक्षण तथा विधि के शासन को बनाएं रखने हेतु स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1949 में **ट्रीटी ऑफ़ लंदन** के द्वारा की गई और वर्तमान में इसके 47 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के 28 सदस्य राष्ट्र भी सम्मिलित हैं।
- **यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स** इस काउंसिल का एक भाग है तथा इसे वर्ष 1953 में यूरोपीय कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स (जिसे बनाए रखने हेतु सभी सदस्य प्रतिबद्ध हैं) को प्रवर्तित करने हेतु प्रभारित किया गया।
- परिषद में सभी **सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री तथा सदस्य विधि-निर्माताओं की एक संसदीय सभा** सम्मिलित हैं।

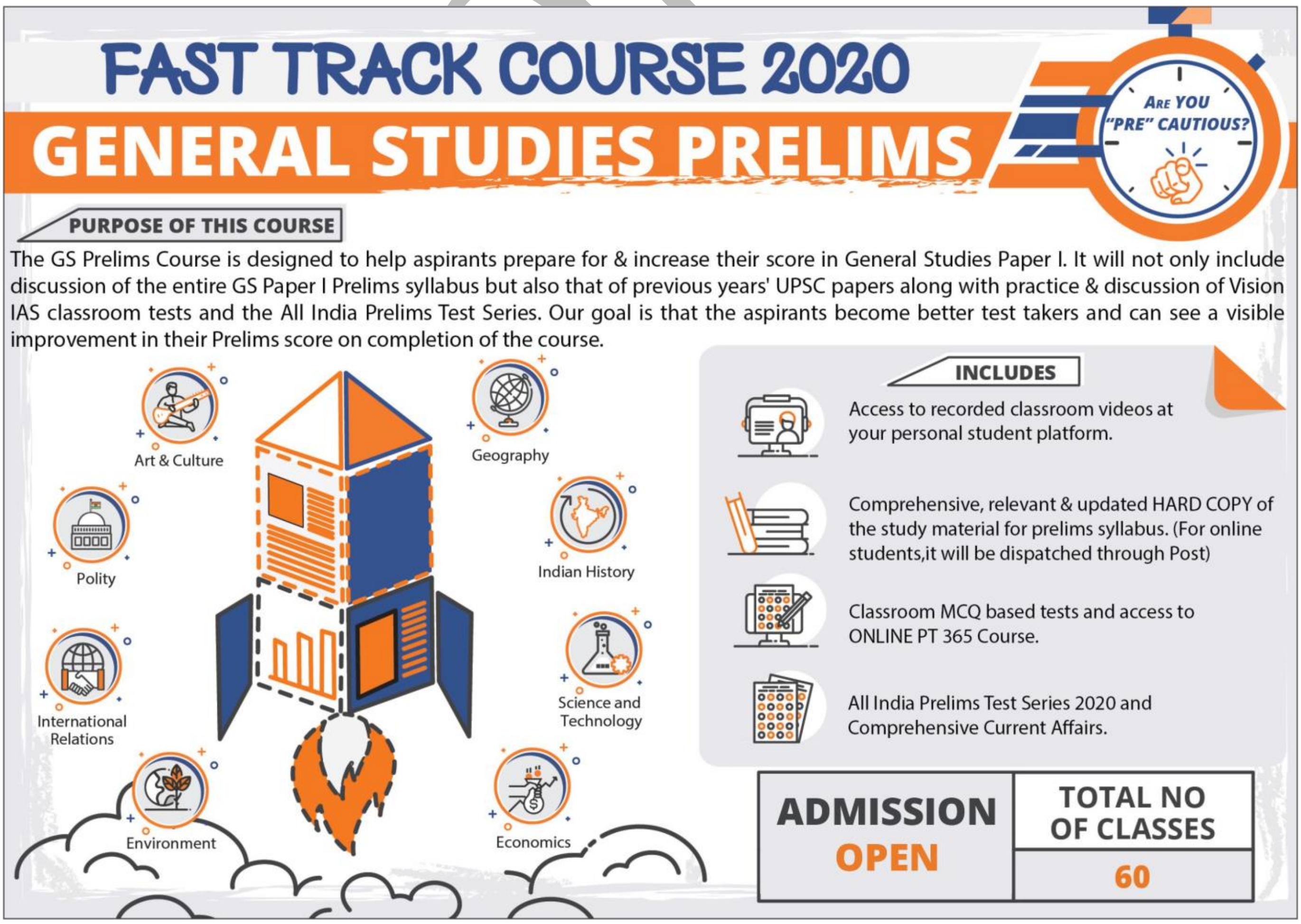

8. अंतर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थान

(International Organization/ Institutions)

8.1. संयुक्त राष्ट्र

(United Nations)

8.1.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट

(UNSC Non-Permanent Seat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021-22 के 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु **55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह** के सभी देशों द्वारा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक अस्थायी सीट** के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया है।

UNSC की सदस्यता

- पांच स्थायी सदस्यों के साथ UNSC में दस अस्थायी सदस्य भी होते हैं। आवर्ती एवं क्षेत्रीय आधार पर इन अस्थायी सीटों की सदस्यता हेतु चयन किया जाता है।
- **पांच स्थायी सदस्य:** चीन, फ्रांस, रुस, ब्रिटेन और अमेरिका।
- **10 अस्थायी सीटों** को **क्षेत्रीय आधार** पर निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है:
  - अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए **पांच** सीट;
  - पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए **एक** सीट;
  - लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों के लिए **दो** सीट; तथा
  - पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए **दो** सीट।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 193 सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु UNSC के पाँच अस्थायी सदस्यों** का चयन किया जाता है। पहले से चयनित सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 5 नए सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है।
- चयनित होने के लिए, एक उम्मीदवार को **उस सीट के लिए डाले गए सभी मतों का कम से कम दो-तिहाई मत प्राप्त** करना होता है। हालाँकि, दो उम्मीदवारों को लगभग समान मत प्राप्त होने की स्थिति में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
- **उसी वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने वाले सदस्य देश पुन:निर्वाचन के लिए पात्र नहीं** होते हैं।
- वर्ष 2020 के चुनावों में **एशिया-प्रशांत समूह से एक सदस्य** को UNSC में अस्थायी सीट पर **नामित** किया जाना है।
- वर्तमान 10 अस्थायी सदस्य देशों में **बेल्जियम, कोट डी आइवरी, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, जर्मनी, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरु, पोलैंड** और **दक्षिण अफ्रीका** शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

UNSC सुधार एजेंडा के घटक

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित **पांच समुच्चयों** के अंतर्गत सुधार एजेंडा की पहचान की गई है:

1. सदस्यता की श्रेणियाँ;
2. वीटो का प्रश्न;
3. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व;
4. विस्तारित परिषद का आकार और इसकी कार्य प्रणाली; तथा
5. सुरक्षा परिषद-महासभा संबंध।

VISION IAS

भारत का UN रोडमैप

- भारत पहले से ही UNSC में **सात बार** अस्थायी सदस्य के रुप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुका है।
- वर्ष 2013 के अंत में ही भारत ने वर्ष 2021-22 के कार्यकाल (सीट) हेतु अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। UNSC की इस सीट हेतु **अफ़ग़ानिस्तान** एक प्रबल दावेदार था। परन्तु **"दीर्घकाल से दोनों देशों के मध्य स्थायी व घनिष्ठ संबंधों"** के आधार पर एवं भारत की उम्मीदवारी पक्ष को मजबूती प्रदान करने हेतु अफ़ग़ानिस्तान द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया गया।

8.1.2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(UN Human Rights Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)** हेतु **14 राष्ट्रों** का चयन किया है।

UNHRC के बारे में

- **मार्च 2006** में **सयुंक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था के तौर पर इसका गठन किया गया था।
- मानवाधिकार परिषद में **47 निर्वाचित सदस्य राष्ट्र शामिल** हैं।
- समान भौगोलिक वितरण के आधार पर, **परिषद की सीटें पांच क्षेत्रीय समूहों में निम्नलिखित प्रकार से आवंटित की गयी हैं-** अफ्रीकी देशों की 13 सीटें, एशिया-प्रशांत देशों की 13 सीटें; पूर्वी यूरोपीय देशों की 6 सीटें; लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियन देशों की 8 सीटें; तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देशों की 7 सीटें।
- सदस्यों का चयन महासभा द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है।
- ये सभी 14 सदस्य **1 जनवरी 2020 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष के कार्यकाल तक सेवारत** रहेंगे।
- वर्तमान में, **भारत UNHRC का निर्वाचित सदस्य है।** वर्ष 2018 में अमेरिका द्वारा UNHRC से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया गया था।

8.1.3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना

(UN Peacekeeping Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, साउथ सूडान में तैनात भारतीय शांति सैनिकों ने प्रतिष्ठित **यू.एन. मेडल** (संयुक्त राष्ट्र पदक) प्राप्त किया।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में

- यू.एन. पीसकीपिंग वस्तुतः संघर्षरत देशों में दीर्घस्थायी शांति स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित एक उपाय है।
- **प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन** मई 1948 में तब स्थापित किया गया था, जब इजरायल और उसके अरब पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य युद्धविराम समझौते की निगरानी हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों के परिनियोजन को अधिकृत किया था।
- **यू.एन. पीसकीपिंग (संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान) के सिद्धांत:**
  - पक्षकारों की सहमति;
  - निष्पक्षता;
  - आत्म-रक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति में बल प्रयोग नहीं;
- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का वित्तीयन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक अंशदान से होता है।
- शांति अभियानों के संचालन, प्रबंधन या प्रसार के संबंध में निर्णय **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा लिए जाते हैं।
- भारत ने **विगत 70 वर्षों में 50 से अधिक यू.एन. पीसकीपिंग मिशन** के लिए **2 लाख** से अधिक सैन्य एवं पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए हैं।

VISION IAS

- विगत 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में भारत के ही सर्वाधिक सैनिक शहीद हुए हैं। इस दौरान भारत से 168 सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मी अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले पदक
- **डेग हम्मरस्कॉल्ड पदक (Dag Hammarskjöld Medal):** शांति अभियान में शहीद हुए सैनिकों को **मरणोपरांत** प्रदत्त सम्मान।
- **कैप्टन म्बाए डियांगे (Captain Mbaye Diagne) पदक:** इससे उन सैन्य, पुलिस एवं असैन्य संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संबद्ध कर्मियों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने असामान्य साहस का प्रदर्शन किया हो।
- **सयुंक्त राष्ट्र पदक:** इससे **संयुक्त राष्ट्र की सेवा में कार्यरत** सैन्य कर्मियों और नागरिक पुलिस को सम्मानित किया जाता है।

8.1.4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावास

(UN Habitat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को प्रथम संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा (UN-हैबिटैट असेंबली) के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया।

इस सत्र के बारे में
- संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा का प्रथम सत्र **नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास के मुख्यालय** में आयोजित किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा की विशेष थीम **"इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ़ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़"** है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (United Nations Sustainable Development Group)
- वर्ष 1997 में गठित यह समूह, विकासात्मक भूमिका में संलग्न व संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध वित्त-पोषण संस्थाओं, कार्यक्रमों, विशिष्ट एजेंसियों, विभागों और कार्यालयों का एक संघ है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा विभिन्न देशों के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के विकास गतिविधियों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए गठित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास के बारे में
- **UN ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम (अथवा यू.एन. हैबिटैट)** वस्तुतः मानव बस्तियों एवं संधारणीय शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट कार्यक्रम है।
- वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में आयोजित ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट (हैबिटेट-I) पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप वर्ष 1978 में इसकी स्थापना की गयी।
- यह सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को प्रोत्साहित करने हेतु अधिदेशित है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत शहरीकरण एवं मानव बस्ती से जुड़े सभी मुद्दों के लिए केंद्र बिंदु है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के अंतर्गत अब तक तीन सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं:

हैबिटैट I	हैबिटैट II	हैबिटैट III
• **प्रथम UN कांफ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, वैंकूवर (1976)।** • **वैंकूवर घोषणा-पत्र** में **अनियंत्रित शहरीकरण की स्थितियों** को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक चिन्तन के	• **द्वितीय UN कांफ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, इस्तांबुल (1996)।** • **ऐन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड: द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स 1996** नामक रिपोर्ट शहरों को विकास रणनीतियों में सबसे अग्रणी	• **तृतीय UN कांफ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट सेटलमेंट्स (2016) क्विटो, इक्वाडोर।** • इसने **द न्यू अर्बन एजेंडा** अपनाया, जो शहरों में निर्माण, प्रबंधन और निवास

VISION IAS

मूल सिद्धांतों के साथ स्थानिक योजना को संयोजित करके मानव बस्तियों की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया गया।	भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता और निर्धनता एवं निम्नस्तरीय आवास की बढ़ती समस्याओं के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु जारी की गयी थी।	के तरीके पर पुनर्विचार करके धारणीय शहरी विकास को प्राप्त करने हेतु वैश्विक मानकों को स्थापित करने वाला एक कार्य-उन्मुख दस्तावेज है।

8.2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

(International Court of Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने **वियना कन्वेंशन** के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

विवरण	**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ)**	**अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court: ICC)**	**स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration: PCA)**
स्थापना वर्ष	1946	2002	1899
संयुक्त राष्ट्र से संबंध	इसे सामान्यत: **विश्व न्यायालय** भी कहा जाता है। **यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायिक निकाय** है।	यह संयुक्त राष्ट्र से पृथक एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा संदर्भित मामलों की सुनवाई करता है और संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई या संदर्भ के बिना अभियोग आरंभ कर सकता है।	यह भी संयुक्त राष्ट्र से पृथक एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। यह संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है, परन्तु यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है।
मुख्यालय	हेग (नीदरलैंड) स्थित पीस पैलेस	हेग (नीदरलैंड)	हेग (नीदरलैंड) स्थित पीस पैलेस
अधिकारक्षेत्र	संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों (अर्थात राष्ट्रीय सरकार) पर	अपने सदस्य राष्ट्रों पर	इसके अधिकार क्षेत्र में सदस्य राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या निजी पक्षकार सम्मिलित हैं।
मामलों के प्रकार	(1) सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद (2) परामर्श प्रदान करना	व्यक्तियों का आपराधिक अभियोजन	अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण।
विषय-वस्तु	संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधि उल्लंघन, संधि की व्याख्या और अन्य मामले।	नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता संबंधी अपराध (crimes of aggression)	प्रादेशिक और समुद्री सीमाएँ, संप्रभुता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय व्यापार।

VISION IAS

प्राधिकृत करने वाले विधिक तंत्र	संयुक्त राष्ट्र (U.N.) के चार्टर को अंगीकार करने वाले राष्ट्र, अनुच्छेद 93 के तहत ICJ संविधि के पक्षकार बन जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य देश भी ICJ संविधि को अंगीकृत कर ICJ के पक्षकार बन सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के लिए किसी भी विवादास्पद मामले में स्पष्ट समझौते, घोषणा या संधि खंड के तहत अपनी सहमति देना अनिवार्य।	**रोम संविधि** (भारत ने इस संविधि पर हस्ताक्षर **नहीं** किए हैं)	मध्यस्थता प्रक्रिया के नियमों को वर्ष 1899 के हेग कन्वेंशन (वर्ष 1907 में संशोधित) में रेखांकित किया गया है।
अपील	ICJ के निर्णय के संबंध में अपील का प्रावधान नहीं है। विवादास्पद मामले में ICJ का निर्णय **सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है।** यदि कोई राष्ट्र निर्णय का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके पास प्रवर्तन के संबंध में समीक्षा, अनुशंसा और निर्णय लेने का अधिकार होता है।	**अपील चैंबर** का प्रावधान है। रोम संविधि का अनुच्छेद 80 एक दोषमुक्त प्रतिवादी की लंबित अपील की सुनवाई की अनुमति प्रदान करता है।	PCA में भी अपील का प्रावधान नहीं है। इसके निर्णय सदस्यों पर **बाध्यकारी** होते हैं और इसके विरुद्ध अपील के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशंस, 1963

- यह स्वतंत्र देशों के मध्य कांसुलर संबंधों के दिशा-निर्देशों को परिभाषित करता है।
- एक कांसुल सामान्य तौर पर एक अन्य देश में दूतावास से बाहर संचालित होता है और दो कार्य करता है: (1) कांसुलर देशों और देशवासियों के हितों की रक्षा करना तथा (2) दोनों देशों के मध्य वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना।
- उन्हें अधिकांशत; समान विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें **कांसुलर इम्युनिटी** नामक विविध कूटनीतिक उन्मुक्तियाँ भी शामिल हैं, परन्तु ये सुरक्षाएं व्यापक नहीं हैं।

वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस, 1961

- यह वर्ष 1961 में हस्ताक्षरित एक **अंतर्राष्ट्रीय संधि** है, जो स्वतंत्र देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- यह एक **राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों** को निर्दिष्ट करती है, जो राजनयिकों को मेजबान देश द्वारा बिना किसी दबाव या उत्पीड़न के भय के उनको अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सक्षम बनाता है।
- यह राजनयिक उन्मुक्ति के लिए विधिक आधार का निर्माण करता है।
- **भारत उपर्युक्त दोनों कन्वेंशनों का पक्षकार है।**

8.3. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO) में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- यह एक बहुपक्षीय संधि है जो सभी प्रकार के **परमाणु परीक्षणों (असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों हेतु) को सभी प्रकार के परिवेशों में प्रतिबंधित** करती है।
- आरंभ में जब इस संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु विभिन्न राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था, तब से ही भारत ने इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति के आधार पर **कभी भी इसका समर्थन नहीं** किया।
- इसे वर्ष 1996 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत** किया गया एवं देशों को हस्ताक्षर करने हेतु आमंत्रित किया गया। अब तक **184 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और उनमें से 168 ने इसकी अभिपुष्टि (अनुसमर्थन) भी कर दी है**। इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश घाना है (14 जून 2011)।
- यह संधि तब अस्तित्व में आएगी जब परमाणु क्षमता एवं अनुसंधान रिएक्टर वाले सभी **44 देशों** द्वारा इस पर हस्ताक्षर एवं इसका अनुसमर्थन कर दिया जाएगा।
    - **भारत, उत्तर कोरिया** और **पाकिस्तान** ने इस संधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसका अनुसमर्थन किया है; जबकि चीन, मिस्र, ईरान, इजरायल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं किंतु अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
- इस संधि को परिचालित करने हेतु, कुछ उपाय किए गए हैं ताकि देशों के मध्य विश्वास बहाली हो सके, जैसे-
    - **CTBTO हेतु प्रिपेरटॉरी कमीशन** की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। यह इस संधि को अस्तित्व में लाने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। इस हेतु इसने एक सत्यापन व्यवस्था की शुरुआत की है तथा इसके अंतर्गत यह इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS) का भी संचालन करता है।
    - **CTBT सत्यापन व्यवस्था (CTBT verification regime):** इसका उद्देश्य इस ग्रह पर होने वाले परमाणु परीक्षणों की नियमित निगरानी करना तथा प्राप्त निष्कर्षों को सदस्य देशों के साथ साझा करना है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
        - **इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम (IMS);**
        - **इंटरनेशनल डेटा सेंटर (IDC)** ;और
        - **ऑन-साइट निरीक्षण (OSI)**।

अभी तक भारत के CTBTO में शामिल न होने के कारण

- **CTBT विश्व को स्थायी रूप से परमाणु तकनीक से युक्त (haves) एवं रहित (haves-nots) राष्ट्र के रूप में विभाजित करता है,** क्योंकि यह न्यूक्लियर पॉवर स्टेट्स (परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों) का पक्षसमर्थन करता है।
- मौजूदा परमाणु हथियारों की समाप्ति हेतु **किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं** किया गया है तथा इस संधि में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।
- **यह भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करता है,** क्योंकि भारत को शत्रु पड़ोसी देशों द्वारा उत्पन्न खतरों का सामना करना पड़ता है।
- वैज्ञानिक विकास एवं बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं तथा स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता के संदर्भ में यह **भारत के रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम के विकास में अवरोध उत्पन्न कर सकता है।**

परमाणु-मुक्त विश्व के लिए अन्य पहलें

- **परमाणु हथियार निषेध संधि, 2017:** यह 20 वर्षों की वार्ताओं के फलस्वरूप परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रथम बहुपक्षीय विधिक रूप से **बाध्यकारी संधि** है। यह अभी तक प्रभावी नहीं हुई है।
    - **भारत और अन्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों, यथा-** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल ने इन वार्ताओं में भाग नहीं लिया था।
- **निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन:** इसे वर्ष 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में गठित किया गया था। **भारत इसके 65 सदस्यों में से एक है।**
- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT), 1968:** इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और तकनीक के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण तथा सामान्य व पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को बढ़ावा देना है।
    - **भारत**, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान इस संधि के पक्षकार **नहीं** हैं।

VISION IAS

8.4. ग्रुप ऑफ ट्वेंटी

(G-20)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **G-20 के 14वें शिखर सम्मेलन** का आयोजन **जापान** के **ओसाका** शहर में हुआ।

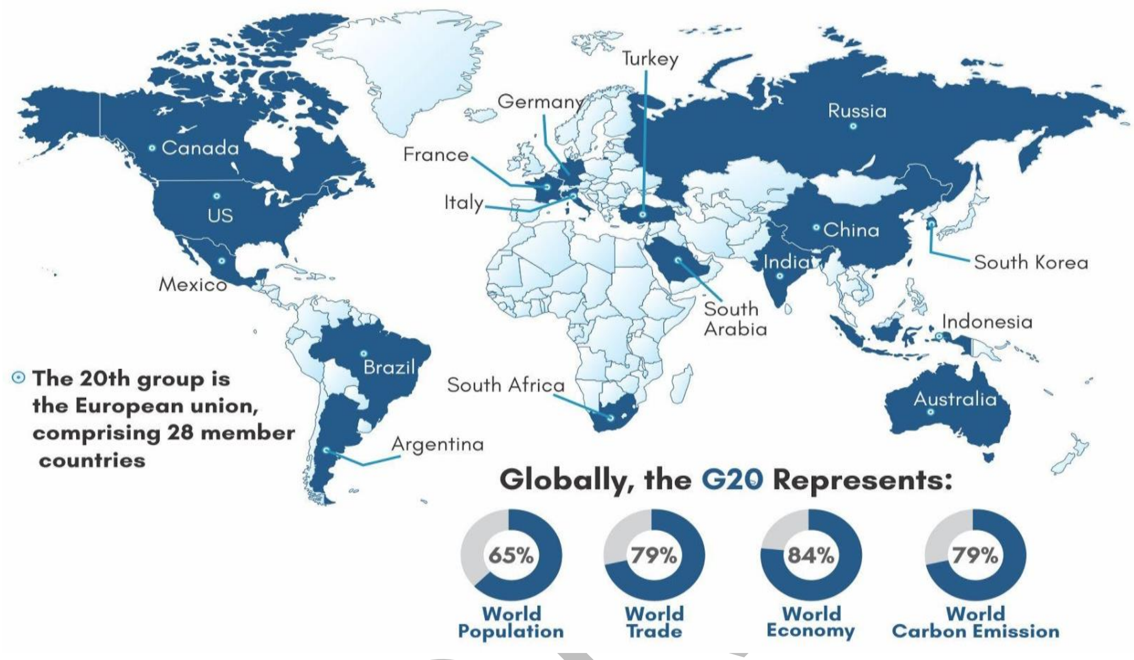

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G-20)

- यह 19 राष्ट्रों एवं यूरोपीय संघ की सरकारों और इनके केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक **अंतर्राष्ट्रीय मंच** है।
- **प्रथम G-20 शिखर सम्मेलन** दिसंबर 1999 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी और कनाडा के वित्त मंत्रियों द्वारा की गई थी।
- **वर्ष 1997-1998 के एशियाई वित्तीय संकट के पश्चात्** वित्तीय स्थिरता से संबंधित नीतियों पर वार्ता करने के लिए **वर्ष 1999** में इसका गठन किया गया था।
- वर्ष 2008 के उपरांत इसके एजेंडे को विस्तारित कर, सरकार प्रमुखों/राष्ट्र प्रमुखों के साथ-साथ वित्त और विदेश मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- इस प्रकार, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख औद्योगिक और विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है।
- **भारत द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार G-20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी।**

अन्य संबंधित तथ्य

ओसाका ट्रैक

- इस पहल की शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई है। इसमें **डेटा स्थानीयकरण पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया गया है।** साथ ही, इसमें राष्ट्रों से डेटा प्रवाह, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि से संबंधित नियमों पर वार्ता आरंभ करने का भी आग्रह किया गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने **"डिजिटल अर्थव्यवस्था"** से संबद्ध **"ओसाका ट्रैक"** का बहिष्कार किया है।
- ओसाका में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019) में वैश्विक सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण **आठ विषयों** पर चर्चा की गई। ये आठ विषय अग्रलिखित हैं: **वैश्विक अर्थव्यवस्था; व्यापार और निवेश; नवाचार; पर्यावरण और ऊर्जा; रोजगार; महिला सशक्तीकरण; विकास एवं स्वास्थ्य।**

VISION IAS

8.5. जी-7

(G-7)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस में आयोजित G-7 के 45वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

G-7 के बारे में

- वर्ष 1975 में गठित यह **एक अंतर-सरकारी संगठन** है।
- G-7 या 'ग्रुप ऑफ सेवन' एक समूह है जिसमें **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** शामिल हैं। इन राष्ट्रों के द्वारा वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- वर्ष 1997 में जब रूस G-7 में शामिल हुआ तो उसके बाद कई वर्षों तक G-7 को **'G-8'** के रूप में जाना जाता था। **वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने अधिकार-क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद रूस को इस समूह की सदस्यता से निष्कासित** कर दिया गया था, जिसके पश्चात् इस समूह को पुनः G-7 कहा जाने लगा।
- G-7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सदस्य **राष्ट्रों के नेताओं द्वारा रोटेशन (चक्रानुसार)** आधार पर की जाती है।
- G-7 के तहत **कोई औपचारिक संविधान या एक निश्चित मुख्यालय की व्यवस्था नहीं** की गई है। इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
- **भारत G-7 समूह का सदस्य राष्ट्र नहीं है।**

OTHER KEY GLOBAL FORUMS

G4

The G4 nations comprising Brazil, Germany, India, and Japan are four countries which support each other's bids for permanent seats on the United Nations Security Council.

G5

A group of five nations which came together for global-level cooperation which is economic as well as political in nature.

MEMBERS

20th century (1974)	21st century (2005)
US, UK, West Germany, Japan, France	India, China, Brazil, Mexico, South Africa

PURPOSE

The G5 (created in 1974) originally referred to an informal forum which comprised the world's five most advanced economies that came together in response to the 1973 global financial crisis.

STRUCTURE

An informal group bound by shared principles and common policy enterprises.

CURRENT STATUS

Since 2005, the G5 is a forum for the world's largest emerging economies which are playing an active role in the rapidly changing international order.

G6

Unofficial forum which brings together the heads of the world's six richest economies.

MEMBERS

US, UK, France, Germany, Italy and Japan

PURPOSE

Meant to be a depature from the stiff formality of conventional international institutions, this forum was in the late 1970s and 1980s a significant element in cooperation between France and Germany, (represented by their then leaders, President Valery Giscard d'Estaing and Chancellor Helmut Schmidt, respectively)

STRUCTURE

Informal discussion forum

CURRENT STATUS

G6 no longer exists exclusively because it evolved into the Group of Seven (G7), and later the Group of Eight (G8). However, the agendas set by G6 in its first meeting, such as avoding protectionism, energy dependency and boosting growth, are still relevant for the world economy.

G20

The G20 is an international economic cooperation forum. According to IMF data, the G20 represent more than 80% of the global GDP.

MEMBERS

Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, EU, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Saudi Arabia, Mexico, Russia, South Africa, South Korea, Turkey, UK & USA. (Spain is a permanent invitee)

PURPOSE

Created in response to the 1997 Asian economic crisis and the 1998 Russian financial crisis-that led to realisation that global economic decisions could not be made by the G7 alone and must include emerging economies.

STRUCTURE AND RELEVANCE

The forum operates without a permanent secretariat or staff. The chair or host rotates annually among the members. India is to host the G20 summit in 2022 as the forum chair. Since its inaugural leaders' summit in 2008, its relevance grew in stature and it may replace the G7 and G8 as the main economic council of wealthy nations.

G77

The Group of 77 at the United Nations is a coalition of 134 developing nations, designed to promote its members' collective economic interests and create an enhanced joint negotiating capacity in the United Nations.

8.6. ब्रिक्स

(BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ब्रासीलिया (ब्राज़ील) में **11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम **"अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक संवृद्धि"** (Economic Growth for an Innovative Future) थी।

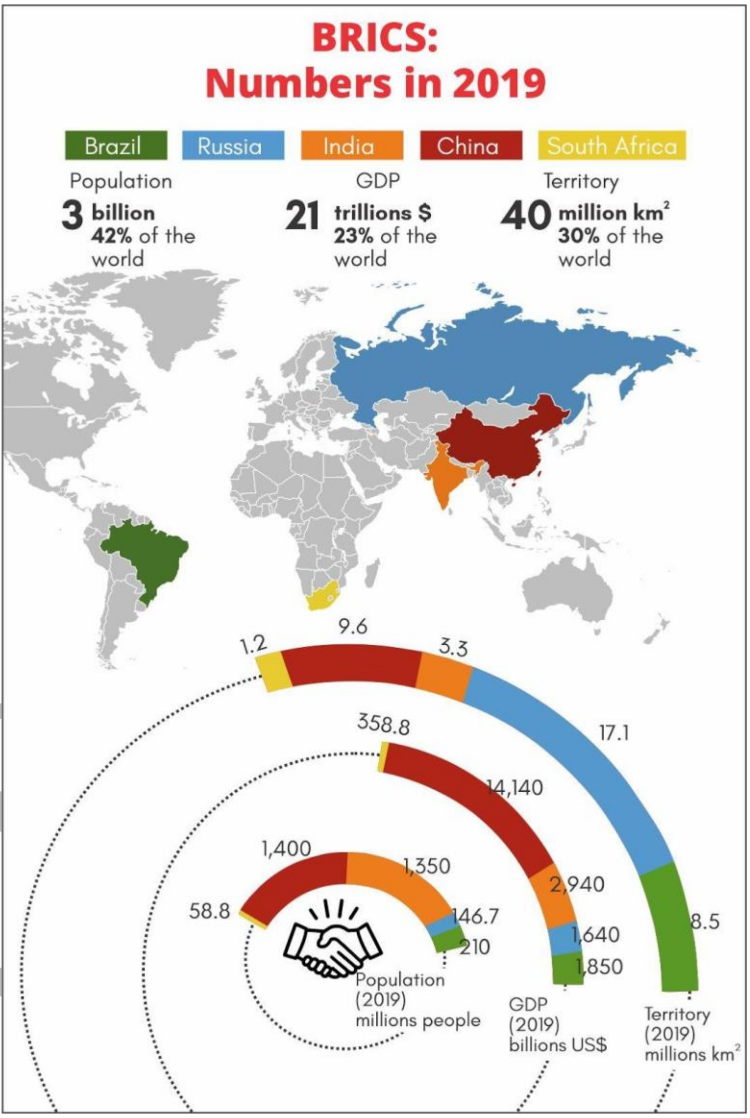

ब्रिक्स क्या है?

- वर्ष 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री **जिम ओ 'नील** ने ब्रिक (BRIC) की संकल्पना प्रस्तुत की थी।
- यह औपचारिक रूप से वर्ष 2006 में स्थापित हुआ था, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, भारत, रूस और चीन ही शामिल थे। रूस द्वारा वर्ष 2008 में BRIC विदेश मंत्रियों की बैठक तथा वर्ष **2009 में प्रथम BRIC शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया था।
- तदुपरांत वर्ष 2010 में, BRIC (ब्रिक) में साउथ अफ्रीका के सम्मिलित (5वां सदस्य देश) होने से इस समूह का नाम BRICS (ब्रिक्स) पड़ा।

ब्रिक्स की अब तक की उपलब्धियाँ

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** ब्रिक्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रिक्स के प्रत्येक राष्ट्र का इसकी पूँजी में समान योगदान है तथा सभी को मतदान का समान अधिकार प्रदान किया गया है।
- लघु अवधि की तरलता मांगों से निपटने के लिए 100 अरब डॉलर के आरंभिक कोष के साथ ब्रिक्स **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था** (Contingent Reserve Arrangement: CRA) की स्थापना की गई है।
- NDB और CRA दोनों **फोर्टालेजा (वर्ष 2014)** में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणाम हैं।
- व्यापारिक मुद्दों पर एक नया दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए, **वर्ष 2019 में ब्राजीलिया** में एक **विमेंस बिज़नेस अलायंस** का आरंभ किया गया था।

8.7. शंघाई सहयोग संगठन

(Shanghai Cooperation Organization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 19वें शिखर सम्मेलन में SCO के सदस्य देशों द्वारा **बिश्केक घोषणा-पत्र** को अंगीकृत किया गया।

SCO के बारे में

- SCO, यूरेशियाई क्षेत्र का एक **राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन** है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।

- SCO की उत्पत्ति **शंघाई-5 (चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान)** से हुई है। जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी।
- **वर्ष 2001** में, **उज्बेकिस्तान** भी इस समूह में शामिल हो गया और इसका नाम परिवर्तित करके **शंघाई सहयोग संगठन** (SCO) कर दिया गया।
- **SCO की संरचना:**
    - **वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8** है। ये देश हैं- चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
        - इसके अतिरिक्त, इसमें **4 पर्यवेक्षक देश** (Observer States), यथा- अफ़गानिस्तान, बेलारुस, ईरान और मंगोलिया; तथा
        - **6 वार्ता भागीदार** (Dialogue Partners), यथा- अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका शामिल हैं।

- SCO के कार्य-संचालन की आधिकारिक भाषाएँ **चीनी** (Chinese) और **रुसी** (Russian) हैं।
- इसके **दो स्थायी निकाय** हैं, यथा- बीजिंग स्थित **SCO सचिवालय** और ताशकंद स्थित **क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS) की कार्यकारी समिति।**
- SCO सचिवालय शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य स्थायी कार्यकारी निकाय है, जबकि **राष्ट्र प्रमुखों की परिषद** SCO की शीर्ष निर्णय निर्माणकारी संस्था है।
- इसके प्रेरक दर्शन को **"शंघाई स्पिरिट"** के रुप में जाना जाता है। यह सद्भाव, सर्वसम्मति, अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और गुटनिरपेक्षता पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि **समावेशी यूरेशियाई पहचान** पर बल देने हेतु **SCO ने संस्कृति संबंधी पक्ष** को अपने एक महत्वपूर्ण तत्व के रुप में स्थापित किया है।

8.8. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनॉइजेशन (NATO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनॉइजेशन (NATO)** का शिखर सम्मेलन **लंदन** में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन NATO की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ का भी सूचक है।

NATO (नाटो) के बारे में

- नाटो, **29 उत्तर अमेरिकी एवं यूरोपीय राष्ट्रों** का एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।
- यह 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित **नार्थ अटलांटिक ट्रिटी** को कार्यान्वित करता है।
- नाटो **सामूहिक सुरक्षा (collective defence)** के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि नाटो के अनुच्छेद 5 में यह उल्लिखित है कि, "नाटो के किसी एक सदस्य पर किया गया एक सशस्त्र आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा।"·
- इसका मुख्यालय, **ब्रसेल्स (बेल्जियम)** के **हरेन** में स्थित है।

8.9. राष्ट्रमंडल

(Commonwealth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मालदीव** के राष्ट्रमंडल में पुन: शामिल होने से इस वैश्विक संगठन में राष्ट्रों की कुल संख्या 54 हो गई है।

राष्ट्रमंडल के बारे में

- यह **54 सदस्य राष्ट्रों** का एक राजनीतिक संघ है, जिनमें अधिकांश राष्ट्र पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे थे। इसके सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले अंतिम 2 देश - **रवांडा और मोजाम्बिक** हैं। हालाँकि ब्रिटिश साम्राज्य से इनका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं रहा है।
- राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रों को **राष्ट्रमंडल चार्टर** के मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी सहमती व्यक्त करनी होती है, जिसमें **स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक समाजों का विकास तथा शांति व समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता** शामिल है।
- इस संगठन के मुख्य संस्थानों के अंतर्गत **राष्ट्रमंडल सचिवालय** (जो अंतर-सरकारी पहलुओं पर केंद्रित है) और **राष्ट्रमंडल फ़ाउंडेशन** (जो सदस्य राष्ट्रों के मध्य गैर-सरकारी संबंधों पर केंद्रित है) शामिल हैं।
- इसकी स्थापना मूलतः वर्ष 1926 के इम्पीरियल सम्मेलन में **बाल्फोर घोषणा-पत्र** के माध्यम से **ब्रिटिश राष्ट्रमंडल** के रूप में की गई थी तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ष 1931 में **वेस्टमिंस्टर संविधि** के माध्यम से इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था।
- वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) का गठन **वर्ष 1949 में लंदन घोषणा-पत्र** द्वारा किया गया था। इसके द्वारा संबंधित समुदाय का आधुनिकीकरण किया गया और सदस्य राज्यों को "स्वतंत्र एवं समान" देशों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।
- इसके अंतर्गत **सदस्य देशों का एक दूसरे के प्रति कोई विधिक दायित्व नहीं है।** इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी भाषा, इतिहास, संस्कृति, लोकतंत्र, मानवाधिकारों तथा विधि के शासन के अपने साझा मूल्यों के माध्यम से परस्पर एकजुट हैं।
- राष्ट्रमंडल के प्रमुख का चयन राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया जाता है।
- **भारत** राष्ट्रमंडल का एक सदस्य राष्ट्र है।

8.10. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन

(Organization of The Petroleum Exporting Countries: OPEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इक्वेडोर** ने ओपेक (OPEC) से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया है।

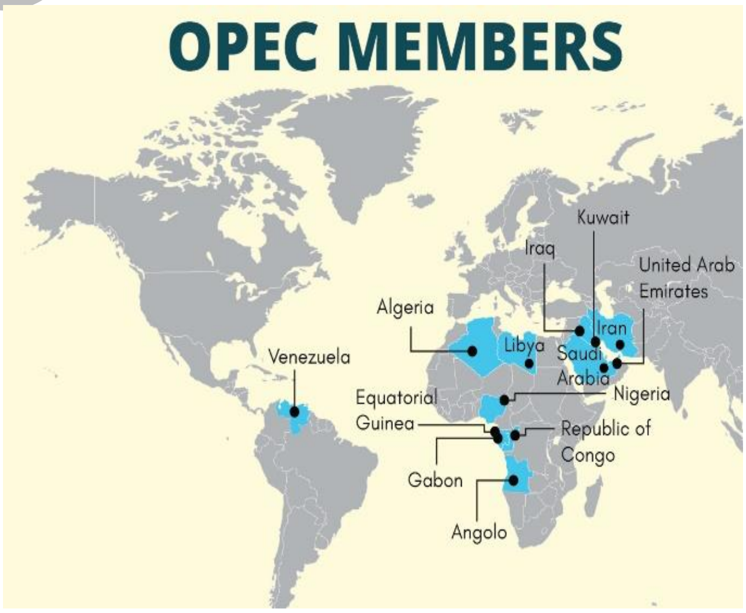

OPEC के बारे में

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसके निर्धारित उद्देश्यों में **"पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को बनाए रखने हेतु"** सदस्य देशों के मध्य पेट्रोलियम नीतियों का समन्वयन एवं एकीकरण करना; उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए पेट्रोलियम की एक कुशल, मितव्ययी और नियमित आपूर्ति तथा इस उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों की पूँजी पर उचित प्रतिफल प्रदान करना शामिल है।
- इसका मुख्यालय **वियना (ऑस्ट्रिया)** में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1960 में **बगदाद सम्मेलन** में की गई थी। **ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब** और **वेनेजुएला** OPEC के संस्थापक सदस्य देश हैं।
- इसके द्वारा अनुमानत: **44 प्रतिशत** वैश्विक तेल का उत्पादन किया जाता है तथा ज्ञात तेल भंडारों का लगभग **81.5 प्रतिशत** OPEC देशों में अवस्थित है।

VISION IAS

8.11. आर्कटिक काउंसिल

(Arctic Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत को आर्कटिक काउंसिल के पर्यवेक्षक (प्रथम बार वर्ष 2013 में) के रूप में पुनःनिर्वाचित किया गया।

आर्कटिक काउंसिल के बारे में

- इसकी स्थापना **आठ आर्कटिक राष्ट्रों,** यथा- कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड एवं फरो द्वीपसमूह सहित), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष **1996** के **ओटावा घोषणा-पत्र** के माध्यम से की गई थी।
- यह कोई **औपचारिक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय विधिक इकाई नहीं है** तथा संसाधनों का आबंटन नहीं करती है।
- **आर्कटिक क्षेत्र के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह संगठनों** को भी परिषद में स्थायी प्रतिभागियों का दर्जा प्रदान किया गया है।
- यह एक प्रमुख अंतरसरकारी मंचों में से एक है, जिसका उद्देश्य **वैज्ञानिक अनुसंधान** तथा क्षेत्र में **संसाधनों के शांतिपूर्ण एवं सतत उपयोग** सहित आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है।
- सभी निर्णय-निर्माण स्थायी सदस्यों के मध्य **सर्वसम्मति** से लिए जाते हैं।
- यह काउंसिल **आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों के व्यावसायिक दोहन को प्रतिबंधित नहीं** करती है।
- भारत वर्ष 2013 में पहली बार इसका पर्यवेक्षक बना।

भारत और आर्कटिक क्षेत्र

- इस क्षेत्र में **हिमाद्री** नामक भारत के एकमात्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी।
- वर्ष 2018 में नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च का नाम परिवर्तित कर **नेशनल सेंटर फ़ॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च (NCPOR)** कर दिया गया।
- **नोर्वेजियन प्रोग्राम फॉर रिसर्च कोऑपरेशन विद इंडिया (INDNOR):** यह भारत एवं नॉर्वे के मध्य द्विपक्षीय अनुसंधान सहयोग है।
- **NCPOR ने आइसब्रेकर पोत तक पहुंच स्थापित करने हेतु FESCO ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है,** जिसका उपयोग अंटार्कटिक स्टेशनों में सामान्य कार्गो की डिलीवरी तथा आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक गतिविधियों, दोनों के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत के पास ध्रुवीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त पोत का अभाव है।
- **भारत की ONGC (Videsh)** के पास रूस की वैनकोर्नेफ्ट परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो की साइबेरिया के वंकोर क्षेत्र से हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करेगी।
- **इंडआर्क (IndARC)** आर्कटिक क्षेत्र में भारत की प्रथम वेधशाला है।

8.12. कैरेबियन समुदाय

(Caribbean Community: CARICOM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित **प्रथम इंडिया-कैरिकॉम लीडर्स समिट** को संबोधित किया गया।

कैरिबियन कम्युनिटी (CARICOM) के बारे में

- यह अपने सदस्य देशों के मध्य आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने, एकीकरण के लाभों के न्यायोचित साझाकरण को सुनिश्चित करने तथा विदेश नीति में समन्वय स्थापित करने हेतु कैरिबियन राष्ट्रों के मध्य एक संधि है।
- वर्ष 1973 में स्थापित, इस समुदाय की अध्यक्षता सदस्य देशों के मध्य प्रत्येक छह माह में चक्रीय आधार से निर्धारित होती है।
- **सचिवालय: जॉर्जटाउन (गुयाना)।**
- यह शिखर सम्मेलन **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और कैरिकॉम के साथ भारत की भागीदारी में वृद्धि करने पर केंद्रित था।**

VISION IAS

- भारत ने कैरीकॉम में **सामुदायिक विकास परियोजनाओं** हेतु 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के **अनुदान** और **सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए** 150 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है।

क्रम संख्या	स्थान	विवरण
1	क्विटो, इक्वाडोर	यू.एन. हैबिटेट-3 का आयोजन
2	ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील	11वां ब्रिक्स सम्मेलन, 2019
3	माउंट अकांकागुआ, अर्जेंटीना	एशिया के बाहर सर्वोच्च शिखर (6962 मीटर) (एंडीज पर्वत श्रृंखला)

9. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ

(International Events)

9.1. ब्रेक्जिट: यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपीय संघ का परित्याग

(Brexit: UK Leaves the European Union)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने 47 वर्ष की सदस्यता के उपरांत आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ (EU) का परित्याग कर दिया।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में, EU में सदस्य के तौर पर बने रहने अथवा इससे बाहर निकलने के संबंध में निर्णय करने के लिए UK में एक **जनमत संग्रह** करवाया गया था। इस जनमत संग्रह में लोगों ने यह निर्णय लिया था कि UK को EU का परित्याग (ब्रेक्जिट) कर देना चाहिए।
- वर्ष 2017 में, UK ने औपचारिक रूप से **लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50** का प्रयोग किया तथा ब्रेक्जिट की दो वर्षीय प्रक्रिया को प्रारंभ किया।
- हालांकि, ब्रेक्जिट समझौते को मूर्त रूप देने हेतु UK की संसद में सरकार को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाने के कारण ब्रेक्जिट की समय-सीमा को कई बार आगे बढ़ाना पड़ा था।
- 31 जनवरी को **UK, यूरोपीय संघ की सदस्यता का त्याग करने वाला प्रथम राष्ट्र बन** गया और 11 माह का संक्रमण काल आरंभ हो गया।

संक्रमण चरण के दौरान UK और EU के संबंधों में परिवर्तन

- UK, यूरोपीय संघ की संसद में सदस्यता सहित EU के सभी संस्थानों से अपनी सदस्यता का परित्याग कर देगा।
  - ब्रिटिश मंत्री अब नियमित रूप से EU की बैठकों में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और न ही UK के प्रधानमंत्री अब EU परिषद के शिखर सम्मेलन में स्वतः सहभागी होंगे, हालांकि यदि उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है तो वे सम्मिलित हो सकते हैं।
- **संक्रमण काल की अवधि के दौरान, UK द्वारा EU के नियमों का अनुपालन जारी रहेगा और इसे यूरोपीय संघ को भुगतान भी** करना होगा, अर्थात्
  - यूरोपीय संघ के किसी सदस्य देश के साथ UK के किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में **यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ जस्टिस** अंतिम अधिनिर्णायक होगा।
  - जब तक EU और UK के मध्य एक डील (समझौता) पर हस्ताक्षर नहीं हो जाता, तब तक ब्रेक्जिट समझौते से पूर्व के व्यापार नियम लागू रहेंगे। **हालांकि, ब्रिटेन अब अन्य देशों के साथ पृथक रूप से वार्ता करने के लिए स्वतंत्र है।**
  - इस अवधि में, यूरोपीय संघ के बजट में UK द्वारा योगदान जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, जो वर्तमान योजनाएं यूरोपीय संघ के अनुदान द्वारा वित्त पोषित हैं, उनका निधियन जारी रहेगा।

यूरोपीय संघ (European Union: EU)

- यह एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है, जिसमें **27 यूरोपीय देश** सम्मिलित हैं।
- यह यूरोपीय लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी सदस्य देश में निवास करने, व्यापार करने और कार्य करने हेतु मुक्त व्यापार तथा मुक्त आवागमन की अनुमति प्रदान करता है।
- **लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50** में सदस्य देशों द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने का प्रावधान किया गया है।
  - कोई भी सदस्य देश जो यूरोपीय संघ का परित्याग करना चाहता है, तो उसे इस हेतु यूरोपीय संघ के साथ एक **व्यवस्थापन समझौते (settlement deal)** पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है।
- इसकी अपनी मुद्रा **यूरो** है, जिसका उपयोग इसके 19 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। इसकी स्वयं की एक संसद और अन्य संस्थाएं हैं।

VISION IAS

- यूरोपीय संसद में 751 सदस्य हैं, जो सभी सदस्य देशों के मतदाताओं द्वारा **प्रत्यक्ष** रूप से निर्वाचित होते हैं।
- यह विधायी प्रस्तावों के अंगीकरण और संशोधन तथा यूरोपीय संघ के बजट पर निर्णय लेने के लिए यूरोपीय परिषद (European Council: EC) के साथ शक्ति के साझाकरण द्वारा एक **सह-विधायिका (co-legislator)** के रूप में कार्य करती है।
- EC एक सामूहिक निकाय है, जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। इसमें यूरोपीय संघ के **सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों** के साथ-साथ **EC के अध्यक्ष** व **यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष** शामिल होते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1973 में EU में शामिल हुआ था।

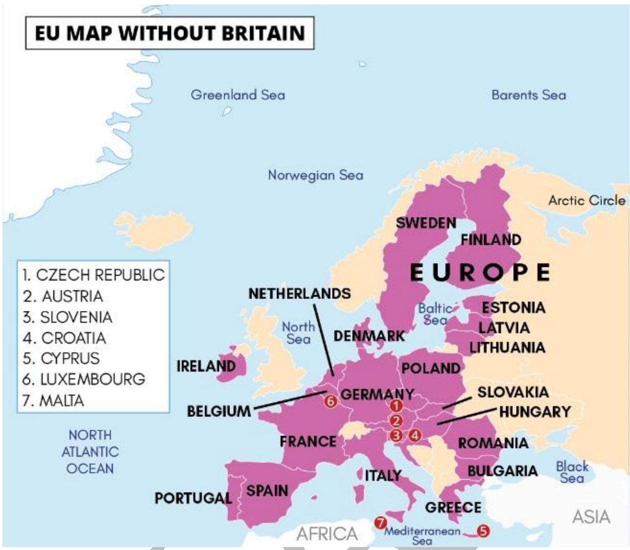

9.2. संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य गतिरोध

(Iran-USA Standoff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी सैन्य बल द्वारा जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के पश्चात् अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव मे अत्यधिक वृद्धि हो गयी।

- **इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) :** IRGC, जिसे **पासदरान** (Pasdaran) भी कहा जाता है, ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है तथा ईरान की नियमित सेना से स्वतंत्र है।
- **क़ुद्स फ़ोर्स:** यह IRGC की एक शाखा है जो प्रमुख रूप से इसके विदेशी अभियानों के लिए उत्तरदायी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अमेरिका का आरोप है कि जनरल सुलेमनी द्वारा इराक और इस संपूर्ण क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिकों एवं सैन्य बलों के सदस्यों पर हमला करने के लिए सक्रिय रूप से योजनाएं बनाई जा रही थी।
- हाल ही में, ईरान ने **संयुक्त व्यापक कार्य योजना** (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) के अंतर्गत निर्धारित परमाणु समझौते की सीमाओं को अस्वीकार कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- ईरान परमाणु समझौता {जिसे **संयुक्त व्यापक कार्य योजना** (JCPOA) के रूप में भी जाना जाता है} **ईरान** और **छह देशों,** यथा- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तथा यूरोपीय संघ (P5 + जर्मनी + EU) के मध्य वर्ष 2015 में संपन्न एक समझौता है।
- इस समझौते के तहत ईरान **मध्यम संवर्धित यूरेनियम** के अपने भंडार को पूर्ण रूप से समाप्त करने, निम्न संवर्धित यूरेनियम के भंडार को 98 प्रतिशत तक कम करने और अपने गैस सेन्ट्रफ्यूज को 13 वर्षों के लिए लगभग 2/3 तक कम करने पर सहमत हुआ है।
- वर्ष 2031 तक, ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सभी **एक्सेस रिक्वेस्ट** का अनुपालन करना होगा। यदि वह इसे अस्वीकृत करता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर प्रतिबंधों को पुन: आरोपित करने सहित दंडात्मक कार्यवाई करने का निर्णय भी कर सकता है।
- वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकतरफ़ा तरीके से इस परमाणु समझौते को रद्द करने की घोषणा की। अमेरिका ने यह कहते हुए कि यह समझौता **ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और वर्ष 2025 के उपरांत इसकी परमाणु गतिविधियों** के बारे में मौन है, इस समझौते से स्वयं को बाहर कर लिया।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में

- यह **परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** हेतु विश्व का केंद्रीय अंतर-सरकारी मंच है।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जुलाई 1957 में इसकी स्वयं की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, **IAEA संविधि** के माध्यम से की गई थी।
- IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को प्रतिवेदन प्रेषित करता है।
- यह परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित व शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है।
- इसका मुख्यालय **ऑस्ट्रिया के वियना** में स्थित है।
- **भारत IAEA का सदस्य है।**
- IAEA के रक्षोपायों का अंतर्निहित प्रयोजन परमाणु सामग्री या प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगाकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है।
- वर्ष 2009 में, भारत सरकार और IAEA के मध्य असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए रक्षापायों के अनुप्रयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- तत्पश्चात वर्ष 2014 में, भारत ने IAEA के साथ अपने रक्षोपाय समझौतों के लिए एक **एडिशनल प्रोटोकॉल** (अमेरिका-भारत परमाणु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में) की अभिपुष्टि की थी।
  - **एडिशनल प्रोटोकॉल** किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की, विशेष रूप से उसकी शांतिपूर्ण प्रकृति को सत्यापित करने हेतु, **रक्षोपाय समझौते** के प्रावधानों के अतिरिक्त IAEA का एक महत्वपूर्ण साधन है।

अन्य संबंधित तथ्य

'इंसटेक्स' वस्तु-विनिमय प्रणाली (INSTEX Barter Mechanism)

- हाल ही में, 6 यूरोपीय देशों, यथा- बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने **इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज (INSTEX)** प्रणाली में नए सदस्यों के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है।
- **INSTEX जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा स्थापित व पेरिस में स्थित एक विशेष प्रयोजन आधारित व्यवस्था है।** यह प्रणाली कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, यूरोपीय व्यवसायियों को ईरान के साथ व्यापार करने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह एक प्रकार की **वस्तु-विनिमय प्रणाली** है, जो ईरान को उसके निर्यात के एवज में सदस्य यूरोपीय देशों से उत्पादों या सेवाओं का आयात करने की सुविधा प्रदान करती है।

9.3. अमेरिका-तालिबान समझौता

(US-Taliban Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहा (कतर) में तालिबान के साथ **"एग्रीमेंट टू ब्रिंग पीस टू अफ़ग़ानिस्तान"** (अफ़ग़ानिस्तान में शांति स्थापना हेतु समझौता) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते की प्रमुख विशेषताएँ

- **विदेशी सैन्य बल की वापसी:** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 135 दिनों के भीतर अपने सैनिकों की संख्या को लगभग 12,000 से घटाकर 8,600 करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
  - यदि तालिबान अपनी प्रतिबद्धता का अनुपालन करता है, तो सभी अमेरिकी और अन्य विदेशी सेनाओं की 14 माह के भीतर अफ़ग़ानिस्तान से वापसी हो जाएगी।
- **कैदियों की रिहाई:** कैदियों का आदान-प्रदान करना भी इस समझौते में शामिल है। तालिबान और अफगान सरकार के मध्य वार्ता शुरू होने के उपरांत 10 मार्च तक लगभग 5,000 तालिबान कैदियों और अफगान सुरक्षा बल के 1,000 कैदियों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- **तालिबान को मान्यता:** तालिबान सदस्यों को प्रतिबंधित सूची से हटाने के लिए अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

VISIONIAS

- **आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय:** अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए तालिबान किसी भी आतंकी समूह को अफ़ग़ानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं करने देगा।
- **अंतःअफगान वार्ता:** अफगान समाज के सभी हितधारकों के मध्य अंतःअफगान वार्ता प्रारंभ की जाएगी और तालिबान इसके प्रति प्रतिबद्ध होगा। तालिबान ने मार्च 2020 में अफगान सरकार के साथ वार्ता प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि, इस संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया के दौरान, तालिबान ने अफगान सरकार को अमेरिकी कठपुतली कहते हुए इसके साथ प्रत्यक्ष वार्ता करने का विरोध किया था।
    - **स्थायी और व्यापक युद्ध विराम:** इसे अंतः अफगान संवाद और वार्ता के एक एजेंडे के रूप में शामिल किया जाएगा।

अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

- परंपरागत रूप से, भारत ने अफ़ग़ानिस्तान सरकार की भागीदारी के साथ **"अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित" (Afghan-led, Afghan-owned, and Afghan-controlled) प्रक्रिया का आह्वान** किया था।
- हालांकि बाद में, भारत ने कहा कि वह ऐसी **"किसी भी प्रक्रिया"** के लिए प्रतिबद्ध है, जो अफ़ग़ानिस्तान को एकजुट, शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत राष्ट्र के रूप में उभरने में सहायता कर सकती हो, जिसमें लैंगिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों की गारंटी प्राप्त हो।
- **भारत सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तीन रेड लाइन्स (सीमाएं) निर्धारित की थीं:**
    - सभी पहलों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत वैध रूप से चुनी गई सरकार सहित अफगान **समाज के सभी वर्गों को शामिल** किया जाना चाहिए।
    - किसी भी प्रक्रिया को **संवैधानिक विरासत और राजनीतिक जनादेश का सम्मान** करना चाहिए।
    - किसी भी प्रक्रिया का परिणाम ऐसी अनियंत्रित स्थिति के रूप में नहीं होना चाहिए, जहां **आतंकवादी और उनके समर्थक पुनर्स्थापित** हो जाएं।

9.4. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध

(US-China Trade War)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के साथ हेरफेर करने वाला देश (currency manipulator) घोषित किया है। इस कदम ने चीन के साथ USA के व्यापार युद्ध को और आगे बढ़ा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 1990 के दशक के पश्चात् यह **पहली बार है जब अमेरिका ने किसी देश को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित** किया है। ज्ञातव्य है कि उस समय भी चीन को लक्षित किया जा रहा था।
- **करेंसी मैनिपुलेशन (अर्थात् मुद्रा में हेरफेर)** वह स्थिति है, जब सरकारें व्यापार में 'अनुचित लाभ' प्राप्त करने हेतु विनिमय दर को कृत्रिम रूप से परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं।
- यह कदम चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) द्वारा युआन के मूल्य में डॉलर के सापेक्ष आकस्मिक रूप से 1.9 प्रतिशत (एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट) की कमी करने (अवमूल्यन) की अनुमति प्रदान करने के पश्चात् उठाया गया था।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- **व्यापार युद्ध** की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब एक देश आयात प्रशुल्कों में वृद्धि अथवा विरोधी देश के आयातों पर प्रतिबंधों के आरोपण द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
- अमेरिका और चीन के मध्य **व्यापार संतुलन वस्तुतः चीन के पक्ष** में अधिक है। वर्ष 2018 में, अमेरिका को चीन के साथ 419.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था।
- अमेरिका द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि चीन ने अनुचित व्यापार रीतियों को पोषित किया है, उसने 250 अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर प्रशुल्क अधिरोपित किया है। चीन ने भी 110 बिलियन डॉलर के अमेरिकी वस्तुओं पर प्रशुल्क आरोपित कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
- इस गतिरोध को हल करने के लिए, अमेरिका और चीन ने चरणबद्ध तरीके से एक समझौता करने का निर्णय किया था।
    - **प्रथम चरण** में व्यापार संतुलन और प्रशुल्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है। **द्वितीय चरण** के तहत चीन में बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवर्तन और आर्थिक सुधार शामिल हैं।

VISION IAS

- प्रथम चरण के समझौते में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अमेरिका द्वारा चीन से लगभग 250 बिलियन डॉलर के आयात पर 25 प्रतिशत प्रशुल्क को बनाए रखा जाएगा, जबकि 120 बिलियन डॉलर की वस्तुओं पर प्रशुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया जाएगा।
  - आगामी दो वर्षों में विभिन्न अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए चीन ने प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं, जिसके लिए कुल राशि वर्ष 2017 में उन वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु चीन के वार्षिक आयात स्तर से अधिक होगी। ज्ञातव्य है कि ये आयात किसी भी स्थिति में 200 बिलियन डॉलर से कम मूल्य के नहीं होंगे।
- यह समझौता सैद्धांतिक रूप से एक सौदा (डील) है, जिसका आशय है कि यदि चीन समझौते के किसी भी भाग का उल्लंघन करता है, तो अमेरिका प्रशुल्कों का पुन:अधिरोपण कर सकता है।

9.5. मध्य पूर्व शांति योजना

(Middle East peace plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने **इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान** के प्रयोजनार्थ मध्य पूर्व के लिए अपनी एक शांति योजना **"शांति से समृद्धि: फिलिस्तीनी और इजरायली जनता के जीवन में सुधार हेतु एक विज़न"** (Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People) की घोषणा की है।

ट्रंप की इस शांति योजना में दिए गए सुझाव

- यरुशलम **इजरायल की संप्रभु राजधानी** होगी। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलम के पूर्वी भाग में होनी चाहिए और इसे **अल कुद्स** कहा जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत एक अवधारणात्मक मानचित्र (conceptual map) प्रस्तुत किया गया है, जिस पर इजरायल और फिलिस्तीन को अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के लिए चार वर्ष की समयावधि दी गयी है।
- फिलिस्तीन और पड़ोसी अरब राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 बिलियन डॉलर के **निवेश कोष** का प्रावधान किया गया हैं।

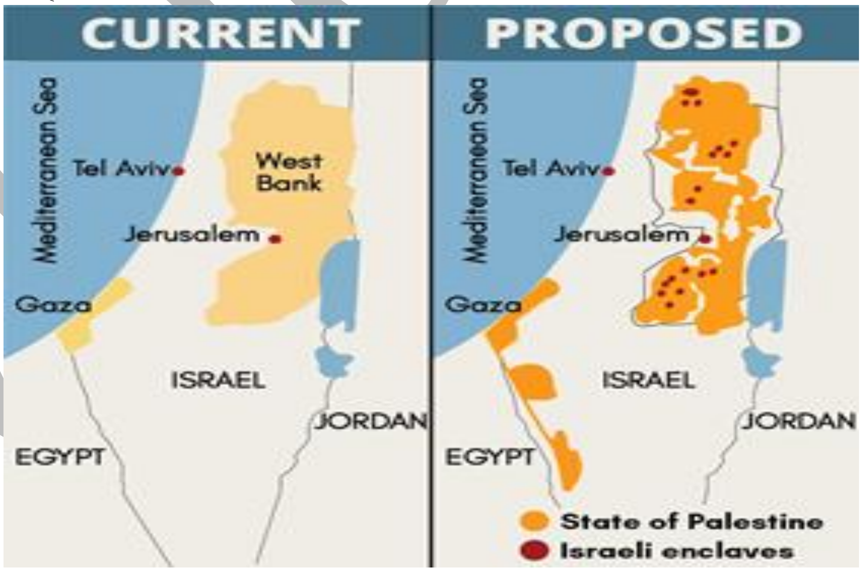

- इजरायल-फिलिस्तीन शांति समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत इजरायल, इस आकांक्षा के साथ कि फिलीस्तीनी अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए यथासंभव उत्तरदायी होंगे, फिलिस्तीन हेतु अधिभावी **सुरक्षा उत्तरदायित्व** को बनाए रखेगा।
- **पत्तन सुविधाएँ:** इजरायल द्वारा फिलिस्तीन को **हाइफ़ा और अशदोद** दोनों पत्तनों पर निर्धारित सुविधाओं का उपयोग करने एवं प्रबंधन की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- **हमास की समाप्ति:** हमास वर्तमान में गाजा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसकी समाप्ति से गाजा पट्टी में काफी परिवर्तन होगा।

इज़राइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का पक्ष

- भारत ने **द्वि-राष्ट्र समाधान के सिद्धांत** में विश्वास प्रकट किया है तथा यह दोनों राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए हुए है। भारत ने इजरायल के साथ बढ़ते संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ एक संप्रभु एवं स्वतंत्र तथा व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन किया है।

ट्रंप की इस योजना पर वैश्विक प्रतिक्रिया

- **फिलिस्तीन** ने तत्काल इस योजना को अस्वीकृत कर दिया है।
- **इजरायल** ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए इसे "एक सतत शांति के लिए यथार्थवादी मार्ग" बताया है।
- **भारत** ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के द्वि-राष्ट्र समाधान के अपने दृष्टिकोण को दोहराया है तथा दोनों पक्षों से प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है।
- **इस्लामिक सहयोग संगठन** ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है।

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) के बारे में

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में चार महाद्वीपों के 57 इस्लामिक राज्यों की सदस्यता के साथ हुई थी। **भारत इसका सदस्य नहीं है।**
- इस संगठन का मत है कि यह "मुस्लिम जगत की सामूहिक अभिव्यक्ति" है और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।
- **आधिकारिक भाषाएं:** अरबी, अंग्रेजी व फ़्रेंच।
- **प्रशासनिक केंद्र:** जेद्दा, सऊदी अरब।

9.6. गुट-निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन

(Non-Aligned Movement Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने **अजरबैजान के बाकू में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के 18वें शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **शिखर सम्मेलन की थीम:** 'समकालीन विश्व की चुनौतियों के प्रति ठोस और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु बांडुंग सिद्धांतों को परिपुष्ट करना' (Upholding the Bandung Principles to ensure concerted and adequate response to the challenges of contemporary world)
- यह **लगातार दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NAM के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया।**

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में

- वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में इस आंदोलन की आधारशीला रखी गई थी। इस सम्मेलन में ही NAM के प्रयासों को निर्देशित करने वाले **"बांडुंग के दस सिद्धांतों"** को प्रतिपादित किया गया था।
- भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया के नेतृत्व में NAM की स्थापना की गई तथा इसका **प्रथम सम्मेलन वर्ष 1961 में (बेलग्रेड)** आयोजित किया गया था।
- **वर्ष 2018 तक इसमें 120 सदस्य सम्मिलित थे**, जिसमें अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 तथा यूरोप के 2 देश (बेलारूस व अजरबैजान) शामिल हैं। 17 राष्ट्रों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को NAM में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

VISION IAS

9.7. एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर शिखर सम्मेलन

(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों (CICA) पर 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया।

CICA के बारे में

- एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता हेतु **सहयोग को बढ़ावा देने** के लिए CICA एक **बहु-राष्ट्रीय मंच** है।
- यह **संप्रभु समानता, सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के सिद्धांतों** के आधार पर निर्धारित नीति का अनुसरण करता है।
- CICA का सदस्य बनने के लिए, किसी राष्ट्र के क्षेत्र का कम से कम कुछ भाग **एशिया में स्थित** होना चाहिए।
- CICA शिखर सम्मेलन **प्रत्येक चार वर्ष** में आयोजित किया जाता है।
- CICA का गठन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव के प्रस्ताव पर किया गया था।
- **संयुक्त राष्ट्र को CICA में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।**
- भारत, CICA का **एक संस्थापक सदस्य** है।

9.8. क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन

(Christchurch Call to Action)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन" नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए और भारत सहित 26 भागीदारी देशों द्वारा इसे अपनाया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन वस्तुतः क्राइस्टचर्च के हमलों के पश्चात् **ऑनलाइन चरमपंथ के प्रचार-प्रसार से निपटने** और इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए शीर्ष सोशल मीडिया कंपनियों के साथ **फ्रांस और न्यूजीलैंड की सरकारों** द्वारा प्रारंभ एक पहल है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन हिंसक अतिवादी सामग्री के मुद्दे और इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकारों एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं की ओर से **सामूहिक तथा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित** करता है।
- इस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूरोपीय कमीशन, आयरलैंड, नॉर्वे, सेनेगल, कनाडा, जॉर्डन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन और भारत शामिल हैं।
- अमेरिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस **कॉल में सम्मिलित होने से मना कर** दिया हैं।

इस प्रकार की अन्य पहलें

- **टेक अगेंस्ट टेररिज्म:** यह यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट (UN-CTED) द्वारा समर्थित एवं आरंभ की गयी एक पहल है। मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आतंकी गतिविधियों में इंटरनेट के प्रयोग से निपटने के लिए UN-CTED वस्तुतः वैश्विक तकनीक उद्योगों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- **ग्लोबल इंटरनेट फ़ोरम टू काउंटर टेररिज़्म (GIFCT):** यह औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व में संचालित एक पहल है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकवादियों की क्षमता को काफी हद तक बाधित करने तथा हिंसक उग्रवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए UN-CTED के साथ घनिष्ट भागीदार के रूप में कार्यरत है।
- **अकाबा प्रक्रिया:** अरब क्षेत्र में उग्रवाद और चरमपंथ से निपटने तथा इस्लाम के उदार पक्ष को बढ़ावा देने के लिए जॉर्डन द्वारा अकाबा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।

VISION IAS

- **ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF):** यह आतंकवाद से निपटने हेतु वर्ष 2011 में प्रारंभ एक अनौपचारिक, गैर-राजनीतिक और बहुपक्षीय मंच है। यह नागरिक क्षमताओं और राष्ट्रीय रणनीतियों को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, उत्कृष्ट अभ्यास एवं ICT उपकरणों को विकसित करता है। **भारत GCTF का संस्थापक सदस्य है।**

9.9. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की वॉच लिस्ट

(FATF Watch-List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने पाकिस्तान को जून 2020 तक **ग्रे सूची** {आधिकारिक रूप से इसे **"अन्य निगरानी क्षेत्राधिकार"** (Other monitored jurisdictions) कहा जाता है} में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- एक देश को "ग्रे लिस्ट" में शामिल करना एक प्रत्यक्ष कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, परन्तु यह निगरानीकर्ताओं, नियामकों और वित्तीय संस्थानों की **वर्धित संवीक्षा को समाहित करती** है।
- अब पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन को रोकने के लिए मई 2020 तक FATF को एक **कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी**।
- यदि पाकिस्तान अनुचित रीति से अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण करने में विफल रहता है, तो यह समूह **उत्तर कोरिया और ईरान** के साथ पाकिस्तान को **ब्लैकलिस्ट या "नॉन-कोऑपरेटिव कंट्रीज़/टेरिटरीज़" (NCCTs)** में शामिल कर सकता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- यह वर्ष 1989 में स्थापित **एक अंतर-सरकारी निकाय** है और **पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) मुख्यालय** में स्थित है।
- इसके **39 पूर्ण सदस्य** हैं, जिनमें वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय संघ व खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं तथा **भारत भी इसका एक सदस्य है।**
- इसका उद्देश्य मानक निर्धारित करना और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण एवं **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता** के समक्ष उपस्थित अन्य संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालनात्मक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है।

9.10. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue in ICJ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) ने अधिनिर्णय दिया कि म्यांमार को अपने रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए, जिसमें नरसंहार के आरोपों से संबंधित साक्ष्यों का संरक्षण भी सम्मिलित है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नवंबर 2019 में, रिपब्लिक ऑफ़ गैम्बिया ने **नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)** के कथित उल्लंघन को लेकर म्यांमार के विरुद्ध ICJ का रुख किया था।
- गैम्बिया और म्यांमार दोनों इस अभिसमय के पक्षकार हैं। इस अभिसमय का अनुच्छेद 9, एक पक्षकार को इसके उल्लंघन के मामले में ICJ का रुख करने की अनुमति प्रदान करता है।
- ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या के विरुद्ध नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के अंतर्गत सभी उपाय करने का आदेश दिया।

VISION IAS

रोहिंग्या संकट के बारे में

- रोहिंग्या मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह हैं, जो मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी तट पर रखाईन प्रांत (अराकान क्षेत्र) में रहते हैं। वे म्यांमार में आम तौर पर बोली जाने वाली बर्मी भाषा के विपरीत बंगाली भाषी हैं।
- म्यांमार इन्हें उन लोगों के रूप में मानता है, जो औपनिवेशिक शासन के दौरान अपने मूल अधिवास स्थल से प्रवास कर म्यांमार आए थे। इसलिए, इसने रोहिंग्याओं को पूर्ण नागरिकता प्रदान नहीं की है।
- भारत ने विधिक रूप से रोहिंग्याओं को म्यांमार में निर्वासित किया है, क्योंकि भारत ने वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन या वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये दोनों विधिक संधियां **गैर-निर्वासन (non-refoulement) के सिद्धांत** को निर्धारित करती हैं, जिसके तहत इसके पक्षकारों पर यह दायित्व निर्धारित है कि वे शरणार्थियों को उन देशों में निर्वासित नहीं करेंगे, जहां उनके समक्ष प्रत्यक्षत: खतरा मौजूद हो।
- इन्हें भारत में अवैध आप्रवासियों के रूप में माना जाता है। उल्लेखनीय है कि शरणार्थियों की सुरक्षा को शासित करने के लिए भारत के पास कोई घरेलू कानून या प्रक्रिया विद्यमान नहीं है।
- बांग्लादेश में शरणार्थियों के व्यापक अंतर्वाह के कारण उत्पन्न हो रहे मानवीय संकट को देखते हुए, भारत सरकार ने **ऑपरेशन इन्सानियत** के तहत बांग्लादेश को सहायता प्रदान की है।

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिसमय (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocid)

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में इस अभिसमय को सर्वसम्मति से अपनाया गया तथा यह वर्ष 1951 से अस्तित्व में आया।
- अभी तक 152 राज्यों द्वारा इस संधि को स्वीकृत (अभिपुष्टि) या अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें हाल ही में वर्ष 2019 में मॉरीशस भी सम्मिलित हुआ है।
- **यह कानूनी रूप में नरसंहार को परिभाषित करता है।** किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह के संपूर्ण या आंशिक भाग को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए निम्नलिखित प्रकार के उद्देश्यपूर्ण कृत्य इसमें शामिल किए गए हैं:
    - किसी समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    - किसी समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना।
    - किसी समूह की जीवन स्थितियों को जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करना, ताकि उन्हें भौतिक क्षति हो।
    - किसी समूह की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से उपाय करना।
    - किसी समूह के बच्चों को बलातपूर्वक दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।
- **भारत द्वारा वर्ष 1959 में इस संधि की अभिपुष्टि** की गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

भाषण चार द्वीप (Bhashan char island)

- **बांग्लादेश सरकार** ने लगभग 6,000-7,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को **भाषण चार द्वीप (बांग्लादेश)** पर नव-निर्मित शिविर में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है।
    - भाषण चार, जिसे **थेंगार चार** के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
    - **मेघना नदी के मुहाने** पर वर्ष 2006 में हिमालय की गाद से इस द्वीप का निर्माण हुआ था।

10. सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

(Issues Related To Security)

10.1. भारतीय सशस्त्र बल

(Indian Armed Forces)

10.1.1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

(Chief of Defence Staff: CDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **रक्षा मंत्रालय (MoD)** ने सशस्त्र बलों के तीनों स्कंधों (विंग्स) को "शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व" प्रदान करने हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का सृजन किया है। सेवानिवृत्त सेना प्रमुख, **जनरल बिपिन रावत** को देश का प्रथम CDS नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि

- CDS पद के गठन के संबंध में प्रथम प्रस्ताव वर्ष 2000 में स्थापित **कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee: KRC)** द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- तत्पश्चात, KRC रिपोर्ट और इसकी अनुशंसाओं का अध्ययन करने वाले **ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स टास्क फ़ोर्स** ने सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति को प्रस्तावित किया कि एक CDS पद का सृजन किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2011 में, **रक्षा और सुरक्षा पर गठित नरेश चंद्र समिति** द्वारा भी CDS प्रस्ताव के अल्प प्रभावी संस्करण को अपनाने का सुझाव दिया गया था।
- वर्ष 2016 में **शेकटकर समिति** द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें तीनों सेनाओं के एकीकरण से संबंधित CDS की अनुशंसा की गई थी।

CDS के विषय में

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को 4 स्टार जनरल रैंक के रूप में सृजित किया गया है, जिसकी वेतन और परिलब्धियां सर्विस चीफ के समतुल्य होंगी।
- इस पद को निम्नलिखित कार्यों के लिए सृजित किया गया है:
  - एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के माध्यम से **तीनों सेनाओं हेतु खरीद, प्रशिक्षण और कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करना।**
  - संयुक्त संचालन के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त थिएटर कमानों के गठन की सुविधा हेतु।
  - सेनाओं द्वारा स्वदेश में विनिर्मित उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- केंद्र सरकार ने CDS के लिए पद पर बने रहने की **अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष** निर्धारित की है।
- **CDS सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs: DMA)** का भी प्रमुख होगा, जिसका गठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा और वह उसके सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।
- वह समकक्षों में प्रमुख (primus inter pares) या फर्स्ट अमंग इक्वल्स होगा। **CDS में तीनों प्रमुखों को निर्देश प्रदान करने का अधिकार भी निहित है।**
- CDS सभी तीनों सैन्य सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के मामलों में रक्षा मंत्री के **प्रधान सैन्य सलाहकार** के रूप में कार्य करेगा।
- हालांकि, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेवाओं के संबंध में परामर्श प्रदान करना जारी रखेंगे।
- CDS तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ-साथ किसी अन्य सैन्य कमान के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।

VISIONIAS

- वह **चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी (CoSC) के स्थायी अध्यक्ष** के रूप में कार्य करेगा, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं।
- चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में CDS निम्नलिखित कार्य करेगा:
    - CDS **साइबर और स्पेस** से संबंधित कार्यों सहित तीनों सेनाओं से संबद्ध अभिकरणों के लिए प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करेगा।
    - CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली **रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC)** और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor: NSA) की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होगा।
    - वह **परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के** रूप में कार्य करेगा।
    - वह एकीकृत क्षमता विकास योजना के पश्चात् अग्रगामी कदम के रूप में **पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत उपस्कर अधिग्रहण योजना (Defence Capital Acquisition Plan: DCAP)** और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं को कार्यान्वित करेगा।
    - अनुमानित बजट के आधार पर पूंजीगत सामान खरीद के प्रस्तावों को **अंतर-सेवा प्राथमिकता** प्रदान करेगा।
    - अपव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं (combat capabilities) को बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं की **कार्यपद्धतियों में सुधारों को** लागू करेगा।

DMA के कार्य

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ के नेतृत्व में सैन्य मामलों का विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करेगा:
- संघ की सशस्त्र सेना अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना।
- रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और डिफेंस स्टॉफ मुख्यालय शामिल हैं।
- प्रादेशिक सेना।
- सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य।
- प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत अधिग्रहण को छोड़कर सेनाओं के लिए विशिष्ट खरीद।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC)
- यह तीनों सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूँजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- केन्द्रीय रक्षा मंत्री, इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (Institute for Defence Studies and Analyses: IDSA)
- सरकार ने IDSA का नाम परिवर्तित करके **मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान** करने का निर्णय किया है।
- IDSA रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो रक्षा एवं सुरक्षा के सभी पहलुओं पर वस्तुनिष्ठ अनुसंधान एवं नीतिगत प्रासंगिक अध्ययन के प्रति समर्पित है।
- इसका उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान के सृजन व प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

VISION IAS

10.1.2. इंडियन ट्राई-सर्विसेज कमांड यूनिट

(Indian Tri-Services Command Unit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक **विशिष्ट इंडियन ट्राई-सर्विसेज कमांड यूनिट** को स्थापित करने के क्रम में, एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को **आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के पहले प्रमुख** के रूप में नियुक्त किया गया है।

आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के बारे में

- ट्राई-सर्विसेज का गठन **आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट, नौसेना के मार्कोस (MARCOS) और वायु सेना के गरुड़ कमांडो फोर्स** के कमांडो से मिलकर होगा।
- ये तीनो इकाइयाँ **इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS)** के तहत कार्य करेंगी।
- यह कमांडोज़ की एक छोटी टीम के साथ कार्य करना शुरू करेगी। इस डिवीज़न में लगभग 3,000 प्रशिक्षित कमांडो होंगे, **जो जंगलों में एवं समुद्र में युद्ध करने और हेलीकॉप्टर ऑपरेशनों** के माध्यम से हमला करने अथवा बचाव कार्य करेंगे।
- यह उन मिशनों को संचालित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे जिनमें सामरिक प्रतिष्ठानों को लक्षित करना, आतंकवादियों के संदर्भ में अधिक-महत्व वाले लक्ष्यों और शत्रु की युद्धक-क्षमताओं को कमजोर करना सम्मिलित हैं।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (IDS)

- यह एक संगठन है जो **भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं में समन्वय को बढ़ावा देने और प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने हेतु** उत्तरदायी है।
- इसका गठन **भारतीय थलसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, विदेश मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय** के प्रतिनिधियों से मिलकर हुआ है।
- इसकी अध्यक्षता **इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख** द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त IDS के उप-प्रमुखों के पद का भी सृजन किया गया है।
- यह निकाय **चीफ्स ऑफ़ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को परामर्श देता है एवं उनकी सहायता** करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2001 में **कारगिल रिव्यू कमेटी** की अनुशंसाओं के पश्चात् की गई थी।

चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी

- तीनों सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के तीनों कमांडर-इन-चीफ (प्रमुखों) से गठित एक समिति को चीफ ऑफ़ स्टाफ कमेटी कहा जाता है।
- यह रक्षा मंत्री को सैन्य संबंधी सभी मामलों पर परामर्श देती है। तत्पश्चात रक्षा मंत्री के माध्यम से इन मामलों को राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

10.1.3. एकीकृत युद्धक समूह

(Integrated Battle Groups)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय सेना ने नए एकीकृत युद्धक समूहों (Integrated Battle Groups: IBG) के गठन की योजना की परिकल्पना की है।

एकीकृत युद्धक समूह (IBGs) के बारे में

- IBGs वस्तुतः **ब्रिगेड के आकार की दक्ष और आत्मनिर्भर युद्धक संरचनाएं (combat formations)** हैं, जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम होती हैं।
- प्रत्येक IBG का गठन **खतरों, भू-भागों और नियत कार्यों (Three Ts**-Threat, Terrain and Task) के आधार पर **आवश्यकतानुसार** किया जाएगा तथा इन्हीं तीन आधारों पर IBG को संसाधनों का आबंटन भी किया जाएगा।
- ये अत्यधिक गोलाबारी (firepower) वाली युद्धक संरचनाएं (battle formations) होती हैं, जो युद्ध लड़ने हेतु सभी आवश्यकताओं को एक-साथ उपलब्ध कराती हैं, जिनमें पैदल सेना, बख्तर (Armour), तोपें, अभियंता, लॉजिस्टिक्स और सहायता प्रदान करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं।

VISION IAS

- अक्टूबर, नवंबर में **पाकिस्तान सीमा से सटे** जम्मू, पंजाब और राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में **प्रथम तीन IBGs** को तैनात किया जाएगा, जिनमें पश्चिमी कमान की विभिन्न इकाइयों के घटक शामिल होंगे।
- इन समूहों की स्थापना **सैन्य दलों के उन पूर्ववर्ती संरचनाओं को समाप्त करेंगी**, जिसमें लगभग 8 से 10 ब्रिगेड शामिल होते थे और प्रत्येक की तीन से चार बटालियन होती थी। इसके विपरीत, एक IBG में लगभग छह बटालियन होंगी।

भारतीय सेना में संरचनाएं

- एक **कमान (command)**, किसी सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत सेना की सबसे बड़ी स्थैतिक इकाई होती है, जबकि एक सैन्य दल (corps) सबसे बड़ी गतिशील इकाई होती है।
- सामान्यतः, **प्रत्येक कॉर्प्स में लगभग तीन ब्रिगेड होते हैं।** भारतीय सेना में ब्रिगेड सबसे छोटी युद्धक इकाई होती है।
- **IBGs ब्रिगेड की तुलना में अधिक छोटे होंगे**, ताकि उन्हें अधिक लचीला बनाया जा सके और सैन्य टुकड़ियों को अधिक तीव्रता से संचालित किया जा सके।

10.1.4. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

{Armed Forces (Special Powers) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने **नागालैंड** में **"सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम" (AFSPA)** को आगामी 6 माह के लिए बढ़ा दिया है।

AFSPA के बारे में

- वर्ष 1958 में अधिनियमित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम **"अशांत क्षेत्रों"** में लोक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने हेतु **सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां एवं उन्मुक्ति प्रदान करता है।**
- सशस्त्र बलों को प्रदान की गई कुछ असाधारण शक्तियों में शामिल हैं:
  - यदि किसी व्यक्ति द्वारा अशांत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था के विरुद्ध कोई कृत्य किया जा रहा हो, तो बिना चेतावनी दिए उस पर गोली चलाना।
  - बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना।
  - किसी भी वाहन या पोत को रोककर उसकी जांच करना।
  - सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके कार्यवाहियों के लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
- वर्तमान में AFSPA **पूर्वोत्तर के पांच राज्यों** (अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों, असम, मणिपुर, मिज़ोरम एवं नागालैंड) तथा **जम्मू एवं कश्मीर** में प्रभावी है।
- AFSPA, "विक्षुब्ध (अशांत) क्षेत्रों" में कानून व्यवस्था के पुनर्स्थापन हेतु **सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियाँ प्रदान करने** के लिए वर्ष 1958 में अधिनियमित किया गया था।
  - "विभिन्न धार्मिक, नृजातीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियों या समुदायों के सदस्यों के मध्य विद्यमान मतभेद या विवाद के कारण" किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र माना जाता है।
- केंद्र सरकार या **राज्य/संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल** को AFSPA के अंतर्गत संपूर्ण राज्य या आंशिक क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित करने हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- **विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976** {Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976} के अनुसार एक बार अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत, उस क्षेत्र में **न्यूनतम तीन माह** के लिए यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है।

10.2. गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

(Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019** को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया।

VISION IAS

इस अधिनियम में हुए प्रमुख संशोधन

- **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों तथा इससे संबंधित मामलों की अधिक प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था।
- **आतंकी संस्था घोषित करने के दायरे को विस्तृत किया गया है:** पूर्व में केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती थी; यदि वह संगठन आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित या संचालित करता है अथवा उसमें संलग्न है या बढ़ावा दे अथवा आतंकवादी गतिविधि में किसी भी तरीके से शामिल होता है।
    - अब सरकार को उन्हीं आधारों पर किसी भी **व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने** का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **संपत्ति जब्त करने की मंजूरी:** इससे पूर्व एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।
    - अब, यदि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की सहमति की आवश्यकता होगी।
- **NIA को सशक्त बनाया गया है:** इससे पूर्व, मामलों की जांच उप-पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों द्वारा या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती थी।
    - इस विधेयक के माध्यम से इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक वाले NIA के अधिकारियों को भी मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **संधियों की अनुसूची को शामिल करना:** इस अधिनियम की एक अनुसूची में नौ संधियाँ सूचीबद्ध थीं {जैसे- कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ़ टेररिस्ट (1997), कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ़ होस्टेज़ (1979) आदि}। यह अधिनियम उन संधियों के तहत किए गए कृत्यों को शामिल करने हेतु आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है।
    - इस विधेयक के अंतर्गत **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ़ एक्ट्स ऑफ़ न्यूक्लियर टेररिज्म (2005)** को भी सूची में शामिल किया गया है।

आतंकी गतिविधियों के निवारण हेतु कुछ अन्य कानून

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA),1980;
- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA),1958;
- **कई राज्यों के अपने स्वयं के आतंक विरोधी कानून हैं,** जैसे- महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999; छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, 2005; जम्मू और कश्मीर जनसुरक्षा अधिनियम, 1978; तथा आंध्र प्रदेश जनसुरक्षा अधिनियम, 1992 आदि।

10.3. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

{NIA (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया है, जिसका लक्ष्य NIA की शक्तियों एवं अधिकार-क्षेत्र में विस्तार करना है।

पृष्ठभूमि

- **NIA अधिनियम, 2008,** भारत की प्रमुख आतंकरोधी एजेंसी (अर्थात् NIA) की कार्यप्रणाली को शासित करता है, जिसे 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (FBI) की तर्ज पर यह अधिनियम देश में NIA को एकमात्र वास्तविक संघीय एजेंसी के रूप में स्थापित करता है तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की तुलना में इसे अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है।
- NIA के पास भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधि के विरुद्ध **स्वतः संज्ञान लेते** हुए कार्यवाही एवं मुकदमा दर्ज करने तथा किसी भी राज्य में संबंधित सरकार की अनुमति के बिना प्रवेश करने एवं जांच करने और संलग्न किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है।

VISION IAS

प्रमुख संशोधन

- **अपराधों के दायरे को विस्तृत किया गया है:** जिसका उल्लेख अधिनियम की अनुसूची में किया गया हैं, जैसे- परमाणु ऊर्जा अधिनियम (वर्ष 1962) और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (वर्ष 1967)। इस संशोधन के माध्यम से मानव तस्करी; नकली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध; प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण या बिक्री; साइबर आतंकवाद; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत किए जाने वाले अपराधों जैसे अन्य अपराधों को सम्मिलित करने हेतु इसके दायरे को विस्तृत किया गया है।
- **NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि:** NIA के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य राष्ट्रों के घरेलू कानूनों के अधीन, **भारत से बाहर किए गए अधिसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति** प्राप्त होगी।
- **विशेष न्यायालयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:** NIA अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचित अपराधों के ट्रायल (जांच) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
    - अब केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए **सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित** कर सकती है, किन्तु ऐसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाएगा, जिसके तहत उक्त सत्र न्यायालय कार्यरत है।
    - इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अधिसूचित अपराधों के ट्रॉयल हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

10.4. धन शोधन निवारण अधिनियम

(Prevention of Money Laundering Act: PMLA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने 2019 के वित्त अधिनियम के माध्यम से **"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002"** के प्रावधानों में संशोधन कर इसे और अधिक कठोर बना दिया है।

नवीन संशोधन

- **"अपराध से अर्जित लाभ" की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है।** अब इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया है, भले ही ये गतिविधियाँ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा इसे **"संबंधित अपराध" के रूप में स्वीकार किया जाएगा।**
- भारत द्वारा आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for Suppression of Financing of Terrorism), 1999; पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nation Convention against Transnational Organised Crime), 2000; तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nation Convention against Corruption), 2003 पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के बारे में

- **उद्देश्य**
    - धन शोधन की रोकथाम एवं नियंत्रण;
    - धन शोधन द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त एवं अधिग्रहित करना; तथा
    - भारत में धन शोधन से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे से निपटना।
- **धन शोधन के अपराध को परिभाषित करता है:** प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या जानबूझकर सहायता करने वालों या जो जानबूझकर ऐसी गतिविधि का एक पक्षकार है या वास्तव में ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है अथवा जो ऐसे अपराध से अर्जित आय से संबंधित है और इसे अप्राप्त संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे धन शोधन गतिविधि से संबंधित अपराधी समझा जाएगा।
- **बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के दायित्व का निर्धारण:** अपने सभी ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों के सत्यापन और रख-रखाव तथा सभी लेन-देनों और ऐसे लेन-देन की सूचना निर्धारित रूप में वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND) को प्रस्तुत करना।

VISION IAS

- **सीमा पार धन शोधन संबंधी गतिविधियों से निपटना:** यह PMLA के प्रावधानों को लागू करने तथा PMLA के अंतर्गत किसी भी अपराध की रोकथाम के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार को किसी भी अन्य देश के साथ समझौता करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **विशेष न्यायालय:** केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में धन शोधन संबंधी अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।
- **अधिनिर्णय प्राधिकरण:** यह अधिनियम संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए तीन-सदस्यीय अधिनिर्णय प्राधिकरण का गठन करता है।

10.5. विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम

(Special Protection Group (Amendment) Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019** को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

प्रमुख संशोधन

- इसके द्वारा **विशेष संरक्षा ग्रुप (Special Protection Group: SPG) अधिनियम, 1988** में संशोधन किया गया है।
  - **बीरबल नाथ समिति (वर्ष 1985)** की अनुशंसाओं पर SPG का गठन किया गया था।
- SPG, **प्रधानमंत्री** एवं उनके परिवार (जो उनके साथ उनके आधिकारिक निवास में निवास करते हों) को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखेगा।
- यह किसी **पूर्व प्रधानमंत्री** एवं उसके निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों को भी उसके पद त्यागने की तिथि से **पांच वर्ष की अवधि हेतु** सुरक्षा प्रदान करेगा।
- यदि पूर्व प्रधानमंत्री से SPG सुरक्षा वापस ली जाती हैं, तो उसके निकटस्थ पारिवारिक सदस्यों से भी इसे वापस ले ली जाएगी।

10.6. पूर्वोत्तर में सुरक्षा संबंधी मुद्दे

(Security issues in North-East)

10.6.1. बोडो शांति समझौता

(Bodo Peace Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

27 जनवरी 2020 को असम के बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए **केंद्र सरकार, असम सरकार** और असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)** ने त्रिपक्षीय समझौते के रूप में **तृतीय बोडो शांति समझौता** पर हस्ताक्षर किया।

- बोडो असम का **सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय** है, जिसकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 5-6 प्रतिशत भाग है। बोडो लोगों की अलगाववादी मांगों का एक दीर्घकालिक इतिहास रहा है, जो सशस्त्र संघर्ष द्वारा चिन्हित है।
- NDFB वर्ष 1986 में गठित एक **नृजातीय विद्रोही संगठन** है, जो **असम के बोडो नृजातीय समूह** के लिए **बोडोलैंड** नाम से एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा है।

इस समझौते के प्रमुख बिंदु

- **बोडो बहुल गांव:** वर्तमान में BTAD से बाहर स्थित बोडो बहुल गांवों को BTR में शामिल किया जाएगा तथा गैर-बोडो जनसंख्या को इससे बाहर रखा जाएगा।
- **अनुसूचित पर्वतीय जनजाति:** पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले बोडो लोगों को यह दर्जा प्रदान किया जाएगा।
- **बोडो भाषा:** देवनागरी लिपि के साथ बोडो संपूर्ण असम के लिए **आधिकारिक भाषा** होगी।
- **BTR:** BTAD को अब BTR कहा जाएगा तथा इसमें अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां निहित होंगी।

PT 365 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- **बोडो हिंसक समूहों** के 1,500 से अधिक सदस्य हिंसक गतिविधियों को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होंगे।
- **विशेष विकास पैकेज:** तीन वर्षों में **1,500 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज** प्रदान किया जाएगा।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (Bodoland Territorial Council: BTC)

- **वर्ष 2003 में एक शांति समझौते** के माध्यम से, **BTC** का गठन किया गया था, जिसमें 46 सदस्य (40 निर्वाचित एवं 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत) हैं।
- इसे **बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD)** में 40 से अधिक नीतिगत क्षेत्रों में विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- BTAD के अंतर्गत असम के चार जिले **(कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुरी)** शामिल हैं।
- यह **भारतीय संविधान की छठी अनुसूची** के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।

10.6.2. नागा शांति वार्ता

(Naga Peace Talks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा नागा शांति वार्ता पर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए निर्धारित 31 अक्टूबर की समय सीमा कुछ बिंदुओं पर अस्पष्टता के साथ समाप्त हो गई।

'GREATER NAGALIM', AS THE NSCN (IM) ORIGINALLY SOUGHT

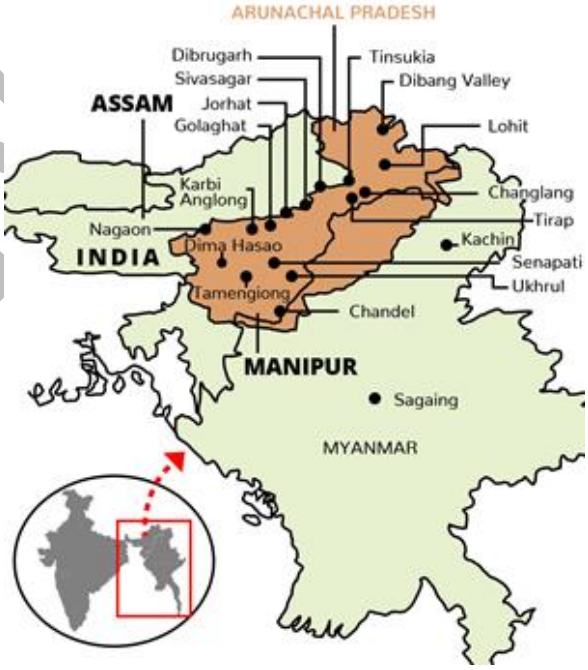

नागा संघर्ष और शांति वार्ता का कालानुक्रम

- **1946:** अंगामी झापू फिज़ो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल (NNC) का गठन हुआ था, जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था।
- **1975: NNC** के नेताओं के एक समूह ने शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत **NNC** और **NFG (नागा संघीय सरकार)** के इस समूह ने हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। थ्यूइंगालेंग मुइवा (जो उस समय चीन में थे) के नेतृत्व में लगभग 140 सदस्यों के एक समूह ने शिलांग समझौते को अस्वीकृत कर दिया तथा वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) का गठन किया।
- **1988:** NSCN, NSCN (इसाक-मुइवा)/(IM) तथा NSCN (खापलांग)/(K) में विभाजित हो गया।
- **2015: NSCN-IM, ने नागा संप्रभुता के विचार को त्याग दिया** तथा **भारतीय संघ के भीतर एक समझौते के लिए सहमत हो गया।**
  - **NSCN (IM) की मांग: एक "ग्रेटर नागालिम",** जिसमें नागालैंड के साथ-साथ "सभी समीपवर्ती नागा अधिवासित क्षेत्र" सम्मिलित होंगे। इसमें असम, अरुणाचल एवं मणिपुर के कई जिले भी शामिल हैं, साथ ही, म्यांमार का एक बड़ा भू-भाग भी इसमें सम्मिलित है।
  - **NSCN (K) इस वार्ता का विरोध करता है** तथा उसने हिंसक प्रतिरोध जारी रखा है, हालांकि, वर्ष 2017 में खापलांग की मृत्यु के पश्चात् यह कमजोर हुआ है।
  - **एक पृथक नागा ध्वज और संविधान की मांग** ने भारत सरकार और NSCN-IM के मध्य अंतिम समझौते के समक्ष बाधा उत्पन्न की।

VISION IAS

10.6.3. कूकी-नागा उग्रवादी समूहों के मध्य समझौता

(Kuki-Naga Militants Sign Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs)** और **कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO)** ने पहली बार एक साथ कार्य करने के लिए एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि, इससे पूर्व अपने राजनीतिक मुद्दों के समाधान हेतु वे भारत सरकार के साथ पृथक-पृथक वार्ता में संलग्न थे।

कूकी जनजाति

- इस नृजातीय समूह की आबादी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा उत्तर-पश्चिम बर्मा और बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय मार्गों के निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है।
- ये जनजाति पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में विद्यमान हैं।
- **महत्वपूर्ण त्यौहार:** चवांग कुट, चापचर कुट आदि।

नागा जनजाति

- ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों (नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं असम) और उत्तर पश्चिमी म्यांमार में अधिवासित नृजातीय समूह हैं।
- **प्रमुख नागा जनजातियाँ** अंगामी, एओ, चखेसंग, कोन्याक हैं।
- ये **हेड हंटिंग (head hunting) अनुष्ठानिक प्रथा के लिए** विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं, जो कि नागालैंड में जनजातीय योद्धाओं के मध्य प्रचलित थी।
- नागा पुरुषों के परिधान विशिष्ट होते हैं: शंक्वाकार लाल रंग के हेडगियर (टोपी के सदृश्य) को जंगली सूअर के धारधार दांतों और सफेद-काले हॉर्नबिल के पंखो के साथ अलंकृत किया जाता है।
- **महत्वपूर्ण त्योहार:** सेकेरनी, मोत्सु या मोत्सु मोंग, हॉर्नबिल फेस्टिवल आदि।

नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (NNPGs) और कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO) के बारे में

- **NNPGs,** सात नागा उग्रवादी संगठनों का एक अम्ब्रेला निकाय है, जो वर्ष 2017 से केंद्र के साथ वार्ता प्रकिया में संलग्न है। वर्ष 2019 में इस समूह द्वारा घोषणा की गई कि वे भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।
    - NNPGs के अंतर्गत, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (युनिफिकेशन), NSCN (रिफॉर्मेशन), NSCN (खांगो), नागा नेशनल काउंसिल और इसके दो गुट, तथा फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफ़ नागालैंड शामिल हैं।
- **KNO, 17 कुकी उग्रवादी संगठनों** के दो अम्ब्रेला निकायों में से एक है, जो वर्तमान में भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में संलग्न है।
    - इस समूह की एक प्रमुख मांग मणिपुर में कूकीलैंड हेतु एक पृथक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना करना है।

10.6.4. ऑपरेशन सनराइज 2

(Operation Sunrise 2)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत और म्यांमार** की सेनाओं ने अपने-अपने सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन सनराइज 2 का संचालन किया।

ऑपरेशन सनराइज 2 के बारे में

- कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (I) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सहित कई **उग्रवादी संगठनों के शिविरों को ध्वस्त करने के लिए** दोनों देशों की सेनाओं ने एक-दूसरे के साथ समन्वय किया।
- ऑपरेशन सनराइज का **प्रथम चरण** फरवरी 2019 में भारत-म्यांमार सीमा पर आयोजित किया गया था, जिसके दौरान उत्तर-पूर्व स्थित उग्रवादी समूहों के कई शिविरों को ध्वस्त किया गया था।

10.7. नो फ़र्स्ट यूज डॉक्ट्रिन

(No First Use Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि भारत को भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर अपनी 'नो फ़र्स्ट यूज' (परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति) नीति को परिवर्तित करने का अधिकार है।

पृष्ठभूमि

- **"नो फ़र्स्ट यूज़" (NFU) एक देश द्वारा किया गया एक संकल्प** है जिसके अनुसार वह देश तब तक अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग युद्ध के एक साधन के रूप में नहीं करेगा जब तक कि कोई प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं करता है।
- भारत ने **पोखरण II** परीक्षण के पश्चात् वर्ष **1998 में "NFU" नीति को यह कहते हुए** अपनाया था कि इसने हाल ही में परमाणु हथियार प्राप्त किए हैं और उसके द्वारा इसका प्रयोग केवल एक निवारक/भयादोहन (detterent) के रूप में किया जाएगा।

अन्य देशों में नो फ़र्स्ट यूज़ पॉलिसी

- वर्ष 1964 में परमाणु शक्ति बनने के पश्चात् **चीन** इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने वाला प्रथम देश बना था, जिसने इसे देश की परमाणु रणनीति के "विशुद्ध रूप से आत्मरक्षात्मक प्रकृति" के संकेत के रूप में वर्णित किया था।
- अमेरिका द्वारा कभी भी **NFU नीति घोषित नहीं** की गयी है।
- वर्ष 1982 में, सोवियत संघ ने संकल्प किया कि उसके द्वारा एक NFU नीति को अपनाया जाएगा और वह संघर्ष के दौरान परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि, वर्ष 1993 में रूस ने इस विचार से अपने को अलग करते हुए कहा कि अन्य राष्ट्रों के समान वह उन दूसरे देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है।
- पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है।

10.8. साइबर सुरक्षा

(Cyber security)

10.8.1. भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा

(Critical Information Infrastructure Security in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP) पर साइबर हमले हुए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस स्पाइवेयर की पहचान **'डीट्रैक' (Dtrack)** के रूप में की गई है, जिसे डेटा चोरी करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसके द्वारा सभी प्रभावित उपकरणों पर हैकर या 'थ्रेट एक्टर' को क्रेडेंशियल और पासवर्ड की सूचना प्रदान करके पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया जाना था।

VISION IAS

- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना ढांचे की सुभेद्यता को उजागर करने वाली इन घटनाओं ने भारत के साइबर स्पेस में एक वैध शक्ति होने के दावों पर गंभीर संदेह उत्पन्न किया है।

भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure: CII) सुरक्षा

- **महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्या है?**
  - इसे **"उन सुविधाओं, प्रणालियों या कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी अक्षमता या विनाश राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं एक राष्ट्र के सामाजिक हितों को कमजोर करेगी।"**
  - CII के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
    - ताप-विद्युत, जल-विद्युत, नाभिकीय उर्जा आदि जैसे **विद्युत उर्जा क्षेत्रक।**
    - **बैंकिंग, बीमा क्षेत्रक एवं वित्तीय संस्थान**, जैसे- RBI, स्टॉक एक्सचेंज, भुगतान गेटवे आदि।
    - **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**, जैसे- उपग्रह संचार, प्रसारण आदि।
    - **परिवहन**, जैसे- नागर विमानन, रेलवे, शिपिंग आदि।
    - **ई-प्रशासन और रणनीतिक सार्वजनिक उद्यम।**
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC):** यह सभी CIIs की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने भारत में CIIs की सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास सहित सभी प्रकार के उपायों के लिए **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (NCIIPC)** को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 70A (1) के तहत नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
  - साइबर सुरक्षा नीति 2013 द्वारा NCIIPC के गठन की अनुशंसा की गई थी।

भारत में साइबर सुरक्षा के लिए स्थापित अन्य तंत्र

- **कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम - इंडिया (Computer Emergency Response Team - India: CERT-IN):** यह सभी गैर-महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए और सभी साइबर हमलों पर रिपोर्ट एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre: NCCC):** इसकी स्थापना देश में इंटरनेट ट्रैफ़िक को स्कैन करने तथा रियल टाइम स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने के लिए की गई है।

10.8.2. साइबर सुरक्षा नीति

(Cyber Security Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण (12th India Security Summit) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय (थीम) **"नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर" (Towards New National Cyber Security Strategy)** था।

साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के बारे में

इस नीति में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं:

- खतरे के विभिन्न स्तरों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न इकाइयों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी की स्थापना करना, जो साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समन्वित करेगी।
- एक **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC)** की स्थापना करना।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग **5,00,000 प्रशिक्षित कर्मचारियों का कार्यबल तैयार** करना।

VISION IAS

- सर्वोत्तम सुरक्षा कार्यप्रणालियों को अपनाने हेतु व्यवसायों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।
- देश में प्रयुक्त हो रहे उपकरणों के सुरक्षा स्तर की नियमित जांच करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
- देश में एक साइबर इकोसिस्टम बनाना तथा तकनीकी और परिचालन सहयोग के माध्यम से प्रभावी सार्वजनिक-निजी भागीदारी तथा सहयोगपूर्ण साझेदारी विकसित करना।
- अनुसंधान के द्वारा स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना।

10.8.3. भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र

(Indian Cyber Crime Coordination Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र** (Indian Cyber Crime Coordination Centre: I4C) का शुभारंभ किया तथा **राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग** नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है।

I4C के बारे में

- व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने हेतु दो वर्षों (2018-2020) की अवधि के लिए **I4C की स्थापना की योजना को अक्टूबर 2018 में अनुमोदित** किया गया था।
- यह केंद्र **नई दिल्ली** में अवस्थित होगा।
- **नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)** इस योजना के विभिन्न घटकों में से एक है:
    - **इसके अन्य घटक निम्नलिखित हैं:** नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेन्सिक लैब्रटॉरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर।
- NCRP एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो **नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराधों की ऑनलाइन** रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगा। यह निम्नलिखित पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगा:
    - महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर, विशेष रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण तथा बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार से जुड़े मामले।
    - वित्तीय अपराध या इनको बढ़ावा देने वाले तथा इनसे प्रेरित ऑनलाइन सामग्री से संबंधित रिपोर्टिंग।
- **क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में अब तक 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इन्हें स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की हैं।

10.8.4. रूस के नेतृत्व में साइबर अपराध संधि पर संकल्प

(Russian Led Resolution on Cybercrime Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, साइबर अपराध पर एक पृथक कन्वेंशन की स्थापना हेतु रूस के नेतृत्व वाले एक संकल्प के पक्ष में मतदान किया।

साइबर अपराध संधि पर रूस के नेतृत्व वाले संकल्प के बारे में

- **'आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अवरुद्ध करना'** (Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes) नामक रूसी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक समिति द्वारा पारित किया गया है।
- यह प्रस्ताव एक **नई संधि** स्थापित करने हेतु न्यूयॉर्क में अगस्त 2020 में एक समिति के गठन को प्रस्तावित करता है, जिसके माध्यम से **राष्ट्र-राज्य साइबर अपराध की रोकथाम हेतु समन्वय तथा आंकड़ों को साझा कर सकते हैं।**
- इस संधि को **'बुडापेस्ट कन्वेंशन' के विकल्प के रूप में** देखा जा रहा है। इस ड्राफ्ट कन्वेंशन में डेटा की सीमा-पार पहुंच तथा अनुरोधित डेटा तक पहुंच प्रदान करने से अस्वीकृत करने हेतु हस्ताक्षरकर्ता देशों की क्षमता को सीमित करने वाले बुडापेस्ट कन्वेंशन से कहीं अधिक व्यापक प्रावधानों को शामिल किया गया है।

VISION IAS

- **इसके अतिरिक्त, इस संकल्प को अमेरिकी तथा यूरोपीय अधिकारियों एवं मानवाधिकार समूहों** द्वारा, इंटरनेट पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन करने वाले वैश्विक मानदंडों को सृजित करने हेतु रूस और चीन जैसे सत्तावादी राज्यों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में

- **काउंसिल ऑफ यूरोप (CoE) का साइबरक्राइम कन्वेंशन:** इसे **बुडापेस्ट कन्वेंशन** भी कहा जाता है, जो वर्ष 2001 में लागू हुआ था। यह एकमात्र **बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ या उपकरण है** जो राष्ट्रीय कानूनों को सुसंगत बनाकर, जाँच की तकनीकों के लिए वैधानिक प्राधिकरणों में सुधार लाकर तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि कर इंटरनेट तथा कंप्यूटर संबंधी अपराध का निपटारा करता है।
- यह कॉपीराइट के उल्लंघन, कंप्यूटर संबंधी धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री तथा नेटवर्क सुरक्षा के उल्लंघन जैसे मुद्दों से निपटता है।
- इसका उद्देश्य उपयुक्त विधान को अपना कर तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रोत्साहित कर एवं न्यायिक सहयोग के माध्यम से एक **समान अपराध नीति** का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन सहित इस कन्वेंशन के 56 सदस्य हैं। **भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं है।**
- भारत ने तर्क दिया कि बुडापेस्ट कन्वेंशन राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है और यह भी कहा कि वह संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा क्योंकि इस संधि का मसौदा भारत की सहभागिता के बिना तैयार किया गया था।

10.9. भारत में ISIS द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

(Challenge of ISIS in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ के दौरान कथित तौर पर इस संगठन से जुड़े एक आतंकवादी के मारे जाने के पश्चात् आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (IS) ने पहली बार यह दावा किया है कि उसने भारत में अपने एक **"प्रांत"** की स्थापना की है।

पृष्ठभूमि

- इस्लामिक स्टेट को मूलतः **इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS)** के नाम से जाना जाता था। यह एक आतंकी समूह है जो **"शरिया कानून या इस्लामी खिलाफत" पर आधारित "इस्लामी राज्य"** स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
- IS की **अमाक न्यूज़ एजेंसी** ने भारत में अपने नए प्रांत की घोषणा की है, जिसे उसने **"विलायाह ऑफ़ हिंद (विलायत अल हिंद)"** कहा है, किंतु इसमें इसकी भौगोलिक सीमा के बारे में विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया था।
- अतीत में, IS ने भारत को **खुरासान राज्य** में परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा की थी, जो उस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक नाम है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ भाग एवं आसपास के अन्य देश सम्मिलित थे।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन कायला मुलर:** यह एक अमेरिकी सैन्य कार्यवाही थी, जो इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी की मृत्यु के साथ समाप्त हुई।
- **खुरैस तेल क्षेत्र (Khurais Oil field)**
  - रियाद (सऊदी अरब) के उत्तर में पूर्वी प्रांत में अवस्थित अब्कैक (Abqaiq) तेल प्रसंस्करण संयंत्र और यहाँ के दूसरे सबसे बड़े आयल फील्ड खुरैस (Khurais) पर ड्रोन द्वारा हमले किए गए थे।
  - इन प्रतिष्ठानों का स्वामित्व सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी के पास था और इस घटना ने तेल की कीमतों में अस्थिरता उत्पन्न कर दी थी।

VISION IAS

10.10. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 2019

(Global Terrorism Index: GTI), 2019

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सिडनी स्थित **इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)** द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 2019 प्रकाशित किया गया।

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में

- यह सूचकांक, वर्ष 2000 के बाद से आतंकवादी घटनाओं पर प्रमुख वैश्विक रूझानों और पैटर्न का एक गहन विश्लेषण प्रदान करता है।
- यह आतंकवाद से प्रभावित देशों की एक क्रमिक रैंकिंग प्रदान करने हेतु एक समग्र स्कोर/अंक तालिका का प्रयोग करता है।
- **वर्ष 2019 के सूचकांक के अनुसार**
  - वर्ष 2018 में आतंकवाद के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली मृत्यु में 15.2% की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि चरमपंथी हिंसा से प्रभावित देशों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई।
  - इराक, नाइजीरिया और सीरिया को पीछे छोड़ते हुए **अफ़ग़ानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश** बन गया है, जहां **तालिबान द्वारा** IS को नियंत्रित करते हुए नेतृत्व को अपने हाथ में ले लिया गया है।
  - आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की इस सूची में भारत 7वें स्थान पर है।

10.11. ग्लोबल पीस इंडेक्स

(Global Peace Index 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक)** ने **13वां** "ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) - 2019" जारी किया है।

GPI के बारे में

- यह देशों को शांति के उनके स्तर के अनुसार निम्नलिखित **तीन विषयगत मापकों** के आधार पर रैंक प्रदान करता है:
  - सामाजिक सुरक्षा एवं बचाव का स्तर;
  - मौजूदा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार; और
  - सैन्यीकरण का स्तर।
- इस वर्ष विगत पांच वर्षों में पहली बार वैश्विक शांति के औसत स्तर में सुधार हुआ है।
- **आइसलैंड** विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ज्ञातव्य है कि यह वर्ष 2008 से ही इस सूची में प्रथम स्थान पर है।
- सीरिया (अब दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण देश) के स्थान पर **अफ़ग़ानिस्तान** विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है।
- GPI 2019 में भारत का स्थान **141वां** (वर्ष 2018 में 136वां स्थान) हो गया है।

10.12. समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019

(Anti Maritime Piracy Bill, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विदेश मंत्रालय** द्वारा समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक (एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल) 2019 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- यह विधेयक इस तरह के समुद्री जलदस्युता संबंधी अपराधों के लिए समुद्री जलदस्युता की रोकथाम और व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने का प्रावधान करता है।
- **जलदस्युता की परिभाषा (Definition of Piracy):** विधेयक के अनुसार जलदस्युता से आशय, किसी निजी पोत या वायुयान के कर्मी दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य हेतु किसी पोत, वायुयान, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हिंसा, बंधक बनाने अथवा नष्ट करने की गैर-कानूनी कार्रवाई करने से है।

VISION IAS

- यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, जलदस्युता के अपराधों के शीघ्र निस्तारण के लिए सत्र न्यायालय को पदाभिहित (निर्दिष्ट) न्यायालय (Designated Courts) के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

समुद्री जलदस्युता और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ

- UNCLOS, 1982 के अनुच्छेद 101 में जलदस्युता का तात्पर्य, किसी निजी पोत या वायुयान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी प्रयोजनार्थ किसी अन्य पोत, वायुयान, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हिंसा, बंधक बनाने अथवा नष्ट करने की गैर-कानूनी कार्रवाई करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization: IMO)** ने अपने सदस्य देशों द्वारा लागू किए जाने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का अंगीकरण किया है:
    - सामुद्रिक नौवहन की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले कृत्यों को प्रतिबंधित और दंडित करने हेतु **सप्रेशन ऑफ़ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट दी सेफ्टी ऑफ़ मैरीटाइम नेवीगेशन (SUA कन्वेंशन)।**
    - व्यापारिक पोतों के विनिर्माण, उपकरण और संचालन में न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित करने हेतु **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी सेफ्टी ऑफ़ लाइफ ऐट सी (SOLA)।**
- **इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड (ISPS कोड)** सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (SOLAS) कन्वेंशन का एक संशोधन है तथा यह "सुरक्षा खतरों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होने वाले पोतों या पत्तन सुविधा केंद्रों को प्रभावित करने वाली सुरक्षा घटनाओं के विरुद्ध निवारक उपाय करने हेतु सरकारों, शिपिंग कंपनियों, शिपबोर्ड कर्मियों और पत्तन/सुविधा केंद्र कर्मियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।"
- इसके अतिरिक्त, IMO **एकीकृत तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (ITCP) और जिबूती कोड ऑफ़ कंडक्ट** के माध्यम से सुरक्षित तथा कुशलता से एक शिपिंग उद्योग संचालित करने हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों के अभाव में सरकारों को सहयोग प्रदान करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

ऑपरेशन संकल्प

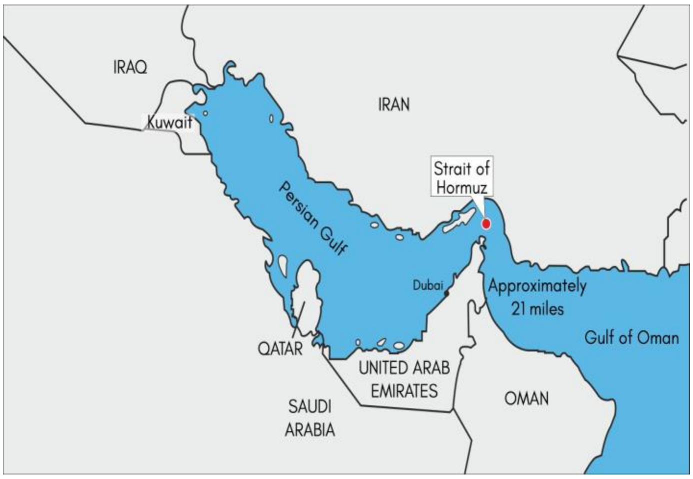

- भारतीय नौसेना ने **फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी** में **ऑपरेशन संकल्प** का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में हालिया सामुद्रिक घटनाओं के पश्चात् **होर्मुज जलसंधि, फारस / अरब की खाड़ी क्षेत्र** के मध्य रणनीतिक नौवहन मार्ग के माध्यम से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
- इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियानों को संचालित करने के लिए **INS चेन्नई और INS सुनयना** को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना के विमानों द्वारा इस क्षेत्र में हवाई निगरानी भी की जा रही है।

केप टाउन समझौता (Cape Town Agreement)

हाल ही में, भारत ने मत्स्यन संबंधी जलयानों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा अपनाए गए केप टाउन समझौते (CTA) की अभिपुष्टि (ratify) करने में रुचि प्रदर्शित की है।

VISION IAS

विवरण

- **अवैध, अनियमित और असूचित मत्स्यन को नियंत्रित करने में सहायता करने हेतु** वर्ष 2012 में IMO द्वारा केपटाउन समझौते को अंगीकृत किया गया था।
- इस समझौते में मत्स्यन संबंधी जलयानों हेतु न्यूनतम सुरक्षा संबंधी उपायों को सम्मिलित किया गया है, जो व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी संधि - **इंटरनेशनल कन्वेशन फ़ॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी** (SOLAS) को प्रतिबिंबित करता है। ज्ञातव्य है कि यह संधि वर्ष 1980 में प्रभावी हुई थी।

10.13. इंटरपोल

(Interpol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरपोल द्वारा भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने हेतु **ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी** किया गया है। ज्ञातव्य है कि नित्यानंद विगत वर्ष दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपों के पश्चात् भारत से फरार हो गया था।

इंटरपोल के बारे में

- **इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन** (ICPO) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें 194 सदस्य देश सम्मिलित हैं।
- यह विश्व भर में पुलिस के मध्य सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है तथा इसे वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC) के रूप में गठित किया गया था।
- यह तीन प्रमुख क्षेत्रों - आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध से निपटने हेतु विश्व भर में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अन्वेषणात्मक सहायता, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **भारत इसका सदस्य हैं।**
- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (CBI) इसका एक नोडल प्राधिकरण है, जो भारत में इंटरपोल द्वारा जारी सभी नोटिसों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। साथ ही, प्रत्येक राज्य के पुलिस बल में भी इसके संपर्क अधिकारी होते हैं।

10.14. नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी प्रभाग

(New and Emerging Strategic Technologies Division)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मंत्रालय ने **नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों** (New and Emerging Strategic Technologies: NEST) के लिए एक **नए प्रभाग** की स्थापना करने की घोषणा की है।

NEST के बारे में

- यह नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिए विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक **नोडल प्रभाग** के रूप में कार्य करेगा।
- **उद्देश्य:**
  - उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों के संदर्भ में विदेश **नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निहितार्थों का आकलन** करना।
  - संयुक्त राष्ट्र, G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय हितों की रक्षा के लिए विचार-विमर्श को सुगम बनाना।
  - तकनीकी आधारित कूटनीतिक कार्यों के लिए इस मंत्रालय के भीतर **मानव संसाधन क्षमता का** निर्माण करना।
  - 5G और कृत्रिम बुद्धिमता के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के साथ **सहयोग** स्थापित करना।

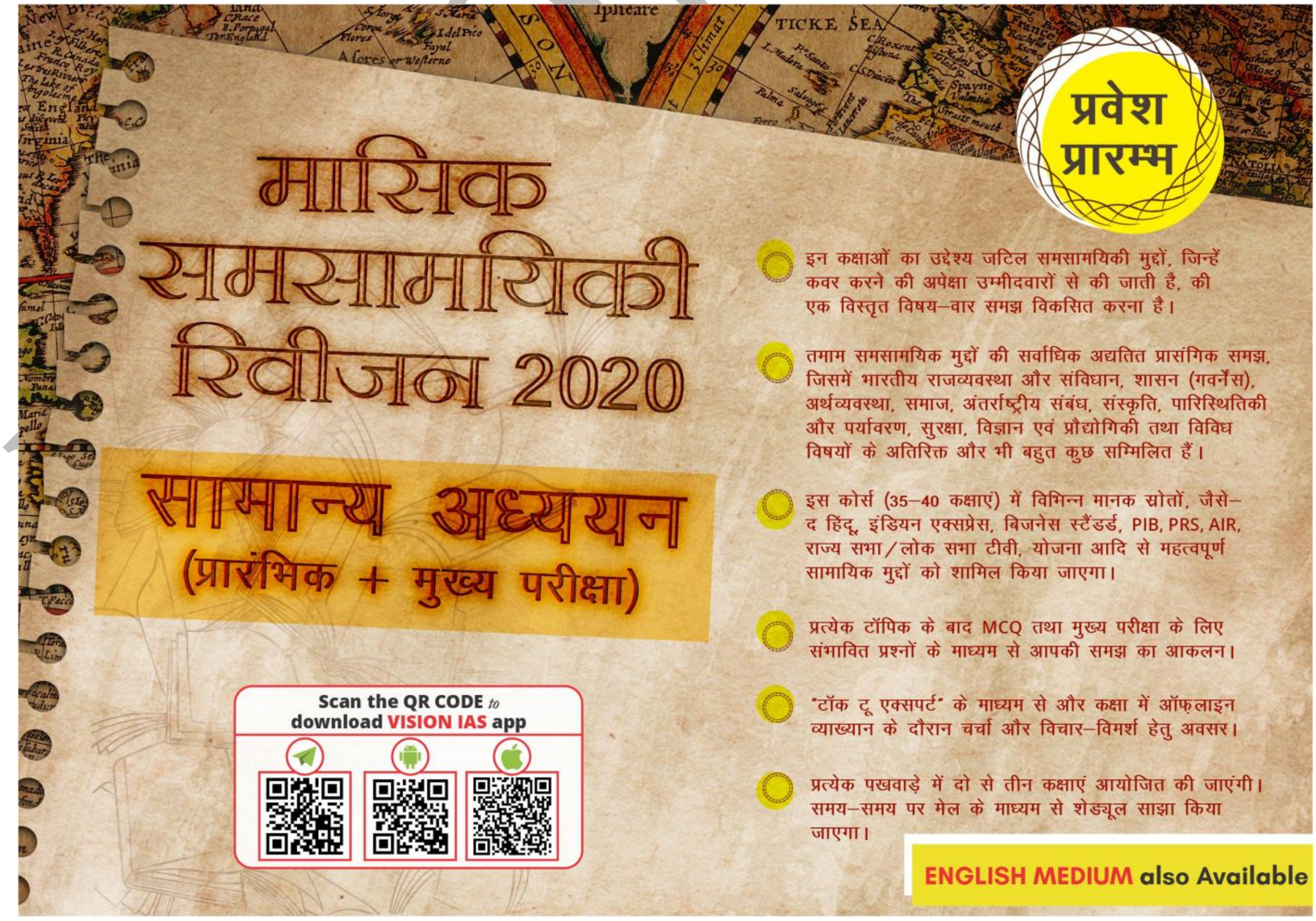

VISION IAS

11. विविध

(Miscellaneous)

11.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति

(UNSC Committee 1267)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर को मई 2019 में **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति** द्वारा **नामित वैश्विक आतंकवादी (designated global terrorist)** के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

UNSC कमिटी 1267

- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में, **प्रस्ताव 1267** (Resolution 1267) द्वारा की गई थी, जिसने तालिबान पर सीमित मात्रा में हवाई प्रतिबंध और परिसंपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की थी। समय के साथ, ये **कार्यवाहियां नामित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध लक्षित परिसंपत्ति की जब्ती, यात्रा और हथियार प्रतिबंध में रूपांतरित हो गई।**
- वर्ष 2011 में, प्रस्ताव 1988 के अंगीकरण के उपरांत, यह समिति निम्नलिखित दो भागों में विभाजित हो गई:
  - 1267 समिति को **अल-कायदा प्रतिबंध समिति** के रूप में जाना जाता था, जो कि अल-कायदा से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाहियों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए अधिदेशित थी।
  - **तालिबान** से संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाहियों के प्रवर्तन के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 2011 के **प्रस्ताव 1988 के आधार पर एक पृथक समिति** का गठन किया गया था।

11.2. रायसीना संवाद 2020

(Raisina Dialogue 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रायसीना संवाद का पांचवा संस्करण (2020) नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

विवरण

- यह एक **बहुपक्षीय सम्मेलन** है, जिसे वर्ष 2016 से नई दिल्ली में वार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह संवाद वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसे सिंगापुर के **शांगरी-ला डायलॉग** के अनुरूप अभिकल्पित किया गया है।
- इस संवाद को राष्ट्राध्यक्षों, कैबिनेट मंत्रियों और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ प्रमुख निजी क्षेत्रक के कार्यकारी अधिकारियों, मीडिया और शिक्षाविदों सहित एक बहु-हितधारक एवं विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य (क्रॉस-सेक्टोरल) संवाद के रूप में आयोजित किया जाता है।
- इस सम्मेलन को भारत सरकार के **विदेश मंत्रालय** के सहयोग से **ऑब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन** द्वारा आयोजित किया जाता है।

11.3. हांगकांग में विरोध प्रदर्शन

(Hong Kong Protests)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मुख्य भूमि चीन में प्रत्यर्पण की अनुमति दिए जाने की विवादास्पद योजना के कारण हांगकांग में विगत वर्ष विरोध प्रदर्शन हुए।

विवरण

- **मौजूदा प्रत्यर्पण कानून में उल्लेख है कि यह कानून "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट या उसके किसी अन्य भाग की सरकार" पर लागू नहीं** होगा।
- परन्तु, प्रस्तावित परिवर्तन हांगकांग सरकार को यह अनुमति देंगे कि वह आपराधिक संदिग्धों के प्रत्यर्पण के लिए किसी देश (चीन, ताइवान और मकाऊ सहित) के अनुरोध पर विचार करे। इन परिवर्तनों के कारण हांगकांग सरकार को उन देशों के अनुरोध पर भी विचार करना होगा, जिनके साथ इसकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

VISION IAS

- इन विरोध प्रदर्शनों ने **"एक देश, दो प्रणाली" (one country, two systems) पर ध्यान केंद्रित** किया है, जिसके तहत हांगकांग शासित है।
- वर्ष 1997 में जब यूनाइटेड किंगडम (UK) द्वारा हांगकांग को चीन को हस्तांतरित किया गया था, तब दोनों पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत हुए थे कि यह शहर आगामी 50 वर्षों तक **मूल कानून (Basic Law)**, (इसके लघु-संविधान) के तहत एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र बना रहेगा।
- मूल कानून हांगकांग के लोगों को उनके मुख्य भूमि चीन के समकक्षों की तुलना में **अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता** प्रदान करता है।
- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने **"हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम"** पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यह जाँच करने के लिए वार्षिक समीक्षा को अनिवार्य बनाता है कि क्या हांगकांग के पास अमेरिका के साथ अपनी विशेष स्थिति को न्यायोचित सिद्ध करने हेतु पर्याप्त स्वायत्तता है।

11.4. ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020

(Global Migration Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा **'ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020'** जारी की गई।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या 270 मिलियन थी तथा कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से आधे से अधिक (141 मिलियन) यूरोप और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं।
- लगभग 51 मिलियन प्रवासियों के साथ **संयुक्त राज्य अमेरिका** शीर्ष गंतव्य बना हुआ है।
- प्रवासियों में अनुमानित **52 प्रतिशत पुरुष शामिल** हैं और कुल प्रवासियों का लगभग दो-तिहाई (लगभग 164 मिलियन) कार्य की तलाश कर रहे हैं।
- भारत, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों (17.5 मिलियन) की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इसके बाद **मैक्सिको** (11.8 मिलियन) और चीन (10.7 मिलियन) का स्थान है।
- अंतर्राष्ट्रीय विप्रेषण वर्ष 2018 में बढ़कर 689 बिलियन डॉलर हो गया था। शीर्ष **तीन विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत (78.6 बिलियन डॉलर), चीन (67.4 बिलियन डॉलर) और मैक्सिको** (35.7 बिलियन डॉलर) थे। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष विप्रेषण-भेजने वाला देश बना हुआ है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का स्थान है।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)

- IOM एक **अंतर-सरकारी संगठन** है जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रवासी श्रमिकों सहित सरकारों तथा प्रवासियों को प्रवास से संबंधित सेवाएं एवं परामर्श प्रदान करता है।
- इसे **वर्ष 1951 में स्थापित किया गया** था तथा वर्ष 2016 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक संबद्ध संगठन बना।
- इसका मुख्यालय **जिनेवा (स्विट्जरलैंड)** में स्थित है।
- IOM, **प्रवास प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित चार व्यापक क्षेत्रों** में कार्य करता है:
  - प्रवासन और विकास;
  - प्रवासन को सुगम बनाना;
  - प्रवासन का विनियमन; एवं
  - बलात् प्रवासन।
- IOM में **173 सदस्य और 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है।**

PT 365 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

VISION IAS

अतिरिक्त जानकारी

ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम (GRF)

- इसका उद्देश्य नए विचारों के सृजन के साथ-साथ शरणार्थियों और उनका समर्थन करने वाले समुदायों की सहायता के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता प्रदान करना है।
- प्रथम **"ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम"** जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित हुआ था, जिसे संयुक्त रूप से युगांडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) तथा विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य: यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ इकॉनोमिक एंड सोशल अफेयर (DESA) ने **'द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019'** रिपोर्ट जारी की है।

11.5. भारत एवं ब्राजील के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता

(Agreement on Social Security Between India and Brazil)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत एवं ब्राजील के मध्य** सामाजिक सुरक्षा समझौते (SSA) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह ब्रिक्स (BRICS) देशों के मध्य इस प्रकार का **प्रथम** समझौता है।

विवरण

- SSA, **भारत एवं किसी विदेशी राष्ट्र के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता** है, जो लघु अवधि के लिए विदेशों में कार्यरत **भारतीय पेशेवरों/कुशल कर्मियों के हितों की रक्षा हेतु अभिकल्पित** है। यह भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
    - **असंबद्धता (Detachment):** यह भारतीय श्रमिकों को संबंधित विदेशी राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के लिए भुगतान करने से छूट प्रदान करता है। यह छूट केवल तब तक प्रदान की जाती है, जब तक भारतीय श्रमिक भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है और विदेशी अनुबंध की अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान करता रहता है।
    - **निर्यात योग्यता (Exportability):** यह संबंधित भारतीय कामगारों को भारत या किसी अन्य तीसरे देश में स्थानांतरण की स्थिति में, किसी विदेशी राष्ट्र में किए गए अपने संचित सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है।
    - **एकत्रीकरण (Totalization):** SSA सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु भारतीय श्रमिकों/पेशेवकों द्वारा भारत एवं विदेशी राष्ट्र में किये गए सामाजिक सुरक्षा अंशदानों की अवधि को समेकित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- वर्तमान में, भारत द्वारा **18 देशों** यथा - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क आदि **के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों (SSAs) पर हस्ताक्षर किए हैं और इनका संचालन** किया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत-ब्राजील कार्य योजना (India-Brazil Action Plan)

- ब्राजील के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **इस कार्य योजना में निम्नलिखित 6 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:**
    - राजनीतिक और रणनीतिक समन्वय;
    - व्यापार, निवेश, कृषि, नागरिक विमानन और ऊर्जा;
    - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण, तकनीकी सहयोग और स्वास्थ्य;
    - रक्षा और सुरक्षा;
    - संस्कृति और शिक्षा; एवं
    - कॉन्सुलर संबंधी मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा तथा कानूनी सहयोग।

VISION IAS

- इस कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग हेतु **"भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग"** मुख्य मंच के रूप में कार्य करेगा।
- दोनों देशों ने भी वर्ष 2022 तक 15 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि वर्तमान में यह केवल लगभग 8 बिलियन डॉलर है।

11.6. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास

(Military Exercises in News)

अभ्यास का नाम	विवरण
इंडो-थाई कॉर्पेट (Indo–Thai CORPAT)	**भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना** के मध्य।
सिटमैक्स (SITMEX) 2019	**सिंगापुर, थाईलैंड और भारत** के मध्य समुद्री अभ्यास।
मैत्री-2019 (MAITREE-2019)	**भारत और थाईलैंड** के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास।
युद्ध अभ्यास 2019	**भारतीय और अमेरिकी** सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास।
टाइगर ट्रायंफ (Tiger Triumph)	**भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के मध्य प्रथम त्रि-सेवा सयुक्त अभ्यास।
मालाबार 2019	**भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** के मध्य समुद्री अभ्यास।
काउंटर-टेररिज्म टेबल-टॉप एक्सरसाइज (CT-TTX)	**"क्वाड"** देशों (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के मध्य प्रथम आतंकवाद-रोधी अभ्यास।
TSENTR 2019	व्यापक स्तर पर किए जाने वाले सैन्य अभ्यास की यह वार्षिक श्रृंखला **रूसी सशस्त्र बलों** के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है। मेजबान रूस के अतिरिक्त, चीन, **भारत**, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैन्य दलों ने भी इस व्यापक कार्यक्रम में भाग लिया।
नोमेडिक एलीफैंट	**भारत-मंगोलियाई** संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास।
अभ्यास शक्ति	**भारत और फ्रांस** की सेनाओं के मध्य द्विवार्षिक अभ्यास।
अभ्यास गरुड-VI	**भारतीय और फ्रांसीसी वायु सेना** के मध्य अभ्यास।
अभ्यास सूर्य किरण- XIV	**भारत-नेपाल** के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास।
अभ्यास मित्र शक्ति –VII	**भारत-श्रीलंका** के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास।
स्लिनेक्स 2019	**भारत और श्रीलंका** के मध्य समुद्री अभ्यास।
अभ्यास सम्प्रिती-IX	**भारत और बांग्लादेश** के मध्य सैन्य अभ्यास।
अभ्यास ज़ायर-अल-बह्र	**भारत और कतर** की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास।
दस्तलिक-2019	**भारत और उज्बेकिस्तान** के मध्य **प्रथम** संयुक्त सैन्य अभ्यास।
हैंड इन हैंड	**भारत और चीन** के मध्य सैन्य अभ्यास।

VISION IAS

इंद्र	**भारत और रूस** के मध्य संयुक्त त्रि सेवा अभ्यास।
अभ्यास इंद्र धनुष – V	**भारतीय वायु सेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स** के मध्य अभ्यास।
अजय वारियर-2020	**भारत और यूनाइटेड किंगडम** के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास।
इंडियन स्पेस एक्स (IndSpaceEx)	भारत का **प्रथम छद्म अंतरिक्ष** युद्ध अभ्यास।
मिलन 2020	**भारतीय नौसेना** द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास।
ऑपरेशन "हिम विजय"	अरुणाचल प्रदेश में चीन के विरुद्ध आक्रामक (combative) क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए **भारतीय सेना** द्वारा आयोजित।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.